लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

चतुर्थ माला
Fourth Series

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 9.1.81
Parliament Library

खंड 5, 1967 / 1889 (शक)
Volume (V), 1967/1889 (Saka)

[20 जून, 1967 से 3 जुलाई 1967 / 30 ज्येष्ठ 1889 से 12 आषाढ़ 1889 (शक)]
[June 20 to July 3, 1967/ Jyaistha 20 to Asatha 12, 1889 (Saka)]

दूसरा सत्र, 1967/1889 (शक)
Second Session, 1967/1889 (Saka)

(खण्ड 5 में अंक 21 से 30 तक हैं)
(Volume (V) contains Nos. 21 to 30)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

4165

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 30, सोमवार, 3 जुलाई, 1967/12 आषाढ, 1889 (शक)

No. 30–Monday, July 3, 1967/Asadha 12, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता.प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
871	काठमंडू–ल्हासा सड़क	Kathmandu–Lhasa Road	4027-4031
873	इमर्जेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की सामाजिक तथा अन्य बातों की पृष्ठभूमि का विश्लेषण	Analysis of Social and other background of E.C.Os.	4031–4034
874	प्रेस परिषद की स्थापना	Formation of Press Council	4034
899	प्रेस परिषद	Press Council	4034–4035
875	मंत्रालयों के गठन तथा पुनर्वर्गीकरण के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	A.R.C. Recommendation for formation and re-grouping of Ministries	4036–4038
877	वियतनाम में परमाणु हथियारों का प्रयोग	Use of Atomic Weapons in Viatnam ...	4038–4041
878	समाचारपत्रों द्वारा चोर बाजारी	Black Marketing by Newspapers	4042–4045
अल्प-सूचना प्रश्न / S.N. Q.			
21	भाड़े की दरों पर अधिभार	Surcharge on Freight Rates	4045–4050

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता.प्र. संख्या / S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
872	ब्रिटेन के लिये गोरखों की भारत में भर्ती	Gurkhas Recruited for U. K. in India —	4051

* किसी नाम पर यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

ता. प्र. संख्या/ S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
879	एवरो – 748 विमान के निर्माण के लिये ठेका	Contract for Manufacture of Avro-748 ..	4051–4052
880	गाजा में सयुक्त राष्ट्र आपातकालीन सेना के भारतीय सैनिकों की स्वदेश वापसी	Repatriation of the Indian Contingent with UNEF in Gaza ...	4053–4054
881	पुंछ क्षेत्र में पाकिस्तानियों द्वारा अवैध प्रवेश	Trespass by Pakistanis in Poonch Sector	4054
882	पाकिस्तान का प्रतिरक्षा बजट	Defence Budget of Pakistan	4054–4055
883	पख्तूनिस्तान का मामला	Issue of Pakhtoonistan	4055
885	इसराईली सेनाओं द्वारा येरूशलम में भारतीय होस्टल का नष्ट किया जाना	Indian Hostel in Jerusalem destroyed by Israeli Forces	4055-4056
886	फरक्का बांध परियोजना	Farakka Barrage Project	4056
887	आकाशवाणी के संबंध में चन्दा समिति का प्रतिवेदन	Chanda Committee Report on A.I.R. ..	4056
888	एक भारतीय राष्ट्रिक का इसराइल के विजयोत्सव में भाग लेना	Participation of an Indian National in Celebration of Israel's Victory	4056–4057
889	काठमण्डू हवाई अड्डे पर भारत विरोधी प्रदर्शन	Anti-Indian demonstrations at Kathmandu Airport	4057
890	प्रतिरक्षा विभाग में मलयेशिया के लोगों को प्रशिक्षण	Training of Malaysians in Defence Department	4057–4058
891	अफ्रीका में जाति भेद और रंग भेद की नीति	Racial Discrimination and colour Bar in Africa	4058
892	गाजा में संयुक्त राष्ट्र संघ की आपातकालीन सेना के साथ भारतीय सैनिक टुकड़ी	Indian Contingent with UNEF in Gaza ...	4058–4059

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

ता. प्र. संख्या/ S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
893	प्रधान मंत्री द्वारा खाद्य तथा आर्थिक सहायता नीतियों के बारे में की गई टिप्पणी पर अमरीका की प्रतिक्रिया	U.S. Reaction to comments made by the Prime Minister reg-Food and Economic Aid Policies	4059
894	श्रीलंका में भारतीय उद्भव के लोग	People of Indian Origin Ceylon	4060
895	सिकन्दराबाद में सैनिक शिविर क्षेत्र	Military Camping ground at Sikandrabad..	4060–4061
896	त्रिपुरा के साथ लगने वाले क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा बांधों का बनाया जाना	Construction of Bunds by Pakistan in the territory adjoining Tripura	4061–4062
897	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह के पास देखी गई चीनी पनडुब्बियां	Chinese submarines Seen near Andaman and Nicobar Islands	4062
898	पाकिस्तान द्वारा भारतीय विरोध पत्र का अस्वीकार किया जाना	Rejection of Indian Protest Note by Pakistan	4062–4063
900	हैलीकॉप्टर विमानों का डिजाइन तैयार करने का ठेका	Contract for designing Helicopters ...	4063–4064

अता. प्र. संख्या /U. S. Q.Nos.

अता. प्र. संख्या /U. S. Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4319	आकाशवाणी केन्द्र, जबलपुर	A.I.R Station, Jabalpur	4064
4320	झांसी में सैनिक अभ्यास	Military Exercises at Jhansi	4064–4065
4321	भारत द्वारा विदेशों के लिये प्रसारण	Indian Overseas Broadcasting – ...	4065
4322	चीन में भारतीय लोग	Indians in China	4065
4323	चीन द्वारा भारत के विरुद्ध प्रचार	Chinese Propaganda against India	4065–4066

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी) WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
4324	आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र के समाचार प्रसारण प्रभाग में कर्मचारियों की संख्या	Strength of News Services Division of A.I.R. Delhi	4066
4325	भारत में विदेशी राजनयिक मिशन	Foreign Diplomatic Missions in India ..	4066
4326	गुजरात में आकाशवाणी केन्द्र	A.I.R. Stations in Gujarat .. —	4066-4067
4327	भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र	Indians Languages Newspapers .. —	4067
4328	ट्रांजिस्टरों का निर्माण	Manufacture of Transister Sets	4067-4068
4329	विदेशों में भारत मूलक लोग	Persons of Indian Origin in Foreign Countries	4068
4330	भारत सेवक समाज को दिया गया ऋण	Advance given to Bharat Sewak Samaj ..	4068-4069
4331	एक सैनिक शिविर में एक बम का फट जाना	Explosion of a Bomb in a Military Camp	4069-4070
4332	एमर्जेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेवा मुक्त करना	Release of Emergency Commissioned Officers	4070-4071
4333	काशीपुर स्थित गन एण्ड शैल फैक्टरी में ट्रैक्टरों का निर्माण	Production of Tractors in Gun and Shell Factory, Cossipore	4071
4334	भारत के प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा रूस को भेजा गया शोक संदेश	Condolence Message sent by Indian Defence Minister to Russia	4071
4335	नागालैंड सचिवालय में आग लगने की घटना	Fire in Nagaland Secretariat ... —	4072
4336	यूगोस्लाविया के साथ चलचित्रों का आदान प्रदान	Exchange of Films with Yugoslavia... ...	4072

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

4337	भारतीयों को पारपत्र जारी करने के बारे में ब्रिटेन में भूतपूर्व भारतीय उच्चायुक्त का सुझाव	Suggestion of former Indian High Commissioner in U. K. about issue of passports to Indians	4072–4073
4338	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु के बारे में जांच	Investigations about the death of Netaji Subhash Chandra Bose	4073
4339	समाचार पत्रों के मूल्य	Prices of Newspapers	4073–4074
4340	मंत्रियों के यात्रा कार्यक्रम	Tour Programmes of Ministers	4074
4342	चलचित्र वित्त निगम	Film Finance Corporation	4074–4075
4343	नैट विमानों का निर्माण	Manufacturing of GNAT Aeroplanes ..	4075
4344	प्रतिव्यक्ति आय का कम हो जाना	Fall in per capita Income	4075–4076
4345	संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि	India's permanent representative at U. N. O.	4076
4346	पाकिस्तान द्वारा बन्दियों (चार लड़कों) की वापिसी	Return of Prisoners (Four Boys) by Pakistan	4076
4347	चीनी पुस्तकों का प्रकाशन	Publication of Chinese Books	4077
4348	समाचार पत्रों का विदेश-संस्करण	Overseas Edition of Papers	4077–4078
4349	भारत के अमरीकी मित्रों की समिति	U.S. Friends of India Committee	4078
4350	एक प्रतिरक्षा कर्मचारी द्वारा हथगोलों की चोरी	Stealing of Hand Grenades by a Defence Employee	4078–4079
4351	सस्कृत में समाचार बुलेटिन	News Bulletin in Sanskrit	4079
4352	देहरादून में वीरपुर सैनिक क्षेत्र	Virpur Military Area in Dehra Dun.. ..	4079–4080
4353	चीन-नेपाल सहयोग	China-Nepal Collaboration	4080–4081

अता. प्र. संख्या / U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ / Pages

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS Contd.

4354	पाकिस्तान द्वारा नागाओं को सहायता	Aid to Nagas by Pakistan	4081
4355	नेपाल को वित्तीय सहायता	Financial Aid to Nepal .. —	4081–4082
4356	पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान को निर्यात	Exports to Afghanistan via Pakistan ..	4082–4083
4357	एक ब्रिटिश गणमान्य व्यक्ति द्वारा आकाशवाणी पर भाषण	Broadcast by a British V. I.P. on A.I.R. ...	4083
4358	भारत में टेलीविजन सेटों का निर्माण	Manufacture of T. V. Sets in India... ...	4083-4084
4359	मध्य प्रदेश के विधायकों के बारे में आकाशवाणी द्वारा समाचार का प्रसारण	News Broadcast by A.I.R. relating to M. L. As. of M. P.	4084
4360	मद्रास के निकट नया परमाणु शक्ति अनुसंधान केन्द्र	New Atomic Research Centre, Near Madras	4084–4085
4361	सेना में मध्य प्रदेश के व्यक्तियों की प्रतिशतता	Percentage of persons belonging to Madhya Pradesh in the Army	4085
4362	प्रतिरक्षा मंत्रालय (एम. ई एस.) में सर्वेयर और इंजीनियरिंग संवर्गों का विलय—	Merger of Surveyor and Engineering Cadres the Ministry of Defence (MES)	4085–4086
4363	प्रतिरक्षा मंत्रालय (एम. ई. एस.) में सर्वेयर और इंजीनिरिंग संवर्गों का विलय	Merger of Surveyor and Engineering Cadres in the Ministry of Defence (MES) ...	4086
4364	प्रधान मंत्री का मध्य प्रदेश का दौरा	Visit of P. M. to Madhya Pradesh	4086–4087
4365	आकाशवाणी के कर्मचारी	Employees in A. I. R.	4087
4367	इसराइल के साथ राजनयिक सम्बन्ध	Diplomatic Relations with Israel	4087

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4368	थोड़ी दूर तक सामान ढोने वाला परिवहन विमान	Short-haul Transport Aircraft	4087–4088
4369	राष्ट्रीय छात्र सेना दल में धन का दुरुपयोग	Misuse of Funds in N. C. C.	4088
4370	सैनिक गुप्तचर विभाग	Military Intelligence	4088–4089
4371	योजना आयोग का पुनर्गठन	Reorganisation of Planning Commission ...	4089
4372	इसराइल का युद्ध से पूर्व की स्थिति पर वापिस जाने से इन्कार करना	Israel refusal to revert to pre-war situation	4089–4090
4373	सैनिक अस्पतालों में महिला हैल्थ विजिटर के पदों का दर्जा घटाना	Down Grading of the Posts of Lady Health visitors in Military Hospitals ..	4090
4374	अरब शरणार्थी	Arab Refugees	4090–4091
4375	पाकिस्तान के रक्षा बजट में कटौती	Cut in Pak. Defence Budget	4091
4376	आकाशवाणी, कलकत्ता से देशभक्ति के गीतों का प्रसारण	Broadcast of Patriotic Songs from A. I. R. Calcutta	4091–4092
4377	भारत के विकास को दिखाने वाली प्रदर्शनी	Exhibition depicting the Development of India	4092
4378	बाड़मेर के निकट हवाई अड्डा	Airport near Barmer	4092–4093
4380	हवाई अड्डे तथा विमान पट्टियां	Airports and Airstrips ... —	4093
4381	इमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारी	Emergency Commissions ... —	4093
4382	राजनयिक उन्मुक्तियों की अवहेलना	Violation of Diplomatic Immunities... ...	4093–4094
4383	पुनर्वास निदेशालय	Resettlement Directorate .. —	4094

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी) / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

4384	गन एण्ड शैल फैक्टरी कोशीपुर में झगड़ा	Clash in Gun and Shell Factory, Cossipore	4094
4385	एवरो विमानों का निर्माण	Manufacture of Avro Planes ...	4094–4095
4386	कोरबा में भारी पानी तैयार करने वाला कारखाना	Heavy Water Plant in Korba	4095
4388	आकाशवाणी में उप-निदेशक (डिप्टी डायरेक्टर)	Deputy Directors in A. I. R.	4095–4096
4389	हिन्दी समाचार वाचक और घोषक (एनाउन्सर)	Hindi News Readers and Announcers	4096
4390	बिहार से अणु सम्बन्धी कच्चा माल	Atomic Raw Material from Bihar	4096–4097
4391	गांवों में दीवारों पर समाचारों का चिपकाया जाना	Wall Newspapers in Villages	4097
4392	नौसेना के अधिकारियों का प्रशिक्षण	Training of Naval Officers ...	4097–4098
4393	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग	National Sample Survey ...	4098
4394	संसद की कार्यवाही का प्रसारण	Parliament Broadcast	4099
4395	आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र के हिन्दी समाचार अनुभाग में कर्मचारियों की संख्या	Strength of the Staff of Hindi News Unit of A. I. R. Delhi	4099
4396	जवानों का मनोरंजन	Entertaining Jawans ...	4099–4100
4397	आकाशवाणी केन्द्र, गोहाटी	A. I. R. Station, Gauhati ..	4100
4398	भारतीय चलचित्र संस्था में आसाम के छात्रों का प्रवेश	Admission of Students from Assam to Film Institute of India	4100–4101

4399	महाराष्ट्र के परिवार नियोजन कार्यक्रम का आकाशवाणी से प्रसारण	A. I. R. coverage of Maharashtra's Family Planning Programme	4101
4400	चीन द्वारा किये गये बम विस्फोट के परिणाम	Effects of Chinese Explosion	4101-4102
4401	महाराणा प्रताप जन्म दिवस समारोह	Maharana Pratap Anniversary – ...	4102-4103
4402	टेलीविजन पर पाकिस्तान द्वारा प्रचार	Pak Propaganda on T. V.	4103
4403	भारतीय राष्ट्रजनों को पासपोर्ट देना	Issue of Passports to Indian Nationals ...	4103
4404	मलयेशिया को प्रतिरक्षा दल	Defence Team to Malaysia – ...	4104
4405	आकाशवाणी केन्द्र में हिन्दी जानने वाले कर्मचारी	Hindi knowing staff at A. I. R. Stations ...	4104
4406	मद्रास के बजट सम्बन्धी समाचार का प्रसारण	News Broadcast about Madras Budget –	4105
4407	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी, खड़कवासला के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	Class IV Employees of National Defence Academy, Khadakvasala	4105
4409	आइसोटोप	Isotopes	4106
4410	पेरिस में परमाणु संबंधी पदार्थों की खरीद का मिशन	Atomic Purchase Mission, Paris	4106
4411	पीकिंग में भारतीय दूतावास को हुई क्षति	Loss suffered by Indian Embassy in Peking	4106-4107
4412	भारत स्थित विदेशी राजनयिक मिशनों में काम करने वाले भारतीय लोग	Indian working in Foreign Diplomatic Missions in India – ...	4107

लोक-सभा
LOK-SABHA

सोमवार, 3 जुलाई, 1967/12 आषाढ़, 1889 (शक)
Monday July 3, 1967 /12 *Asadha*, 1889 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

काठमंडू-लहासा सड़क

+
*871. श्री प्र० के० देव :
श्री गु० च० नायक :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री अ० दीपा :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री मधु लिमये :
श्री रवि राव :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काठमांडू-लहासा सड़क तिब्बत और नेपाल के बीच मोटर गाड़ियों के आने-जाने के लिए हाल में खोल दी गई है;

(ख) क्या सरकार को इन समाचारों की जानकारी है कि जब से यह सड़क खुली है, नेपाल में चीनियों की भारत-विरोधी गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 2 जून, 1967 को जिस सड़क के खोलने की घोषणा की गई थी, वह काठमांडू-कोडारी सड़क है। कोडारी तिब्बत में एक जगह है जो नेपाल-तिब्बत सीमा के पार है।

(ख) चीन संसार भर में भारत विरोधी कार्रवाई करता है; नेपाल तो सिर्फ एक क्षेत्र है। सड़क के खोले जाने से सम्भवत: चीन के भारत-विरोधी कार्यों की सीमा में वृद्धि नहीं हो सकती; वह तो चीन सरकार की वर्तमान नीति का मामला है जिसका अनुसरण करके चीनी लोग बर्बरता और असभ्य व्यवहार की किसी भी सीमा तक जाना चाहेंगे।

(ग) जहां तक चीन द्वारा नेपाल में भारत-विरोधी कार्रवाइयों का सम्बन्ध है, भारत सरकार ने काठमांडू-स्थित अपने राजदूतावास के जरिये नेपाल के महा महिम की सरकार का ध्यान नेपाल स्थित चीनी दूतावास द्वारा राजनयिक व्यवहार के सिद्धान्तों के कई बार उल्लघन किए जाने की ओर आकर्षित किया है।

श्री प्र० के० देव : क्या यह सच है कि हाल ही में चीन की भारत-विरोधी गतिविधियां बढ़ी है, और काठमांडू हवाई अड्डे पर चीन के राजदूत ने भारत-विरोधी नारे लगाये थे ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह सच है कि नेपाल में चीनी राजनयिकों की भारत-विरोधी गतिविधियां हाल ही में बढ़ी हैं। परन्तु इसका सम्बन्ध लहासा सड़क से बिल्कुल भी नहीं है।

श्री प्र० के० देव : क्या यह सच है कि नेपाल में तकनीशनों के रूप में आए हुए चीनियों की संख्या बढ़ती जा रही है और वे नक्सलबाड़ी से लगे हुए नेपाल के सीमान्त क्षेत्र में एकत्र होते जा रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हाल ही में नेपाल में बहुत बड़ी संख्या में चीनी लोग तकनीशनों और इन्जीनियरों की हैसियत से आये हैं, क्योंकि नेपाल में वे अनेक परियोजनायें नेपाल सरकार के सहयोग से बना रहे हैं।

श्री प्र० के० देव : मैंने पूर्वी क्षेत्र के बारे में पूछा था।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इसके बारे में मेरे पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है।

श्री क० प्र० सिंह देव : क्या यह सच है कि जो चीनी तकनीशन नेपाल में काम कर रहे हैं, उनमें से अधिकतर लोग जासूसी विभाग के कर्मचारी हैं, जो नेपाल में भारत-विरोधी भावनायें फैला रहे हैं, ? क्या मिज़ो पहाड़ियों और नक्सलबाड़ी की घटनाओं में भी उनका हाथ था ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मुझे पता नहीं है कि उनकी अन्य गतिविधियां क्या हैं ?

श्री अ० दीपा : क्या यह सच है कि नेपाल भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, क्योंकि वहां चीनी राजनयिकों को भारत-विरोधी नारे स्वतन्त्रतापूर्वक लगाने दिये गये थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं सभा से अपील करता हूं कि चूंकि नेपाल हमारा मित्र देश है और वह एक स्वतन्त्र सत्ताधारी देश है, इसलिए उसके बारे में हमें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, जो पारस्परिक मित्रतापूर्ण सम्बन्धों पर असर डालें।

Shri Jagannath Rao Joshi : What measures are taken by the Govt. to counteract the growing anti-India activities of the Chinese in Nepal ?

श्री मु० क० चागला : हमारा देश हर सम्भव कार्यवाही करेगा।

Shri Madhu Limaye : Keeping in view the hostile attitude of China towards all the neighbouring countries, viz. Nepal, Burma and India, I would like to know whether the Government are considering to enter into a pact with those countries for defence purposes.

श्री मु० क० चागला : वे देश भी विश्व की स्थिति से उतने ही अवगत हैं जितने कि हम। वैसे हमारी ओर से ऐसा कोई सुझाव नहीं है। हमने किसी भी देश के साथ रक्षा समझौता नहीं किया है।

Shri Madhu Limaye : I know at present there is no such agreement. May I know whether the Government intend to have such defence pacts in future ?

श्री मु० क० चागला : इन सभी देशों के साथ हमारा सम्पर्क बना हुआ है और चीन के खतरे की ओर हम उनका ध्यान आकर्षित करते रहते हैं।

Shri Madhu Limaye : I want a clear answer to my question. The hon. Minister has evaded my question. May I expect straight answer to my question ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। हो सकता है, वह निष्कर्ष न बताना चाहते हो ?

Shri Madhu Limaye : May I know whether the Government have thrown a suggestion to those countries to have a joint defence pact ?

Shri A. B. Vajpayee : Whether suggestion has been given or not ?

श्री मु० क० चागला : फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु यदि सदस्य ऐसा चाहते हैं तो इस पर विचार किया जा सकता है।

Shri A. B. Vajpayee : May I know whether it is a fact that those Chinese who participated in anti-India demonstratation, are carrying out the work of the construction of Kathmandu-Lhasa road ? It is also a fact that such demonstrations are still being held there though the Nepal Govt. have given the reply to our protest note ? Are our Govt. satisfied with that reply, if not what future action do the Government propose to take in this matter ?

Shri Surendra Pal Singh : There are a large number of chinese in Nepal these days, who are working in various capacities. It is possible that many of them might have taken part in anti-India demonstrations. Secondly, in reply to our protest note the Nepal Government have assured us that they would make efforts to stop such demonstrations in future.

Shri Bibhuti Mishra : This road is a motorable road and it is linked with chinese military basei n Tibet. Nepal has not much defensive power and Chinese threat still

continues. In view of all this what steps are being taken by the Government for the defence of the country from the side of Chinese ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह सड़क एक प्रभुसत्ता सम्पन्न देश के अन्दर है और इसका उपयोग वह देश किसी भी प्रकार कर सकता है। इस बात पर नेपाल सरकार विचार करेगी कि उक्त सड़क को किस प्रकार से उपयोग में लाया जाये। हम इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर सकते।

Shri Bibhuti Mishra : Nepal is a weak country and China, the mighty power is on the other side of Nepal. In what way are we going to help Nepal in her defence measures.

Shri Surendra Pal Singh : The Nepal Government will consider about her defence. It is only after that we come into picture.

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहती हूं। हमें भी इस बात की चिन्ता है कि नेपाल और भारत के लिए चीनी खतरा बना हुआ है। नेपाल के साथ हमारे कुछ समझौते हैं। नेपाल एक स्वतन्त्र देश है और उससे सम्बन्धित ऐसे मामलों की चर्चा यहां विस्तार से करना उचित नहीं है।

Shri Rabi Ray : In view of the hostile attiutude adopted by China towards Burma, have the Govt. of India shown diplomatic sympathy for Burma ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री रंगा : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नेपाल और बर्मा के साथ हाल में चीनी द्वारा की गई घटनाओं को ध्यान में रखते हुई क्या सरकार औपचारिक या अनौपचारिक रूप से भारत, नेपाल और श्री लंका का एक सम्मेलन बुलाने के सम्बन्ध में कुछ प्रयास करेगी, ताकि चीन के आक्रमण के समय कोई संयुक्त सुरक्षात्मक कार्यवाही की जा सके ?

श्री मु० क० चागला : यह एक सुझाव है जिस पर सरकार ध्यान देगी और विचार करेगी कि क्या सरकार इस सुझाव के अनुरूप कार्य कर सकती है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : 17 जून, 1967 को एक गम्भीर घटना हुई हमारा विरोध-पत्र क्या इससे पहले दिया गया था या इसके बाद ? सरकार ऐसा क्या प्रयास कर रही है जिससे नेपाल की भूमि से भारत-विरोधी प्रचार न किया जाये ?

श्री मु० क० चागला : पहला विरोध-पत्र नेपाल को 5 मई, 1967 को भेजा गया था। इसके बाद जब भी कोई ऐसी घटना घटी, नेपाल सरकार का ध्यान उस ओर दिलाया गया है। नेपाल सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि वह ऐसी कार्यवाही करेगी जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटने पायें।

Shri Kameshwar Singh : It is a fact that the rice given to Nepal by India is now being sent to China from the Kathmandu-Lhasa road ?

Shri Surendra Pal Singh : We have no information about it.

श्री हेम बरुग्रा : समाचार पत्रों में यह समाचार छपा था कि कलकत्ते से नेपाल के रास्ते चावल चीन भेजा जा रहा है और चीन से ट्रांजिस्टर, पैन और रेशम आदि उपभोक्ता वस्तुयें भारत में चोरी छिपे लाई जा रही हैं । इसके लिये काठमांडू लहासा सड़क का उपयोग किया जा रहा है । अतः सरकार ने भारत नेपाल सीमा को बन्द करने के लिए क्या उपाय किये हैं, ताकि तस्कर व्यापार रोका जा सके ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न से सम्बन्ध नहीं हैं । मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : सरकार इस बारे में स्पष्ट नहीं हैं । एक समय वह कहती है कि काठमाडू–लहासा सड़क हमारे लिए खतरा है और दूसरी बार वह कहती है कि हम नेपाल के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते । इस बारे में सरकार की स्पष्ट स्थिति क्या है ?

श्री मु० क० चागला : जहां तक भारत की सुरक्षा की दृष्टि से इस सड़क का सम्बन्ध है, हमारे प्रतिरक्षा मंत्री इस पक्ष पर ध्यान दे रहे हैं । जहां तक नेपाल की सुरक्षा का सम्बन्ध है, उसके बारे में नेपाल सरकार सोचेगी । हमारी सुरक्षा को यदि खतरा होगा तो उससे निपटना हमारा कर्तव्य है ।

श्री हेम बरुग्रा : श्री चागला जो उत्तरदायित्व दे रहे हैं, क्या प्रतिरक्षा मंत्री उसे स्वीकार करने को तैयार हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ?

इमर्जेन्सी कमीशन-प्राप्त अधिकारियों की सामाजिक तथा अन्य बातों की पृष्ठभूमि का विश्लेषण

+

***873 श्री मधु लिमये :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इमर्जेंसी कमीशन-प्राप्त अधिकारियों तथा नियमित कमीशन-प्राप्त अधिकारियों की सामाजिक, शैक्षिक तथा वर्गीय (क्लास) पृष्ठभूमि का कोई विश्लेषण अध्ययन किया गया है;

(ख) क्या यह सच कि इमर्जेन्सी कमीशन-प्राप्त अधिकारियों में अधिकतर अधिकारी मध्यम तथा निम्न आय वर्गों के हैं जब कि नियमित कमीशन–प्राप्त अधिकारी सापेक्षतः उच्च आय वर्गों के हैं; और

(ग) इस अध्ययन की अन्य महत्वपूर्ण उपपत्तियां क्या हैं ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) निम्न प्रशिक्षण पाठ्य-क्रमों से कमीशन दिए गए आपाती कमीशन प्राप्त तथा स्थायी कमीशन प्राप्त अफसरों की सामाजिक, आर्थिक तथा शिक्षा सम्बन्धी पृष्ठभूमि का मनोवैज्ञानिक अनुसंधान निदेशालय द्वारा एक विश्लेषण अध्ययन किया गया था :

(1) आपाती कमीशन पाठ्यक्रम 1 से 4 (जून से अक्तूबर 1963)।

(2) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में स्थायी कमीशन पाठ्यक्रम 21 से 28 (जनवरी 1959 से जुलाई 1962)।

(3) भारतीय सैनिक अकादमी में स्थायी कमीशन पाठ्यक्रम 32–33 (जनवरी से जुलाई 1962)।

(ख) विश्लेषण से पता चला कि आपाती कमीशन प्राप्त तथा स्थायी कमीशन प्राप्त अफसरों में से अधिकतम मध्य तथा निम्न वर्गों से आये हैं, यद्यपि ई० सी० ओज की हालत में यह स्थिति अधिक स्पष्ट है।

(ग) अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं :–

(1) शहरी हल्कों से प्रत्याशियों का निष्पादन ग्रामीण प्रत्याशियों से तुलना में अच्छा रहा।

(2) पब्लिक स्कूलों और अन्य अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के प्रत्याशियों कर प्रतिशत, कि जिन्होंने क्वालीफाई किया, अन्य स्कूलों के ऐसे प्रत्याशियों से अधिक रहा, विशेषकर स्थायी कमीशन पाठ्यक्रमों के लिए।

(3) कम से कम शिक्षा अर्हता से अधिक योग्यता वाले प्रत्याशियों का निष्पादन उन प्रत्याशियों से कुछ अच्छा रहा कि जो बिल्कुल कम से कम शिक्षा अर्हता वाले थे।

Shri Madhu Limaye : In the written statement it has been stated that the Emergency Commissioned Officers have by and large come from the middle and lower income groups. Is the hon. Minister aware that after the military exercises held in Sagar, the Chief of Army Staff Shri Kumaramangalam had stated that it would be in the interest of the country to relieve the Emergency Commissioned Officers as early as possible. Are these people, who had served the nation in difficult times, being turned out under pressure from those educated in Sandburst Militray School ?

Shri B. R. Bhagat : I do not know what was said at Sagar. I strongly repudiate the allegation that they are being relieved because the top officers come from high families and have studied in English schools..............(interruptions). We are not going to give recognition to such privliges.

Shri Madhu Limaye : About 600 Emergency Commissioned Officers are going to retire this year or next year. May I know whether the relieved Emergency Commissioned Officers will be shown preference at the time of filling up those vacancies ?

Shri B. R. Bhagat : The Defence Minister has already explained the policy on this question and I cannot add any thing more.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या सच है कि 6000 आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों में से केवल 400 को वैकल्पिक रोजगार दिया गया है और बहुत से लोगों को अपने पहले पदों पर जाने के लिये कहा गया है ? क्या माननीय मन्त्री प्रत्येक अधिकारी को समान श्रेणी के पद पर लगाने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री ब० रा० भगत : प्रश्न का सम्बन्ध अनुसन्धान तथा विकास संगठन द्वारा किये गये विश्लेषण से है। माननीय सदस्य छंटनी किये गये अधिकारियों का ब्यौरा जानना चाहते हैं। ब्यौरा इस सभा में कई अवसरों पर दिया जा चुका है।

Shri George Farnandes : On one hand large scale retrenchment of Emergency Commissioned Officers are taking place and on the other hand they have advertised in the news-papers of 30 th instant for the posts of Permanent Commissioned officers. What is this policy ?

Shri B. R. Bhagat : Recruitment in the army is regular process and it has no relevance with retrenchment. 35-40 percent of the Emergency Commissioned Officers have been found fit and they have been retained while the rest, who have not been found fit are being retrenched under a phased programme.

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। लगभग वैसा ही प्रश्न श्री जार्ज फरनन्डीज ने पूछा है और माननीय मन्त्री ने उसका उत्तर दे दिया है। जब मैंने प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : आपको उत्तर मिल गया।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : सेवा निवृत्ति के पश्चात् इन सैनिक अधिकारियों के लिये सरकारी क्षेत्र की नोकरियों की सिफारिश की गई है या निजी क्षेत्र की नोकरियों की ?

श्री ब० राव० भगत : उनमें से बहुत से लोगों के लिये दोनों क्षेत्र की नौकरियों की सिफारिश की गई है।

Shri Sidheshwar Prasad : In the statement it has been stated that the rural people have come in a smaller number in the Emergency Commission as compared to the urban people. Will the Government encourage the rural to come forward in larger numbers ?

Shri B. R. Bhagat : Emergency Commission is open to all. Advertisement is given and I would like the rural people to come forward in a larger number. The hon. Members and other people should give publicity to it.

श्री उमा नाथ : माननीय मन्त्री ने बताया है कि पहले चरण में छंटनी किये गये 1400 व्यक्तियों में से अभी तक 1000 लोग बेरोजगार हैं। इससे एक वास्तविक खतरा है, क्योंकि वे निराश हो कर विदेशी दूतावासों में नौकरियां तलाश कर रहे हैं। इस प्रस्ताव पर सरकार को क्या आपत्ति है कि वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध होने तक छंटनी को रोक दिया जाये ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : ऐसे व्यक्तियों को रखने से जिनकी छंटनी करनी है, सेना में कार्यकुशलता और अनुशासन की भावना नहीं बढ़ती है। ऐसा करना दोनों के हित में है, सेना के भी और उन लोगों के भी हित में है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि वे केवल आपात्काल के लिये ही भर्ती किये गये थे। प्रशासनिक दृष्टि से यह संभव नहीं है कि केवल इस आशा में हम उनको सेना में रखे रहें कि उनको कोई और काम मिल जायेगा। जो पास कर लेते हैं और जिनका काम अच्छा दिखाई देता है, उनको स्थायी रूप से ले लिया जाता है। उनकी संख्या 35 से 40 प्रतिशत तक है। अन्य व्यक्तियों के लिये रोजगार तलाश करने के प्रयत्न किये जाते हैं।

प्रेस परिषद् की स्थापना

+

*** 874. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री ज्योतिमय वसु :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रेस परिषद् की स्थापना के बारे में मतभेदों को दूर करने के लिये कोई नया सूत्र निकाला है ;

(ख) यदि हां, तो नये सूत्र की मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) नई परिषद् कब स्थापित हो जायगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, नहीं। प्रेस परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 4 के अन्तर्गत प्रेस परिषद् के गठन का काम मुख्यतः सेलेक्शन समिति का है, जिसके सदस्य हैं भारत के मुख्य न्यायाधिपति, प्रेस परिषद् के अध्यक्ष भारत संघ के राष्ट्रपति द्वारा नामित एक व्यक्ति।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) पूरे सदस्यों के साथ परिषद् 16 नवम्बर, 1966 को स्थापित कर दी गई थी इसका कार्य-काल 3 साल है। किसी नई परिषद् को स्थापित करने का प्रश्न नहीं उठता।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न संख्या 899 को भी इसके साथ ही ले लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : हां।

प्रेस परिषद्

+

*** 899. श्री मधु लिमये :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री ज्योतिमय बसु :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या प्रेस परिषद् सम्बन्धी नये सूत्र के बारे में सरकार और भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष के बीच गहरा मत भेद है ;

(ख) यदि हां, तो बुनियादी मत भेद क्या है ; और

(ग) सरकार ने इन मतभेदों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) प्रेस परिषद् का कोई नया फार्मूला नहीं है तो भी प्रेस परिषद् और श्रमजीवी पत्रकार संघ के मत-भेद को गैर सरकारी ढंग से दूर करने के प्रयत्न जारी हैं। सरकारी तौर पर सरकार अधिक सहायता कर नहीं सकती।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : श्रम जीवी पत्रकारों का संघ इस परिषद् में क्यों शामिल नहीं हो रहा है ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी। श्रमजीवी पत्रकारों के संघ द्वारा दिये गये 20 नामों में से प्रेस परिषद् में 4 को नामजद कर दिया गया है। प्रेस परिषद् ने उनकी नामजदगी से पहले लिखित में उनकी सहमती प्राप्त कर ली थी। परन्तु प्रेस परिषद् के गठन के बाद उन्होंने त्याग पत्र दे दिया उनकी शिकायत यह है कि परिषद् का गठन अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नहीं किया गया।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या प्रेस परिषद की कोई बैठक हुई थी और यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय किये गये।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : प्रेस परिषद की एक बैठक हुई थी। चारों सदस्यों के त्याग पत्र का मामला अध्यक्ष से ही सम्बन्ध रखता था। फिर भी अध्यक्ष ने पूरी प्रेस परिषद को विश्वास में लिया। मामला लम्बित था। उन्होंने चारों सदस्यों को एक पत्र लिखा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या श्रमजीवी पत्रकारों की संस्था के प्रतिनिधियों को प्रेस परिषद में लिया जायेगा ? यदि हां तो कितने प्रतिनिधियों को ? क्या किसी ऐसे व्यक्ति को भी लिया जायेगा जिसे संस्था द्वारा नामजद नहीं किया जाता ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : जी हां। आरम्भ में श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रतिनिधियों को लिया गया था परन्तु बाद में उन्होंने एक त्यागपत्र दे दिया। सरकार द्वारा तीन संस्थाओं की अधिसूचना की गई थी, अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन, श्रमजीवी पत्रकार संघ तथा प्रेस संस्था। प्रेस परिषद ने इन तीनों में से प्रत्येक संस्था में से नामों की तालिकायें मांगी थीं और बाद में इन तीनों संस्थाओं द्वारा दी गई सूचियों में से नाम लिये गये थे।

मंत्रालयों के गठन तथा पुनवर्गीकरण के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश

+

*875. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री श्रीधरन :
श्री विश्वम्भरन :
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री कामेश्वर सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने एक नया विज्ञान ओद्योगिकी मंत्रालय बनाने के बारे में अपने अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिश तथा विभाग के पुनवर्गी-करण के बारे में एक अन्य सिफारिश पर अपने विचार व्यक्त किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके विचार क्या हैं तथा सरकार का विचार कौन सी सिफारिशों को तुरन्त स्वीकार कर लेने का है तथा वे कब लागू की जायेंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-मंत्री (डा० सरोजनी महिषी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्री बाबूराव पटेल : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि खाद्य तथा कृषि मंत्री को कुछ भी जिन्स उगाने के लिए जल और उर्वरकों की आवश्यकता होती है क्या सिचांई उर्वरको को खाद्य तथा कृषि मंत्रालयमें शामिल नहीं किया जाना चाहिये, जिससे कि जब हम उनके बारे में प्रश्न करें तो खाद्य मंत्री को यह न कहना पड़े कि हम पेट्रोलियम और रसायन मंत्री के पास जायें !

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : यह सच है कि सिंचाई और अन्य विषयों का गहरा सम्बन्ध है, परन्तु यदि माननीय सदस्य इन मामलों पर ध्यान से विचार करें तो वह देखेंगे कि सरकार के लगभग सभी मामलों का आपस में गहरा सम्बन्ध है । विभिन्न मंत्रालयों में गहरा समन्वय है ।

Shri Madhu Limaye : Because these matters are linked with 2 or 3 departments, therefore you should reply to those.

श्री बाबू राव पटेल : ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को 'वाणिज्य' और 'उद्योग' शब्दों के सही अर्थ का ज्ञान नहीं है । उन्होंने कपड़ा, बागान और ग्राम उद्योगों को वाणिज्य मंत्रालय में रखा है जबकि समवाय कार्य को, जो कि व्यापार और वाणिज्य का अंग होना चाहिये, औद्योगिक विकास मंत्रालय में रखा है । क्या यह भी एक धर्मनिपेक्ष मिश्रण है ? इसे कब समाप्त किया जायेगा ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं समझती हूँ कि माननीय सदस्य के पास नये विचारों ओर सुझावों का बाहुल्य है वह प्रशासनिक सुधार आयोग के सदस्यों से मिल सकते हैं ।

श्री श्रीधरन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक मंत्री बिना विभाग के मंत्री हैं और कुछ मंत्री फालतू भी हैं, क्या सरकार विज्ञान तथा औद्योगिकी का एक मंत्रालय बनायेगी और उसे बिना विभाग के मंत्री के सुपुर्द करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत ही उपयोगी सुझाव है और सरकार इसके लिये बहुत आभारी है।

श्री विश्वम्भरम : क्या प्रधान मंत्री ने बिना विभाग के मंत्री को कोई काम सौंपा है और यदि हां, तो क्या ?

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : उनको कुछ काम दिया गया है। अभी अभी मेरी ओर से उन्होंने खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में बिहार का दौरा किया है। दुर्भाग्य से बीच में वह कुछ अस्वस्थ हो गये थे (व्यवधान)। परन्तु शीघ्र ही वह अपने काम पर पुनः जाने वाले हैं।

Shri Kameshwar Singh : By what time the Ministry of Science and Technology will be constituted and what advantages will accrue from it ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह एक सुझाव है जो कि अध्ययन दल द्वारा प्रशासनिक सुधार आयोग को दिया गया है। यह अभी सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री दामानी : प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की जांच करने और उनको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी किसकी है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : सरकार के पास आने से पहले अध्ययन दलों की सिफारिशों की जांच पहले प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की जायेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस देश में आत्मनिर्भरता की बढ़ती हुई मांग और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कार्य के बारे में प्राप्त गंभीर शिकायतों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय को पुनर्जीवित करने का है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : विशिष्ट मंत्रालय बनाने पर हमने विचार नहीं किया है, क्योंकि हम प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री विश्वनाथन : क्या सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की सभी सिफारिशों को स्वीकार किया जायेगा।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हम यह आश्वासन कैसे दे सकते हैं ? उन पर निश्चय ही बहुत गम्भीरता से विचार किया जायेगा।

श्री हेम बरुआ : क्या विधायकों द्वारा शीघ्र राजनीतिक दल बदल लिये जाने के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग से कोई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं, यदि नहीं तो क्या इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार कोई सूत्र (फार्मूला) बना रही है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ और मैं इस प्रकार की प्रवृत्ति का समर्थन नहीं करती ।

वियतनाम में परमाणु हथियारों का प्रयोग

\+

* 877. श्री उमानाथ : श्री प० गोपालन :
श्री वि० कु० मोदक : श्री चक्रपाणि :
श्री भगवान दास : श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका द्वारा वियतनाम में परमाणु हथियारों के प्रस्तावित प्रयोग के सम्बन्ध में सरकार को कोई जानकारी है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री उमानाथ : अमरीका में पिछले चुनावों के दौरान श्री गोल्डवाटर अपने प्रतिद्वन्दी उम्मीदवार राष्ट्रपति जौनसन से लगातार यह मांग करते रहे हैं कि उन्हें यह स्थिति स्वीकार करनी चाहिये कि वह वियतनाम में परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करेंगे । निर्वाचन के दौरान राष्ट्रपति जौनसन ने इस मांग से इन्कार नहीं किया है । इसका अभिप्राय यह है कि वियतनाम में परमाणु अस्त्रों के प्रयोग किये जाने का मामला एक खुला प्रश्न है ।

अध्ययक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है । इसका इससे क्या सम्बन्ध है ।

श्री उमानाथ : मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जहां तक इस प्रशासन का सम्बन्ध है, वियतनाम में परमाणु अस्त्रों का प्रयोग किये जाने का मामला अभी भी खुला प्रश्न है । मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष हमारे प्रतिनिधि इस प्रश्न पर अमरीका सरकार से बात चीत करेंगे और उनसे यह आश्वासन लेंगे कि जहां तक वियतनाम का सम्बन्ध है वे किसी भी समय वहां परमाणु अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे ।

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : जहां तक मेरी जानकारी है अमरीका के किसी भी पदाधिकारी ने चाहे वह सरकार में हो या प्रशासन में, किसी भी समय ऐसा नहीं कहा कि उनका विचार वियतनाम में परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करने का था । मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि वे गैर सरकारी और प्रेस के लोग हो सकते हैं । जैसा कि आप जानते ही हैं कि अमरीका में हजारों लोग लड़ाई भड़काने वाले हैं । उनमें से बहुत से बहुत लोग जोशिले हैं । मेरी जानकारी में सरकारी तौर पर ऐसा कभी भी नहीं कहा गया कि अमरीका कभी वियतनाम में परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करेगा ।

श्री उमानाथ : हाल ही की प्रेस रिपोर्ट में बताया गया है कि अमरीका की एक पनडुब्बी परमाणु अस्त्रों से लैस वियतनाम के निकट पानी में घूम रही है और एक ऐसी पनडुब्बी जापान तथा अन्यत्र भी गई। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रश्न पर नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष विचार परामर्श करेंगे कि उन स्थानों में पानी में पनडुब्बियों के घूमने से न केवल वियतनाम को ही खतरा है बल्कि दक्षिण पूर्वी ऐशिया के लोगों को भी खतरा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रश्न पर हमारी सरकार द्वारा बातचीत की जायेगी।

श्री मु० क० चागला : स्पष्टतया इस पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता, जब तक कि कोई और इसका उल्लेख नहीं करता। यह पोलारिस पनडुब्बी परमाणु अस्त्रों से लैस समुद्रों में है। परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इसका प्रयोग वियतनाम के विरुद्ध किये जाने का इरादा है।

श्री उमानाथ : क्या हमारी सरकार के विचार से इससे खतरा उत्पन्न नहीं होता है ?

श्री मु० क० चागला : जहां तक जानकारी का सम्बन्ध है वियतनाम को स्थल, समुद्र या वायु से किसी प्रकार के परमाणु अस्त्रों का खतरा नहीं है।

श्री प० गोपालन : मै यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि प्रशान्त महासागर में स्थित सातवां जहाजी बेड़ा प्रक्षेपणास्त्रों से लैस है, यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने अमरीकी सरकार को इसका विरोध पत्र भेजा है और यह कहा है कि प्रशान्त महासागर में सातवां जहाजी बेड़े का खड़ा रहना भारत की सुरक्षा के लिये खतरनाक है ?

श्री मु० क० चागला : मेरी समझ में नहीं आता कि हम इसका विरोध कैसे कर सकते हैं। अमरीका का जहाजी बेड़ा कहीं भी सागर में खड़ा हो सकता है। जब तक वह हमारे देश की पानी की सीमा में नहीं आता तब तक हम इसका विरोध नहीं कर सकते। महा समुद्र किसी भी देश के जहाजी बेड़े के लिये खुला है। उदाहरण के तौरपर रूसी जहाजी बेड़ा मध्य सागर में है। इसी प्रकार अमरीका का जहाजी बेड़ी प्रशान्त महासागर में है। हम अमरीका को क्या विरोध पत्र भेज सकते हैं ? उन्हें यह कह सकते हैं कि वे अपना जहाजी बेड़ा कहां रखें ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : वियतनाम में परमाणु अस्त्रों का प्रयोग किया जाना भारत के लिये भी खतरनाक होगा। मैं यह जान सकता हूं कि क्या विदेश मंत्री या उनके मंत्रालय ने वाशिंगटन पोस्ट में मार्च 1967 के पहले सप्ताह में प्रकाशित वियतनाम में परमाणु अस्त्रों के प्रयोग के सम्बन्ध में लेख पढ़ा है।

श्री मु०क० चागला : मुझे खेद है कि इस समय मुझे याद नहीं है कि पहली मार्च, 1967 को 'वाशिंगटन पोस्ट' में कथा लेख प्रकाशित किया गया था।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या माननीय मन्त्री को इस बात का पता है कि अमरीका द्वारा वियतनाम में लड़ाई की पूरी तैयारी की जा रही है और उनके प्रतिरक्षा सचिव श्री

मैकनामारा इस प्रयोजन से ही उत्तरी वियतनाम का दौरा कर रहे हैं ? क्या माननीय मन्त्री को अमरीका के दौरे के समय इस सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त हुई थी ?

श्री मु० क० चागला : पूर्ण लड़ाई का अर्थ परमाणु युद्ध से नहीं है । इस समय जिस प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं वह यह है कि क्या वियतनाम के विरुद्ध परमाणु अस्त्रों के प्रयोग किये जाने की हमें जानकारी है । क्या लड़ाई फैली है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में मुझे जानकारी नहीं है । वियतनाम में लड़ाई फैलने से मुझे दुख होगा । लेकिन प्रश्न विशेषकार वियतनाम के विरुद्ध परमाणु अस्त्रों के प्रयोग किये जाने से सम्बन्धित है । जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हमें इस बात की भी कोई जानकारी नहीं है कि अमरीका का इरादा वियतनाम के विरूद्ध परमाणु अस्त्रों के प्रयोग करने का है ।

श्री पें० वेंकटा सुब्बैया : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे प्रतिनिधि और नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष ने सरकार को इस मामले में कोई रिपोर्ट भेजी है ?

श्री मु० क० चागला : इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री ज्योतिमय बसु : यदि सरकार वास्तव में जानकारी एकत्रित करने की इच्छुक है तो उसने 'वाशिंगटन पोस्ट' में प्रकाशित रिपोर्ट की उपेक्षा क्यों की है ।

श्री नायनार : मै यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत, जो कि इस आयोग का अध्यक्ष है, को इस बात की जानकारी है कि अमरीका उत्तरी वियतनाम के नागरिकों और देश भक्तों के विरूद्ध नेपाल बम जहरीली गैस और टैक्सिक रसायनों का प्रयोग कर रहा है, जबकि हिटलर भी इतना निर्दयी नहीं था कि उसने जमाव कैम्पों में जहरीली गैस का प्रयोग किया हो। यदि हां, तो क्या उन्होंने आयोग के अध्यक्ष की हैसियत से अमरीका सरकार को उन चीजों का प्रयोग करने के लिये विरोध किया है ?

श्री मु० क० चागला : जेनेवा समझौते के अन्तर्गत आयोग के सीमित कार्य की सभा को महसूस करना चाहिये । आयोग में तीन सदस्य हैं और भारत उसका अध्यक्ष है ।

श्री रंगा : क्या वह कार्यकर रहा है ?

श्री मु० क० चागला : जी हां । जब कोई शिकायत आयोग को प्राप्त होती है तो वह दूसरे पक्ष से वास्तविकता बताने को कहता है । तब शिकायत की जांच होती है और एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जो गोपनीय होती है और जो रूस और अमरीका को दी जाती है, जो इसके सह-अध्यक्ष हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा : अब चीन ने हाइड्रोजन बम बना लिया है और मैं यह जानना चाहता हूं किक्या परोक्ष रूप से यह पता लगा है कि अमरीका के राष्ट्रपति ने कोई वक्तव्य दिया है कि चाहे कुछ भी हो वे उस क्षेत्र में परमाणु अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे ।

श्री मु० क० चागला : सर्वप्रथम तो यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता । हम वियतनाम पर चर्चा कर रहे हैं। दूसरे, मैं वाक्य को ठीक प्रकार नहीं समझ सका ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या अमरीका के राष्ट्रपति ने कोई ऐसा वक्तव्य दिया है कि वह इस क्षेत्र में परमाणु युद्ध नहीं करेंगे ?

श्री मु० क० चागला : मै नहीं समझता कि अमरीका ने कोई ऐसा वक्तव्य दिया है कि यदि चीनी हाइड्रोजन बम का प्रयोग किसी देश के विरुद्ध करेगा तो क्या होगा ?

श्री स्वैल : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अमरीका के राष्ट्रपति का चुनाव अगले वर्ष है, क्या यह तथ्य है कि अमरीका सरकार विशेषकर राष्ट्रपति जौनसन वियतनाम में इस युद्ध को समाप्त करने की जल्दी में है और उत्तरी वियतनाम के विरुद्ध खतरनाक कदमों के उठाये जाने की सम्भावना है, जिसमें परमाणु अस्त्रों का प्रयोग भी शामिल है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता ? क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है ?

श्री मु० क० चागला : मैं यह उचित नहीं समझता कि किसी देश की घरेलू नीतियों की हम चर्चा करें।

श्री अमृत नाहाटा : क्या सरकार यह आशा करती है कि जब कभी अमरीका वियतनाम पर परमाणु बम से हमला करेगा तो वह भारत सरकार को इसकी सूचना देगा और जब कभी अमरीका वियतनाम पर परमाणु बम का प्रयोग करेगा तो भारत का क्या रवैया होगा ?

श्री मु० क० चागला : माननीय सदस्य द्वारा जो शब्द 'यदि' और 'जब' प्रयोग किये गये हैं उनसे यह प्रतीत होता है कि प्रश्न कल्पित है।

डा० सुशीला नैय्यर : क्या सरकार को इस बात की सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ देश रासायानिक और जीवाणुनाशी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं ?

श्री मु० क० चागला : जी नहीं, सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

Shri Jaganath Rao Joshi : I want to know the steps taken by the Government in taking into consideration the peace proposal in Vietnam suggested by the Ex-President, that an International Police Force should be kept there.

श्री मु० क० चागला : इसका इस समय प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि वहां युद्ध जारी है और समझौता होने के अभी कोई संकेत नहीं मिले हैं। हमारी नीति स्पष्ट है। जब संघर्ष समाप्त हो जायेगा उसके बाद विश्व निकाय वियतनाम में स्थायी शान्ति स्थापित करने का विचार करेगा।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : जब राष्ट्रपति ने यह सुझाव दिया था तो आपको इस पर कार्यवाही करनी चाहिये थी।

समाचारपत्रों द्वारा चोर बाजारी

+

*878. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री भगवान दास :
श्री उमानाथ :
श्री वि० कु० मोदक :
श्री चक्रपाणि :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में समाचार पत्रों के विरुद्ध अखबारी कागज की चोर बाजारी करने के कितने मामलों की शिकायतें प्राप्त हुई थी ;

(ख) उनमें से कितने मामले कलकत्ता के थे ;

(ग) अखबारी कागज की चोरी कौन-कौन से समाचारपत्र कर रहे थे तथा तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ;

(घ) कितने समाचारपत्रों का कोटा रद्द किया गया है ; और

(ङ) क्या कलकत्ता का कोई समाचारपत्र किसी विदेशी सरकार के लिये पर्चियां छापने के लिये अखबारी कागज का प्रयोग करता हुआ पाया गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमति नन्दिनी सत्पथी) (क) गत पांच वर्षों में अखबारी कागज की चोर बाजारी करने के बारे में 127 अखबारों के सम्बन्ध में आरोप लगाये गये ।

(ख) छः

(ग) सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया है । **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये एल० टी० संख्या 874/67]**

(घ) एक समाचार पत्र के सम्बन्ध में, आयात व्यापार नियन्त्रण नियमों (इम्पोर्ट ट्रेड कन्ट्रोल रेगुलेशनज्) को तोड़ने के कारण, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के चीफ़ कन्ट्रोलर ने प्रकाशन को दो वर्षों के लिये अखबारी कागज का लाइसेन्स देने से विवर्जित कर दिया है । शेष मामलों में स्वीकृत प्रचार संख्या के आधार पर अखबारी कागज का कोटा संमजित कर दिया गया ।

(ङ) जी, नहीं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कलकत्ता में श्री अतुल्य घोष द्वारा चलाये जा रहे 'जनसेवक' समाचार पत्र द्वारा चोरी बाजारी की जाने के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं; यदि हां, तो क्या सरकार ने मुद्रण विभाग के बिजली के बिल प्राप्त कर लिये हैं और बिजली के करेन्ट की सहायता से प्रयुक्त किये गये अखबारी कागज का विश्लेषण किया है ।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : 'जन सेवक' के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है, परन्तु वह चोर बाजारी की नहीं है। बल्कि वह अखबार की निर्यात की गई प्रतियों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताये जाने के सम्बन्ध में है। परिचालन सम्बन्धी दल ने इसकी जांच की है। सभा पटल पर जो वक्तव्य रखा गया है उसमें यह उल्लेख किया गया है कि अखबारी कागज का कोटा घटा दिया गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : परिचालन को बढ़ा चढ़ाकर बताने से अखबार का क्या प्रयोजन था और सरकार ने श्री अतुल्य घोष के समाचार पत्र 'जन सेवक' के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है।

एक माननीय सदस्य : कोटा घटा दिया गया है।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : केवल 'जन सेवक' ही नहीं अपितु और दूसरे बहुत से समाचार पत्रों ने परिचालन के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है। जब कोई शिकायत प्राप्त होती है तो परिचालन दल इसकी जांच करता है और तब ही कोई कार्यवाही की जाती है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जनसेवक' को छोड़ दिया गया है। इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि एक दल वहां गया था और दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने के परिणाम स्वरूप कोटे को घटा दिया गया है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से यही पता लगता है कि अखबारी कागज का प्रयोग केवल कलकत्ते तक ही सीमित है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके पीछे कोई कारण है ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : जी, नहीं ! यह केवल कलकत्ते तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि इस सम्बन्ध में 127 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और वह देश के विभिन्न भागों से हैं।

Shri Madhu Limaye : The Hon. Minister has just now told that 127 complaints have been receive against newspapers. I want to know whether it includes 'the New Prabhat Publications' of Ahemdabad whi h have started bogus news papers and bogus people's edition ? Whether any complaint of this type has been received ? These papers have alway been encouraged by our Finance Minister and Information and Broadcasting Minister.................(interruptions) I want to know the information. I do not speak without proofs. Information may be supplied to me.

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है।

Shri Madhu Limaye : The Information has already been supplied. I have written in this connection to the Minister of Information and Broadcasting. Now the Hon. Minister says that she has not received any letter and she has got no information in this gard.

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : उस सूची में इस समाचार पत्र का उल्लेख नहीं किया गया है । इस समय इस मामले के सम्बन्ध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : Its details should be given.

अध्यक्ष महोदय : उनके पास जानकारी के उपलब्ध नहीं है ।

Shri Abdul Ghani Dar : It has been told that the quota has been reduc d on a receiving complaints and the compla nts of similar nature have been received about other papers also. They are misusing the quota. Whether the Government would take any action against those papers who have misused the quota and would punish them for it ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : जब परिचालन सम्बन्धी दल को जांच करने के बाद यह पता लगता है कि परिचालन सम्बन्धी रिपोर्ट बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है, तो उन समाचार पत्रों को दिया जाने वाला अधिक कोटा दो या तीन वर्षों में समायोजित कर लिया जाता है और कभी कभी तो शत प्रतिशत अखबारी कागज के कोटे को एक वर्ष के अन्दर समायोजित कर लिया जाता है, जब उस समाचार पत्र को चलाया जाना संभव हो । समाचार पत्र को समाप्त करने की हमारी नीति नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह स्पष्टतः चोर बाजारी का मामला है । सरकार उनकी रक्षा कर रही है । यह बहुत गम्भीर मामला है ।

श्री सेझियान : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य से यह स्पष्ट होता है कि सामान्यतया छोटे समाचार पत्रों का कोटा घटाया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार छोटे और बड़े समाचार पत्रों में भेदभाव कर रही है और जब कभी जांच की जाती है तो केवल छोटे समाचार पत्रों को पकड़ लिया जाता है और बड़े समाचार पत्रों को छोड़ दिया जाता है ।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : यह तथ्य नहीं है । वास्तव में सामान्यतः परिचालन सम्बन्धी दल छोटे तथा बड़े समाचार पत्रों की जांच करता है ।

Shri Prem Chand Verma : I want to know the number of complaints proved to be false out of the 127 complaints received by Government.

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : पांच वर्ष की अवधि में 127 शिकायतें प्राप्त हुई हैं । इनका उल्लेख समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट में प्रति वर्ष किया जाता है । वह रिपोर्ट सभा पटल पर रख दी गई है ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : इस प्रकार से अखबारी कागज का दुरुपयोग किये जाने से भारतीय प्रेस की बदनामी होती है । क्या प्रेस संस्था के पास इस प्रकार की शिकायतों के साथ निपटने के लिये कोई व्यवस्था है । यदि हां तो इस सम्बन्ध में इस संस्था ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : जैसा कि मैंने पहले ही कहा है समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय के साथ परिचालन सम्बन्धी दल जुड़ा होता है और वह इन शिकायतों की जांच करता है ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

भाड़े की दरों पर अधिभार

अ. सू. प्र. संख्या*21. श्री जार्ज फरनेन्डीज : **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री मधु लिमये : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम एशिया की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अमरीकी तथा अन्य पश्चिमी नौवहन कम्पनियों ने भाड़े की दरों पर अधिभार लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो कितना अधिभार लगाया गया है और भारतीय आयात तथा निर्यात पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) इस अधिभार को हटवाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या भारतीय नौवहन कम्पनियों ने भी इसी प्रकार का अधिभार लगाया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के आर० वी राव) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०-875/67**]

Shri George Fernandes : While during five years from 1961 to 1966 the shipping lines of U. K. and U. S. A. increased the freight rates in respect of other parts of the country by 6 to 16 per cent, the increase in freight rates in respect of India during these five years was 30 per cent.

After devaluation last year, the increase in freight rates automatically rose to 57½ per cent. The increase has now become 100 per cent after increase of 17½ to 25 per cent in one year by these shipping companies. Will the hon. Minister kindly state the reasons therefor ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : जहां तक 1966 का सम्बन्ध है, मेरी जानकारी के अनुसार दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है । भाड़े में निरन्तर वृद्धि से हम प्रसन्न नहीं है । परन्तु

मुझे बताया गया है कि परिचालन लागत. मजूरी आदि में वृद्धि को पूरा करने के हेतु, सामान्यतः जहाजी कम्पनियों के प्रति दो वर्ष में अपनी दरें अवश्य बढ़ाती हैं। जहां तक हमारे मामले का सम्बन्ध है, कम्पनियों ने इस वर्ष मार्च में 10 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की थी। हमने तुरन्त इस वृद्धि का विरोध किया और आपत्ति की। हमने कहा कि यदि आवश्यक हो, तो इन दरों पर विचार-विमर्श करने के लिये हम एक प्रतिनिधि मण्डल भेजेंगे परन्तु हम भाड़े में दस प्रतिशत वृद्धि को स्वीकार नहीं करते। इसके बाद विचार विमर्श के परिणामस्वरूप अनेक वस्तुओं पर यह भाड़े की दर घटा कर दी गई-कुछ मामलों में 3½ प्रतिशत, कुछ 5 प्रतिशत, कुछ में 7½ प्रतिशत-जिससे औसत दर 10 प्रतिशत की अपेक्षा लगभग 7½ प्रतिशत हो गई। तब भी हम सन्तुष्ट नहीं थे। हम भाड़े में 10 प्रतिशत वृद्धि के समूचे प्रश्न पर आपत्ति उठाना चाहते थे। वे दरें अब भी अनिर्णीत हैं, वे अभी लागू नहीं हुए हैं। इस बीच में पश्चिम एशिया का संकट आ गया। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य पश्चिम एशिया संकट और भाड़े की दरों में वृद्धि के बीच सम्बन्ध जानना चाहते हैं। मैं लाइनर यातायात की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि लाइनर यातायात तो वह है जहां पर दरें सम्मेलनों के परिणामस्वरूप लागू की जाती हैं। अमरीका से भारत के लिये भाड़े की दरें 25 प्रतिशत बढ़ी हैं। [अन्तर्बाधाएं] क्या मैं अपना उत्तर जारी रखूं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को माननीय सदस्यों से अनुमति की अपेक्षा करनी चाहिए। उन्हें मेरी ओर देखना चाहिए। यदि उत्तर लम्बे होने की संभावना थी, तो मंत्री महोदय को सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत करना चाहिए था। यह मैं भविष्य के लिये कह रहा हूं।

डा० वी० के० आर० वी० राव : अमरीका को ऐसे भाड़े की दरें 25 प्रतिशत बढ़ाई गई हैं और भारत से अमरीका को निर्यात पर दरें प्रतिशत बढ़ाई गई हैं। भारत-ब्रिटेन मार्ग पर दरें 17½ प्रतिशत बढ़ाई गई हैं। हमने भाड़े में इस वृद्धि पर आपत्ति उठाई है, हमने विरोध प्रकट किया और सभी व्यापारिक संगठनों और निर्यातकों की परिषदों ने भी विरोध प्रकट किया है। हमने कहा है कि इन दरों को लागू नहीं किया जाना चाहिए और हम इन बातों पर उनके साथ विचार-विमर्श करने के लिये एक प्रतिनिधि मण्डल भेजना चाहेंगे।

Shri George Fernandes : Mr. Speaker, my first question has not been answered. I wanted to know the reasons for this partisan treatment with India by the shipping companies of U. K. and U. S. A.

डा० वी० के० आर० वी० राव० : तीन प्रश्न पूछे गये थे और मैं पहले का उत्तर दे चुका हूं। दूसरे प्रश्न के बारे में, यह सच है कि अवमूल्यन के पश्चात् हमने अनुभव किया कि भाड़े की दरों में और वृद्धि नहीं हो गई लेकिन अवमूल्यन से इन विदेशी कम्पनियों को भारत में खर्च के सम्बन्ध में ही लाभ होता है अर्थात जब वे भारतीय बन्दगाहों पर माल खरीदते हैं

अथवा शुल्क देते हैं और यह लगभग 5 प्रतिशत बनता है। इसलिये अवमूल्यन अपने आप में हमारे यह कहने का पर्याप्त तर्क नहीं है कि भाड़े की दरों में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए।

तीसरे प्रश्न के बारे में, वृद्धि समूचे विश्व में लागत तथा मजदूर बढ़ने के कारण हो रही है। लेकिन माननीय सदस्य को यह बता दूं कि हम इस वृद्धि को स्वीकार नहीं करते और आपने विरोध प्रकट किया है।

श्री वासुदेवन नायर : क्या लाभ है ? वे कितनी ही बार विरोध प्रकट कर चुके हैं।

डा० वी० के० आर० वी० राव : हम इन मामलों को लेकर युद्ध नहीं कर सकते। हम तो विरोध प्रकट कर सकते हैं। यदि हम बातचीत में सफल नहीं होते हैं, तो हम इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ व्यापार सम्मेलन में उठाने के बारे में माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करेंगे।

Shir Georg Fernandes : In view of the fact that after devaluation there has been double-fold increase in freight rates as a result of devaluation and surcharge and that the U. N. Conference of Trade and Development had recommended to continue for sometime the existing rates before making any increase, will Government take up this matter with this body or any other U. N. Organisation concerned with the issue since the attitude of shipping companies of U. K. and U. S. A towards India is not proper ?

डा० वी०के०आर० वी० राव : इस बारे में कुछ गलतफहमी है। भाड़े की दरों में वृद्धि केवल भारत के लिये ही नहीं अपितु अमरीकी तट से हिन्द महासागर और प्रशान्त महासागर के देशों के लिये सभी आयात और निर्यात के लिये हैं।

Shri George Fernandes : At the time of devaluation the incerase has gone up to 57½ per cent.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister has mentioned in his statement that the most Asian crisis has also pushed up the demand for tramp vessels in the world charter market. I think that Jayanti Shipping Company was trying very much to advance in tramp vessels. Jayanti Shipping Company has now been taken over by Government May I know the action being taken by the hon. Minister to increase the number of ships of this country through the development of this company ? The hon. Minister may also state whether the freight rates of tankers, which carry shipments of oil and petroleum products, are also being increased and whether U. S. S. R. and Rumania have demanded an increase of 115 per cent in rates and whether U. S. A. and West European countries have also made a similar demand ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं माननीय सदस्य से निश्चय ही सहमत हूं कि हमें अपने जहाजों की संख्या बढ़ाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। हमने एक तथ्य निर्धारित किया है और अतिरिक्त टनभार के अधिकांश भाग जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया, के लिये हम बड़े जहाज तथा टैंकर खरीदना चाहते हैं, कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये हमें आवश्यक धन चाहिए। इसमें कोई संशय नहीं है कि पश्चिम एशिया के संकट के कारण ट्रैम्प और चार्टर जहाजों की भाड़ें की दरों में बहुत वृद्धि हो गई है। पहले जो आंकड़े मैंने दिये थे, वे लाइनरों के बारे में थे। खाद्यान्न, उर्वरक आदि के आयात के लिये जहाज चार्टर

करने की दरों में 25 से 60 प्रतिशत के बीच वृद्धि हुई है। रूसी लाइन के बारे में सोवियत संघ और पूर्व एशिया के देशों के साथ हमारे व्यापार के लाइनर यातायात में 35 प्रतिशत वृद्धि करने का प्रस्ताव है, और तेल और मिट्टी के तेल आदि के बारे में मैं समझता हूं कि 100 से 112 प्रतिशत तक वृद्धि करने का प्रस्ताव है। पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय सम्बन्धित संगठनों से बातचीत कर रहा है। जब तक हमारे अपने काफी जहाज और टैंकर नहीं हो जाते, हमें हमारे पास बातचीत करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है।

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister just now state that American charge on exports to India has been raised by 25 per cent, and on exports from India to America by 20 per cent. Does it not mean that the rates on essential supplies to India such as wheat and machine products etc., which are already exhorbitant have been raised still further and a lesser increase has been effected in case of raw material exports to U. S. A. so as to facilitate their procurement ?

Yet another point arises from it that the Jayanti Shipping Company, which had passed all limits of honesty, could run ships worth Rs. 20 crores only but our Government Corporation is able to operate its ships worth Rs. 20 crores only with their capital of Rs. 20 crores. Are we to take it that the State Corporation suffers more from lack of honesty ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य मुझ से विभिन्न व्यक्तियों की ईमानदारी के प्रश्न पर उत्तर की आशा नहीं करते हैं लेकिन जहां तक दूसरे प्रश्न का, भाड़े की दरों में 25 प्रतिशत वृद्धि के बारे में, सम्बन्ध है मैं सभा को पहले ही बता चुका हूं कि हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि कुछ समय पहले प्रस्तावित 10 प्रतिशत वृद्धि भी इसी में शामिल समझी जाये। हमने यह भी व्यक्त किया है कि अमरीकी जहाजी कम्पनियों द्वारा मांगी गई भाड़े की दरों में वृद्धि चर्चा का विषय नहीं है, और हमें आशा है कि हम दरों को कम कराने में सफल होंगे।

Dr. Ram Manohar Lohia : Please also reply the question about honesty :

डा० वी० के० आर० वी० राव : जब 10 प्रतिशत वृद्धि की गई, तो हमने उनसे विभिन्न वस्तुओं में फर्क करने तथा निर्यात की दृष्टि से हमारे लिये आवश्यक वस्तुओं पर दरों में कमी करने के लिये कहा, और उस सीमा तक यह पश्चिमी एशियाई अधिभार तथा पुराना 10 प्रतिशत का अधिभार रहता है। हम उनसे आगे बातचीत करेंगे और यह प्रयास कर रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर मित्रता के आधार पर रियायतें दी जायें।

Shri Madhu Limaye : Will you not reply the point about the capital of Jayanti Shipping Co. and Shipping Corporation of India ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे अफसोस है, मैं प्रश्न को नहीं समझा। मैं समझा कि प्रश्न......

Dr. Ram Manohar Lohia : A fleet of ships of the value of Rs. 20 crores was raised with a capital of Rs. 3 crores and a fleet worth Rs. 20 crores only was built with an equal amount of capital. The first company lacked in honesty and in what respect you are lacking ?

अध्यक्ष महोदय : भाड़े की दरों के बारे में प्रश्न है, यह उससे सम्बन्धित नहीं है।

Dr Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker, Sir, if we have a bigger fleet then only rates will come down. That is how it is related to freight rates.

अध्यक्ष महोदय : यह एक बिल्कुल भिन्न प्रश्न है।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं समझता हूं कि कुछ गलतफहमी है। ऐसा नहीं है कि जयन्ती 2 करोड़ रुपए से अथवा जहाजरानी निगम 20 करोड़ रुपये से इतने जहाज खरीद सके। जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है, ये जहाज आस्थगित भुगतान के आधार पर खरीदे गये है। जिस पर जयन्ती अथवा जहाजरानी निगम द्वारा जहाज लिये गये थे, उसमें कोई अन्तर नहीं है। अपने जहाज रखने के बारे में दूसरे प्रश्न पर मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि हमें आज की अपेक्षा बहुत अधिक जहाज बनाने अथवा खरीदने हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या माननीय मन्त्री ने किरायों का कोई मूल्यांकन किया है, यदि उनको अभिवेदन करने और आपत्ति उठाने का कोई परिणाम नहीं निकलता है, तो उनके अनुमान के अनुसार कितनी और विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी और इस अधिकार के परिणामस्वरूप आयात-निर्यात पर व्यय बढ़ जायेगा ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मेरे पास कच्चे आंकड़े हैं। मैं समझता हूं कि हमारे लाइनर यातायात पर व्यय में प्रति वर्ष लगभग 14.5 करोड़ रुपए और खाद्यान्न तथा उर्वरकों आदि के चार्टर यातायात पर व्यय में लगभग 22 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। भाड़े में काफी वृद्धि होगी।

श्री वासुदेवन नायर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मन्त्री महोदय बहुत देर में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमारा अपना राष्ट्रीय जहाजरानी उद्योग बनाना एकमात्र हल है, क्या वे यह समझते हैं कि राष्ट्रीय जहाजरानी उद्योग के मन्थर गति से विकास तथा कोचीन में दूसरे जहाज निर्माण कारखाने के निर्माण के प्रस्ताव को वस्तुतः समाप्त करने के लिये स्वयं उनकी सरकार उत्तरदायी है।

अध्यक्ष महोदय : यह इससे कैसे उत्पन्न होता है ? यह तो अमरीकी जहाज कम्पनियों और अधिभार के बारे में है, हमने विदेशी कम्पनियों द्वारा अधिभार से आरम्भ किया और फिर जयन्ती पर चले गये और जब हम कोचीन शिपयार्ड की बात करने लगे हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : Will the hon. Minister state if he is going to take in other steps in case the negotiations, protest etc. on the increase in freight rate do not yiled any result ? What is our shipping capacity and the programme for increasing this capacity during the next years ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : प्रश्न के पहले भाग के बारे में, मैं आगे कुछ करने का वचन देने से पहले देखना चाहूँगा कि क्या परिणाम निकलता है, प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में

तीसरी योजना में हमारा लक्ष्य भारतीय जहाजरानी की क्षमता 17 लाख टन से बढ़ाकर 30 लाख टन करने का है।

श्री कंवर लाल गुप्त : प्रश्न के दूसरे भाग का क्या उत्तर है ?

अध्यक्ष महोदय : दुर्भाग्य की बात है कि इन प्रश्नों का मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि मन्त्री महोदय उत्तर देते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु कभी कभी मन्त्री महोदय नोटिस मांगते हैं।

श्री उमानाथ : क्या यह सच है कि स्वेज नहर के बन्द होने के कारण से ही आस्ट्रेलियाई और ब्रिटिश दरें केवल 3.75 प्रतिशत नियत की गई हैं जबकि हमसे 20 से 25 प्रतिशत तक लिया जाता है। क्या 3.75 प्रतिशत तथा 20 से 25 प्रतिशत तक के बीच अन्तर न केवल पक्षपात पूर्ण है बल्कि विशेष रूप से एशियाई देशों के विरुद्ध है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

डा० वी० के० आर० वी० राव : ब्रिटेन के लिये 17½ प्रतिशत और आस्ट्रेलिया के लिये यह 10 प्रतिशत हैं, 3½ प्रतिशत नहीं, माननीय सदस्य के आंकड़े कुछ गलत हैं, दोनों दरों में अन्तर के उचित कारण हैं, प्रथम दूरी का अन्तर। दूसरे अदन में परम्परागत सस्ते बंकरों की कमी जबकि सुदूरपूर्व सेवा में सिंगापुर में परम्परागत सस्ते बांकड़ों की व्यवस्था है। फिर सुदूरपूर्व में कुल भाड़ा आय भारत की तुलना में अधिक है। यह बड़े योग की प्रतिशतता है।

श्री स्वतन्त्रसिंह कोठारी : आयकर अधिभार की तरह से यह भाड़ा अधिभार भाड़े का ही अंश बन जाते हैं। क्या माननीय मन्त्री यह सुनिश्चित करेंगे अथवा उन्हें कोई आश्वासन प्राप्त हुआ है कि पश्चिम एशिया संकट समाप्त होने के बाद ये अधिभार समाप्त कर दिया जायेगा और भाड़े का अंश नहीं बनेगा ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं स्पष्ट शब्दों में कह सकता हूं कि युद्ध अधिभार सामान्य भाड़े का अंश नही बन सकता।

श्री पीलु मोदी : क्या सरकार को मालूम है कि सोवियत संघ हमारे लिये मिट्टी के तेल पर--25 प्रतिशत वहां से आता है--112 प्रतिशत अधिक भाड़ा ले रहा है और यदि हां, तो क्या वे उत्तर कोरिया के मामले में भी इतनी वृद्धि कर रहे हैं ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे उत्तर कोरिया के लिये दरों की जानकारी नहीं है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सोवियत संघ के मामले में स्वेज नहर के बन्द हो जाने से मार्ग परिवर्तन के कारण अतिरिक्त दूरी के परिणामस्वरूप-अर्थात् ओडेसी से बम्बई-13 के स्थान पर 23 दिन अधिक लगते हैं अर्थात् 177 प्रतिशत वृद्धि हुई है। ब्रिटेन के मार्ग पर मूल 18 दिनों के स्थान पर 14 दिन अधिक लगते हैं। अमरीका के मामले में 21 के स्थान पर 9 दिन अधिक लगते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ब्रिटेन के लिए गोरखों को भारत में भर्ती

*872. श्री शारदा नन्द :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री रणजीत सिंह :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सेना के लिये भारत में गोरखों को भर्ती बन्द करने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) 22 मई, 1967 को अतारांकित प्रश्न संख्या 55 के उत्तर में इस सदन में माननीय सदस्यों को सूचित किया गया था कि गुरखा लोगों को भर्ती करने के लिए भारत में कोई ब्रिटिश भर्ती शिविर नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्य सरकारी रिकार्ड नहीं देख पाये हैं।

एवरो-748 विमान के निर्माण के लिये ठेका

*879. श्री मोलहू प्रसाद :
श्री मधु लिमये :
श्री सा० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री रवि राय :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन की फर्म द्वारा एवरो–748 विमान का डिजाइन तैयार किये जाने से पहले ही इस फर्म के साथ इस विमान के लिये ठेके पर हस्ताक्षर कर दिये गये थे,

(ख) क्या यह भी सच है कि इस विमान से भारतीय वायु सेना तथा इंडियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना था;

(ग) क्या कानपुर के कारखाने में बना हुआ यह विमान प्रशिक्षण के सीमित प्रयोजन को छोड़ कर भारतीय वायु सेना की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका;

(घ) क्या यह भी सच है कि यह विमान इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को जबर-दस्ती दिया गया हालांकि अन्य अधिक अच्छे विमानों की तुलना में इस विमान के संचालन पर अधिक खर्च आता है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि विमान का प्रारम्भिक अनुमानित मूल्य, जो 21 लाख रुपये था, अब बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दिया गया है; और

(च) डिजाइन-फार्म पर कितना व्यय किया गया है तथा इस एवरो 748 विमान के स्थान पर जो आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका है भारतीय वायुसेना का विचार जिन अन्य विमानों को प्राप्त करने अथवा उनका निर्माण करने का है, उन पर कितना व्यय आयेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां। जुलाई, 1959 में जब लाइसेंस करारनामा तय पाया था एवरो 748 विकास अधीन था, परन्तु लाइसेंस करारनामे में उसकी निष्पादन की गारंटी की शर्त की उपलब्धि कर ली गई थी।

(ख इस विमान से भारतीय वायु सीमा की आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी, और तदनुसार उसे भारत में निर्माण के लिए चुन लिया गया था। आशा थी कि यह यथासमय वह इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की आवश्यकताएं भी पूरा करेगा।

(ग) भारतीय वायु सेना की आवश्यकाओं का 1962 में संशोधन किया गया था, और एच०एस० 748 (जैसाकि उसका पुनःनामकरण किया गया) वायु सेना की संशोधित आवश्यकताओं पर पूरा न उतरा, अब तक आई० ए० एफ० ने एवरो 748 के निम्न संस्करणों के लिए आर्डर भेजे हैं :-

(1) यात्री/एक्जीक्यूटिव/वी० आई० पी०

(2) नेविगेटर ट्रेनर

(3) सिग्नेलर ट्रेनर

अपने चालक प्रशिक्षण और कन्वर्जन के लिए आई० ए० एच० एफ० 748 को अपनाने का विचार कर रहा है।

(घ) जी नहीं। एच० एस० 748 को चलाने की लागत उसी श्रेणी के अन्य विमानों की तुलना में ज्यादह नहीं है।

(ङ) 21 लाख की अनुमानित लागत प्रारम्भिक विमान के लिए विशिष्ट फिटिंग और आपशनल साजसामान के बिना लगाई गई थी। एच० ए० एल० में निर्माण अधीन विमान एक संशोधित संस्करण है, और आई० ए० सी० में सेवा के लिए कुछ विशिष्ट फिटिंग और आपशनल साज सामान निर्धारित किए गए हैं। अवमूल्यन के प्रभाव को सामने रखते हुए आई० ए० सी० ने एच० एस० सी० 748 के लिए फोकर एफ० 27 विमान की आयात लागत, देना स्वीकार कर ली है।

(च) वायु सेना ने अभी एच० एस० 748 के प्रतिबदल के लिए निर्णय नहीं किया है।

गाजा में संयुक्त राष्ट्र आपात कालीन सेना के भारतीय सैनिकों की स्वदेश वापसी

*880. डा० कर्णी सिंह :
श्री मधु लिमये :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री मोहम्मद इस्माइल :
श्री चक्रपाणि :
श्री रमानी :
श्री नायनार :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
महन्त श्री दिग्विजय नाथ :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री नाथ पाई :
श्री म० ला० सोंधी :
श्री भा० सुन्दर लाल :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री न० कु० सांघी :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रा० बरुआ :
श्री राम किशन :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री राम सेवक यादव :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांजा में संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन सेना में काम करने वाले सभी भारतीय सैनिक इस बीच भारत लौट आये हैं;

(ख) संयुक्त अरब गणराज्य तथा इसरायल के बीच युद्ध के दौरान मारे गये, जख्मी हुए तथा लापता हुए भारतीयों की संख्या कितनी है;

(ग) मारे गये, जख्मी हुए अथवा लापता हुए व्यक्तियों के परिवारों को दिये गये प्रतिकर का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा इसरायल ने भी कोई प्रतिकर दिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) अस्पताल में 8 कर्मचारियों को और इस टुकड़ी का भारी सामान भेजने का प्रबन्ध करने के लिए जो 7 कर्मचारी साइप्रस में रह गए हैं, उन्हें छोड़कर शेष पूरी टुकड़ी भारत लौट आई है।

(ख) 14 भारतीय कर्मचारी मारे गए थे और 25 घायल हो गए थे। अब कोई कर्मचारी लापता नहीं है।

(ग) अफसरों के रैंक के नीचे के मृत कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को परिवार उपदान (ग्रेचुइटी) दे दी गई है। इसमें मृत एक अफसर के पिता जैसे ही भुगतान के समुचित प्रबन्ध का संकेत देंगे उनको परिवार उपदान की अदायगी कर दी जाएगी।

प्रधान मंत्री की इच्छा के अनुसार मृत कर्मचारियों के परिवारों में बांटने के लिए राष्ट्रीय सहायता कोष से प्रत्येक को 5,000/- रु० की धन राशि भेज दी गई है।

मृत कर्मचारियों के परिवारों को और घायल कर्मचारियों को पेंशन-संबंधी पुरस्कारों की और अपंगता पेंशन की अदायगी इन मामलों के अंतिम रूप से तय होते ही कर दी जाएगी।

(घ) संयुक्त राष्ट्र उन कर्मचारियों का मुआवजा देता है जो सयुक्त राष्ट्र की कार्यवाही में मारे जाते हैं अथवा घायल हो जाते हैं। यह मुआवजा उसी हिसाब से दिया जाता है जिस हिसाब से उन भारतीय सैनिक कर्मचारियों को दिया जाता है जो भारत में कार्रवाई के समय ड्यूटी पर मारे जाते हैं या घायल हो जाते हैं।

इसराईली सरकार ने उस हिसाब से अनुदान देने की इच्छा व्यक्त की है जिस हिसाब से लड़ाई में मारे जाने वाले भारतीय सैनिकों को दिया जाता है। इस पेशकश पर विचार किया जा रहा है।

पुंछ क्षेत्र में पाकिस्तानियों द्वारा अवैध प्रवेश

*881. श्री स्वैल :
श्री हु० कु० तापड़िया :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री नरदेव स्नातक :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2-3 जून, 1967 की रात को 400 पाकिस्तानी नागरिकों ने काश्मीर के कुछ क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने का प्रयत्न किया था;

(ख) क्या घुसपैठ करने वाले उन व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति पकड़ा गया है; और

(ग) क्या इसी अवधि में भारत पाकिस्तान सीमा के अन्य क्षेत्रों में भी पाकिस्तानी नागरिकों ने इसी प्रकार के प्रयत्न किये थे?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) 2-3 जून 1967 को कुछ क्षेत्र में युद्धविराम रेखा के इस पार हमारी ओर कुछ कुटुम्बों ने जो कुल 400 व्यक्तियों पर सम्मिलित थे लांघ आने का यत्न किया था। अपने सुरक्षा गश्ती दस्तें द्वारा चुनौती दिये जाने पर उन व्यक्तियों ने अपना प्रयास त्याग दिया और पाकिस्तानी अधिकृत काश्मीर की ओर लौट गए।

(ग) अन्य क्षेत्रों से ऐसी घटना की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

पाकिस्तान का प्रतिरक्षा बजट

*882. श्री आत्म दास :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी प्रतिरक्षा पर अपने राजस्व का 50 प्रतिशत व्यय कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान प्रतिरक्षा बजट में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार का विचार अपने प्रतिरक्षा बजट में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) पाकिस्तान के प्रतिरक्षा बजट में शामिल मदों के स्पष्ट संकेत के बिना इस बात का पता लगाना असंभव है कि वह कितना व्यय करता है किन्तु अनुमानों के आधार पर मोटे रूप से स्थिति सही ज्ञात होती है।

(ख) और (ग) भारत सरकार का प्रतिरक्षा बजट हमारी अपनी आवश्यकताओं के अनुमान पर आधारित है।

पख्तूनिस्तान का मामला

***883. श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री म० ला० सोंधी :
श्री नाथू राम अहिरवार :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पख्तूनिस्तान का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है तथा करने का प्रस्ताव है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) भारत सरकार कुछ व्यक्तियों की और कुछ वर्गों की इस इच्छा से अवगत है कि इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय पंचों पर उठाया जाए। लेकिन, सरकार का ऐसा करने का विचार नहीं है।

इसराईली सेनाओं द्वारा येरूशलम में भारतीय होस्टल का नष्ट किया जाना

***884. श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह पयरवाल :
श्री यशवंत सिंह कुशवाह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम एशिया में हाल में हुए संघर्ष के दौरान इसराइल की सेनाओं ने येरूशलम में भारतीय होस्टल नष्ट कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस होस्टल के पुनर्निर्माण के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) समाचारों के अनुसार पश्चिम एशिया में संघर्ष के दौरान इसराईली बमबारी से जेरूसलम में भारतीय धर्मशाला को भारी नुकसान पहुँचाया गया था ।

(ख) इस मामले पर पश्चिम एशिया में स्थिति सामान्य हो जाने के बाद विचार-विमर्श किया जाएगा ।

फरक्का बांध परियोजना

***886. श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री गं० चं० दीक्षित :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री निहाल सिंह :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या उनका ध्यान पाकिस्तान के विदेश मंत्री के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान भारत को फरक्का बांध परियोजना के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने से रोकने के लिये निश्चयात्मक कदम उठायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) समाचार पत्रों में वक्तव्य की जो रिपोर्ट दी गई है, उसे देखकर सरकार को खेद है । फरक्का बांध योजना पर कार्यक्रमानुसार अमल किया जाएगा ।

आकाशवाणी के संबंध में चन्दा समिति का प्रतिवेदन

***887. श्री अदिचन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न प्रभागों के कार्य-संचालन में समन्वय लाने के बारे में चंदा समिति के प्रतिवेदन पर सरकार ने अन्तिम रूप से विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय किया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) 'जन-सम्पर्क के माध्यमों के समन्वय' पर समिति की रिपोर्ट की अभी जांच हो रही है ।

एक भारतीय राष्ट्रिक का इसरायल के विजयोत्सव में भाग लेना

***888. श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री स्वेल :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक भारतीय राष्ट्रजन बम्बई के श्री पूबिन मेहता, हाल में हुई इसराईल की विजय के उपलक्ष में आयोजित समारोह में वाद्यवृन्द (आर्केस्ट्रा) के बजाने के लिये विशेष रूप से इसराईल गया था;

(ख) क्या उनको मालूम है कि श्री पूबिन मेहता ने यह काम उस समय किया था जब इसराईल युद्ध विराम के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिये गये परामर्श का उल्लंघन कर रहा था; और

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रजनों को विदेशों में ऐसी उद्वेगकारी कार्यवाही, जो देश की मान-प्रतिष्ठा और सिद्धांतों के प्रतिकूल है, करने से रोकने के लिये कोई कार्यवाही की जा सकती है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) बम्बई के एक भारतीय राष्ट्रिक, श्री जुबिन मेहता, जो आजकल लास एन्जीलीस सिम्फानी आर्केस्ट्रा के रेजीडेन्ट कन्डक्टर है, हवाई जहाज द्वारा तेल अवीव गए और युद्ध विराम के बाद वहां उन्होंने कार्यक्रम प्रस्तुत किया ।

(ग) इस तरह के निजी और व्यक्तिगत फैसलों में दखल देने का सरकार का कोई इरादा नहीं है ।

काठमण्डू हवाई अड्डे पर भारत-विरोधी प्रदर्शन

*889. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 जून, 1967 को काठमांडू हवाई अड्डे पर चीनियों ने भारत-विरोधी नारे लगाये थे;

(ख) क्या इसके बारे में नेपाल सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में नेपाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। इन बातों को लेकर ब्यौरे की सूचना अतारांकित प्रश्न संख्या 3618 के उत्तर में 26 जून, 1967 को सदन में दी गई थी जिसे माननीय सदस्य ने शायद नहीं देखा है ।

(ग) नेपाल के महामहिम को सरकार अन्य किसी भी सरकार की तरह चीनी राजनयिक और गैर-राजनयिक कर्मचारियों द्वारा राजनयिक व्यवहार के निश्चित सिद्धान्तों का बार-बार उल्लंघन किए जाने के बारे में उतनी ही चिंतित मालूम होती है ।

प्रतिरक्षा विभाग में मलयेशिया के लोगों को प्रशिक्षण

*890. **श्री रा० बरुआ :** **श्री न० कु० सांघी :**
श्री वेदव्रत बरुआ : **श्री य० प्र० प्रसाद :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने मलयेशिया तथा अन्य देशों को प्रतिरक्षा विभाग के विभिन्न भागों के प्रशिक्षरण की सुविधायें प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर; और

(ग) क्या वे देश इसके बदले में भारत को कुछ ऐसी सुविधायें प्रदान करेंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) प्रशिक्षरण का खर्च प्राय: संबंधित देश अदा करते हैं ।

(ग) पारस्परिक प्रबन्ध केवल कुछ देशों के साथ विद्यमान हैं जो ऐसे प्रशिक्षरण की पेशकश करने की स्थिति में है, जिसका उपयोग हमारे सेविवर्ग कर सकते हैं । अन्य हालतों में संबंधित देशों के पास प्रशिक्षरण सुविधाएं नहीं है कि जिसका हमारे सेविवर्ग उपयोग कर सकें, और इसलिए पारस्परिक प्रबन्धों का प्रश्न उठता ही नहीं ।

अफ्रीका में जाति भेद और रंग भेद की नीति

***891. श्री क० लकप्पा :**
श्री श्रीधरन :
श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अफ्रीका के विद्यमान जाति भेद और रंग भेद को मिटाने के मार्गोपायों के बारे में जम्बिया गणराज्य के राष्ट्रपति, डा० कैनथ कोडा, के साथ बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कोई ठोस योजना बनाई गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) जंबिया के राष्ट्रपति के साथ विचार-विमर्श में अन्य मसलों के अतिरिक्त अफ्रीका में जातीय भेदभाव और रंगभेद की समस्या पर भी विचार किया गया । लेकिन, इस अवसर पर दोनों सरकारों ने दक्षिण अफ्रीका की जातिगत नीतियों की तथा जिम्बाम्बे में जातिवादी अल्पसंख्यक शासन की निंदा भी की । दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका पर दक्षिण अफ्रीका के प्रदेश को खत्म करने से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के स्वीकार किये जाने के बाद दक्षिण पश्चिम अफ्रीका पर दक्षिण अफ्रीका के सारे वैध अधिकार खत्म हो गए हैं । इस बातचीत के बाद जो सम्मिलित विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी उसमें इन विषयों पर दोनों सरकारों का रवैया दिया हुआ है ।

गाजा में संयुक्त राष्ट्र संघ की आपातकालीन सेना के साथ भारतीय सैनिक टुकड़ी

***892 श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजा में तैनात संयुक्त राष्ट्र संघ की आपातकालीन सैना में भारतीय सैनिक टुकड़ी को राष्ट्र द्वारा उसके कार्य की सराहना के तौर पर किसी विशेष सम्मान से अलंकृत करने का विचार है; और

(ख) क्या इसराइल की सरकार ने भारतीय सैनिक टुकड़ी पर किये गये आक्रमण के लिये इस बीच औपचारिक रूप से कोई खेद प्रकट किया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) इस तरह का कोई प्रस्ताव तो नहीं है, लेकिन सरकार ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र आपाती सेना में हमारे जिन रक्षा सेवा कर्मचारियों ने कार्य किया था उनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र आपाती सेना पदक स्वीकार करने और पहिनने पर पहले ही अपनी अनुमति दे दी है।

(ख) इसराईली सरकार ने इन घटनाओं पर खेद प्रकट किया है, लेकिन उसने जान-बूझकर लोगों को हताहत करने की जिम्मेदारी मानने से इन्कार किया है। सरकार इस अस्वीकृति से संतुष्ट नहीं है और इस बारे में अब जो पूछताछ चल रही है उसके पूरा हो जाने पर इसराईल की सरकार को जवाब भेज दिया जायगा।

प्रधान मंत्री द्वारा खाद्य तथा आर्थिक सहायता नीतियों के बारे में की गई टिप्पणी पर अमरीका की प्रतिक्रिया

*893. **श्री देवकी नन्दन पाटौदिया :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अमरीका की खाद्य तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी नीतियों के बारे में कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी पर जिसमें उन्होंने कहा था कि वाशिंगटन भारत में पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिये दबाव डाल रहा है, अमरीका सरकार की प्रतिक्रिया प्रतिकूल रही है;

(ख) क्या यह सच है कि अमरीका सरकार को इस प्रतिक्रिया से भारत को खाद्य की सप्लाई और सहायता मिलने में कठिनाई और देर हो रही है; और

(ग) क्या इन मामलों पर भारत और अमरीका सरकार के बीच कोई सलाह मशविरा हुआ था और यदि हां, तो इस सलाह मशविरे का क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य प्रधान मंत्री के उस भाषण को अखबारों में छपी खबरों का उल्लेख कर रहे हैं जो उन्होंने 10 जून, 1967 को मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में अम्बिकापुर में दिया था। सरकार को इस भाषण के बारे में अमरीका सरकार को किसी बुरी प्रतिक्रिया के विषय में जानकारी नहीं है :

(ख) इसी प्रकार सरकार को भारत की खाद्यान्न की सप्लाई और सहायता पर इस भाषण के तथा कथित कुप्रभाव के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है।

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका और भारत के बीच निकट और मित्रतापूर्ण संबंधों को देखते हुए, दोनों सरकारें अनेक मामलों पर बराबर विचार-विमर्श कर रहे हैं।

श्रीलंका में भारतीय उद्भव के लोग

*894. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान श्रीलंका के अपर हाउस में सेनेटर आर० जासूदासन के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि भारतीय उद्भव के 2,00,000 लोग पहले दो वर्षों में और 5,25,000 लोग पांच वर्षों में श्रीलंका छोड़कर चले जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भारत और श्रीलंका के बीच हुए करार के अनुरूप हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अन्तर्गत भारत सरकार 15 वर्ष की अवधि में कार्यक्रम के अनुसार 5,25,000 भारत मूलक राज्यविहीन लोगों का भारत में पुनर्देशावर्तन स्वीकार कर लेगी; यह कार्यक्रम यथासंभव समान गति से लागू होगा ।

(ग) चूंकि सेनेटर का वक्तव्य पुनर्देशावर्तन की संभावित दर के अपने ही आकलन पर आधारित है इसलिए, भारत सरकार द्वारा कोई कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता ।

सिकन्दराबाद में सैनिक शिविर क्षेत्र

*895. **श्री राम चरण :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले में सिकन्दराबाद में सैनिक शिविर क्षेत्र में भूमि का एक टुकड़ा 500 रुपये वार्षिक किराये पर श्री अब्दुल सलीम, अवैतनिक मैजिस्ट्रेट को पट्टे पर दिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि पट्टे की अवधि 30 जून, 1965 को समाप्त हो गई थी और वह फिर से उसी व्यक्ति को किराये की पुरानी दर पर दे दी गई;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस भूमि को पट्टे पर देने का बाजार मूल्य 20,000 रुपये वार्षिक से भी अधिक है;

(घ) यदि हां, तो बिना टेंडर मांगे इस भूमि को पट्टे पर देने के क्या कारण थे;

(ङ) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ लोगों से, जिनमें एक संसद सदस्य भी हैं, कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) क्या अगले पट्टे का विधिवत् समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिया जायेगा तथा टेंडर मांगे जायेंगे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) 69.73 एकड़ क्षेत्र पर सम्मिलित सिकन्दराबाद में सैनिक शिविर क्षेत्र 1-7-1935 को 500 रुपए वार्षिक किराए पर 30 वर्षों के लिए कलेक्टर बुलन्दशहर द्वारा पट्टे पर दिया गया था ।

(ख) जी हां। इसे 500 रुपये वार्षिक किराये पर उक्त व्यक्ति को फिर से अस्थायी तौर पर एक वर्ष के लिए दे दिया गया था, इस शर्त पर कि उसे वह "उचित किराया" देना पड़ेगा जो क्षेत्र के संबंध में नियत किया जाए। तब से उचित किराया 1815 रुपये नियत किया गया है। पट्टे की समाप्ति पर 1815 रुपये वार्षिक की उसी दर पर पट्टा पुनः एक वर्ष के लिए नया किया गया था।

(ग) जी नहीं। 4 जून, 1965 को कलेक्टर ने सलाह दी कि समस्त शिविर क्षेत्र का वार्षिक चालू बाजार में किराया 1975 रुपये था। 25 मई 1966 में कलेक्टर ने बताया कि वाजिबी वार्षिक किराया 1510.74 रुपये है, और तदनुसार नियत किया जाए। तदपि 1815 रुपये का वार्षिक किया उससे पुर्व के दो वर्षों में, कलेक्टर द्वारा 13 अप्रैल 1967 को दी गई क्षेत्र की नेट आय के आधार पर निर्धारित किया गया था, और उक्त आय की औसत नेट आय की चौथाई के बराबर नियत किया गया था।

(घ) 1958 में रक्षा आवश्यकताओं से अस्थायी तौर पर फालतू रक्षा भूमियों को कृषि उद्देश्यों के लिए नीलामी पर पट्टे पर देने की पहली प्रक्रिया को समाप्त कर देने का नीति-निर्णय किया गया था और फैसला किया गया था, कि उक्त भूमियों को, भूमि की दशा, चालू किराया, और नेट लाभ की चौथाई तक सीमित, संबद्ध राज्य में लागू राजस्व कानून में निर्धारित सिद्धान्तों को सामने रखते हुए नियत किए जाने वाले उचित किरायों पर प्राथमिकताओं की योजना के अनुसार पट्टे पर दिया जाए।

प्राथमिकता की योजना में यह उपलब्धि है कि निर्धारित शर्तों के अनुसार वर्तमान पट्टेदार को पट्टे पर क्षेत्र रखे रहने की पहली प्राथमिकता दी जाए।

(ङ) जी हां। संसद् सदस्य महोदय से पहला प्रत्यावेदन 9 जून 1967 को मिला था। प्रत्यावेदनों का निरीक्षण हो रहा है।

(च) भूमि उपरोक्त व्यापक नीति के अनुसार पट्टे पर दी जाएगी।

त्रिपुरा के साथ लगने वाले क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा बांधों का बनाया जाना

***896. श्री समर गुह :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान त्रिपुरा के साथ लगने वाले अपने राज्य क्षेत्र में बांध बना रहा है;

(ख) क्या पाकिस्तान की यह कार्यवाही भारत और पाकिस्तान के वर्तमान करार का उल्लंघन है;

(ग) क्या इन पाकिस्तानी बांधों के कारण इस वर्ष वर्षा ऋतु में त्रिपुरा में भारी बाढ़ आने की संभावना है, जिससे त्रिपुरा के प्रधान कार्यालय, अगरतला को खतरा हो सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस का प्रतिकार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) जी हां।

(घ) कई स्तरों पर पूर्व पाकिस्तान सरकार के साथ कड़ा विरोध प्रकट किया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार सभी संभव रक्षात्मक उपाय बरत रही है।

अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह के पास देखी गई चीनी पनडुब्बियां

***897. श्री गा० शं० मिश्र :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह के पास किसी जगह चीनी पनडुब्बियां देखी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र के उस भाग में चीनी पनडुब्बियों द्वारा की जा सकने वाली किसी शरारत का मुकाबला करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार को नौसैनिक तैयारी में चीन और पाकिस्तान की सांठगांठ की कोई जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) अंदमान तथा निकोबार द्वीपों के निकट चीनी पनडुब्बियों के देखे जाने के संबंध में सरकार को कोई सूचना नहीं है। तदपि, अमित्र देशों से पनडुब्बियों के संकट से सरकार सतर्क है, और अंदमान तथा निकोबार द्वीपों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए उपाय कर रही है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Rejection of Indian Protest Note by Pakistan

***898. Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan has rejected India's protest note in which India had protested against the firing resorted to by the Pakistani Forces on the Indian patrol party patrolling the Indian territory in the Sialkot Sector:

(b) whether the said action violates the Tashkent Agreement; and

(c) if so, the steps which Government have taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir, the firing by the Pakistan troops on our police patrol on May 19, 1967 was a violation of the Tashkent Agreement.

(c) All appropriate steps to preserve the security and territorial integrity of the country have been taken. As regards reply from Pakistan to our protest note, it is under consideration.

हैलीकाप्टर विमानों का डिजाइन तैयार करने का ठेका

*900. **श्री मोलहू प्रसाद : श्री जार्ज फरनेन्डीज : श्री मधु लिमये : श्री रवि राय : श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक अमरीकी नागरिक श्री ए० ज० ब्रेग को, जो विमानों के डिजाइन, तैयार करने वाला व्यक्ति समझा जाता है, कुछ हैलीकाप्टर विमानों के डिजाइन तैयार करने के लिये लगभग 8 लाख रुपये का ठेका दिया गया है;

(ख) क्या दो इंजीनियरों की एक समिति ने इस अमरीकी नागरिक को योग्य इंजीनियर घोषित किया था;

(ग) क्या ऐसी मशीनों अथवा उसके डिजाइनों की आवश्यकता के बारे में सेना मुख्यालय से परामर्श किया गया था अथवा नहीं;

(घ) क्या उस व्यक्ति तथा उनकी पत्नी ने 'हिमालयन एलीकाप्टर्ज' के नाम से एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी बनाई थी, जिसके एकमात्र भागीदार और मालिक वह स्वयं और उस की पत्नी हैं;

(ङ) क्या इन मशीनों के डिजाइनों के लिये, जो अमरीका में लगभग 60,000 रुपये में खरीदे जा सकते हैं, 2.5 लाख और 5.5 लाख रुपये नकद दिये गये थे;

(च) क्या इस काम की जांच करने के लिये नियुक्त की गई एक कर्णधार समिति ने अनेक बार शिमला का दौरा किया है;

(छ) यदि हां, तो इन दौरों पर कितनी राशि खर्च हुई; और

(ज) क्या इस सारे मामले की जांच करने का आदेश दिया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां। 7 अप्रैल 1964 को भारत सरकार का सर्वश्री हिमालयन हैलीकाप्टर्ज (पी०) लि० के साथ परीक्षण गाईरोप्लेन के अभिकल्पन और निर्माण के लिए एक करार तय पाया था। श्री ए० जे० ब्रेग इस कम्पनी के प्रबंधक निदेशक हैं।

(ख) एक वैमानिकी वैज्ञानिक, एक वैमानिकी इंजीनियर और एक अनुभव प्राप्त हैलिकाप्टर चालक पर सम्मिलित विशेषज्ञों की एक समिति ने श्री ब्रेग द्वारा निष्पादित किए गए पिछले कार्यों तथा उसके गाईरोप्लेन के अभिकल्पन के लिए प्रस्ताव का निरीक्षण किया। उन्होंने रिपोर्ट दी कि निजी उद्योग के तौर पर एक सीट वाले टी—गाईरोप्लेन के प्रारूप पर

पिछले कुछ वर्षों में श्री ए० जे० ब्रेग द्वारा किया गया विकास प्रयास महत्वपूर्ण है। उससे उनकी विदग्धता, रूचि और अन्तर्गस्त तथ्यों के आधारभूत ज्ञान का आभास मिलता है।

(ग) जी हां। वायु सेना मुख्यालयों से सलाह की गई थी, और उन्होंने अन्तरिक्ष अवलोकन, एम्बुलेंस और संचार कार्यों के लिए अपनी आवश्यकताओं की पुष्टि की, जिनके लिए इस मशीन के प्रगति प्राप्त संस्करणों, का उपयोग किया जा सकता है।

(घ) 6 जनवरी 1964 को हिमालयन हैलीकाप्टर्ज (पी०) लि० के नाम से एक निजी लिमिटेड कम्पनी रजिस्टर की गई थी, जिसके दो हिस्सेदार थे, एल्बर्ट जे० ब्रेग (जूनियर) और श्रीमती वीनां एस० ब्रेग।

(ङ) इस विकास करारनामे के विरुद्ध कंपनी को अब 4,09,850 रुपये दिए गए हैं। एक ऐसी ही मशीन की उत्पादन लागत लगभग 1.5 लाख रुपये प्रत्याशित है। विकास की लागत साधारणतः अन्तिम उत्पादन की लागत के गुणितों की एक संख्या होती है।

(च) इस प्रायोजना के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई स्टीयरिंग समिति ने शिमला में कम्पनी के कार्यों का तीन बार भ्रमण किया है।

(छ) लगभग 8000 रुपये।

(ज) जी, नहीं।

आकाशवाणी केन्द्र, जबलपुर

4319. श्री गा० शं० मिश्र :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के जबलपुर केन्द्र से प्रसारणों की अवधि कितनी है;

(ख) क्या भोपाल के आकाशवाणी केन्द्र के प्रसारण के समय की तुलना में यह समय बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री कें० के० शाह) : (क) आकाशवाणी, जबलपुर का प्रसारण का समय सांयकाल 6.00 बजे से रात्रि के 10.40 बजे तक है।

(ख) जी, हां।

(ग) भूपाल, जो कि मध्य प्रदेश में आकाशवाणी का प्रादेशिक केन्द्र है, के विपरीत, जबलपुर इस समय एक सहायक केन्द्र है और यहां से कोई कार्यक्रम मूल रूप से प्रसारित नहीं किया जाता।

झांसी में सैनिक अभ्यास

4320. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री गा० शं० मिश्र :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष झांसी और ग्वालियर क्षेत्रों में सैनिक अभ्यास किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो उसमें कितने अधिकारियों तथा सैनिकों ने भाग लिया था;

(ग) उक्त अभ्यासों में कितने व्यक्ति हताहत हुए; और

(घ) इसके क्या कारण थे;

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) यह जानकारी देना लोक-हित में नहीं है।

(ग) और (घ) सम्बन्धित जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारत द्वारा विदेशों के लिए प्रसारण

4321. श्री शिवचन्द्र झा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीन के भारत विरोधी प्रचार का खण्डन करने के लिये आकाशवाणी के भारतीय विदेश प्रसारण अनुभाग में चीनी भाषा जानने वाले कितने भारतीय काम कर रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : आकाशवाणी के चायनीज़ सर्विस में आजकल चीनी भाषा जानने वाले दो भारतीय काम कर रहे हैं।

चीन में भारतीय लोग

4322. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी जनवादी गणतन्त्र में कितने भारतीय लोग रह रहे हैं; और

(ख) उनमें से कितने लोग चीन स्थित भारतीय दूतावास में काम कर रहे हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) 86।

(ख) 24।

Chinese propaganda against India

4323. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Peking Radio has recently increased its anti-Indian propaganda;

(b) the manner in which India is countering the false propaganda done by China; and

(c) if the answer to part (b) above be in the negative, the reasons therefor ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government of India and their Missions abroad are using every available opportunity to counter this false propaganda through the press, radio and other mass media by publicising the truth.

(c) Does not arise.

Strength of News Services Division of A. I. R. Delhi

4324. Shri Ramachandra Veerappa : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the sanctioned strength of the Officers of the News Services Division, All India Radio, Delhi and their present strength category-wise; and

(b) whether some posts are still lying vacant ?

The Minister of Information and Broadcating (Shri K. K. Shah) : (a) and (b) A statement giving the required information is laid on the Table of the House. [**Placed in Library. See No. L. T. 876/67**]

भारत में विदेशी राजनयिक मिशन

4325. श्री शिंकरे : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक विदेशी राजनयिक मिशन ने दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में अपने कार्यालयों और कर्मचारियों के क्वार्टरों में कितनी-कितनी भूमि घेर रखी है;

(ख) प्रत्येक देश में भारतीय राजनयिक मिशनों के कार्यालयों और कर्मचारियों के क्वार्टरों की भूमि कितनी है; और

(ग) क्या इस देश में अथवा विदेशों में उक्त प्रयोजनों के लिये भूमि का अर्जन करने पर कोई रोक लगी हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) यह सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

गुजरात में आकाशवाणी केन्द्र

4326. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितने तथा किस-किस स्थान पर आकाशवाणी केन्द्र हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो वे कहां-कहां खोले जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) गुजरात राज्य में तीन रेडियो केन्द्र, अहमदाबाद, राजकोट और भुज में हैं और एक सहायक स्टूडियो केन्द्र बड़ोदा में है जो अहमदाबाद केन्द्र को कार्यक्रम देता है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) दक्षिण गुजरात क्षेत्र में आकाशवाणी क एक और केन्द्र स्थापित करने का विचार है । बड़ौदा में भी एक अल्प शक्ति वाला मीडियम वेव ट्रांसमिटर लगाने का प्रस्ताव है ।

Indian Languages Newspapers

4327. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the fact that economically the state of the Indian languages newspapers is deplorable as compared to that of the English newspapers; and

(b) if so, the steps taken so far and those proposed to be taken by Government to improve the state of Indian language newspapers ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) and (b) Government are aware that, generally, the economic condition of the regional language newspapers is weaker than that of English newspapers. Continuous efforts are being made to extend the maximum possible assistance to small and medium newspapers, especially in regional languages, in the matter of issue of advertisements. During the year 1966-67 language newspapers received 77.3% of the total space taken for display and 54% for classified advertisements. In the case of national motivation campaigns of an educative and informative character like Family Planning, Five Year plans, Savings and Food, Government advertisements are mainly channelised through language papers.

The question of extending credit facilities to small newspapers and setting, up a Newspapers Financc Corporation as per the recommendation of the Enquiry Committee on small Newspapers is under consideration of Government.

A proposal to abolish the Excise Duty of Rs. 50 per metric tonne on Nepa newsprint and the Countervailing Duty of a similar amount on imported newsprint is also under consideration.

Under the Newsprint policy for 1967–68, small and medium newspapers, the bulk of which is published in regional languages, will be entitled to considerably increased quantities of newsprint.

The Press Information Bureau pay particular attention to the requirements of language papers in regard to Press Releases, feature articles, photographs. ebonoid blocks, special services, accreditation facilities, conducted tours, etc.

ट्रांजिस्टरों का निर्माण

4328. **श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब भारत में ट्रांजिस्टर वाणिज्यिक पैमाने पर बनाये जा रहे हैं तथा खुले बाजार में बेचे जा रहे हैं; और

(ख) भारत में निर्मित ट्रांजिस्टर का मूल्य आयातित ट्रांजिस्टर के मूल्य की तुलना में कितना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत में पुर्जों के अधिक मूल्य होने के कारण भारत में बनाये जाने वाले ट्रांजिस्टर विदेशों में बनाये जाने वाले ट्रांजिस्टरों की तुलना में महंगे हैं ।

Persons of Indian Origin in Foreign Countries

4329. Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Onkar Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of persons of Indian origin in foreign countries (country-wise);

(b) the number out of them who have so far been asked to leave those countries and the names of such countries along with the reasons therefor; and

(c) the names of countries where such agitations are still going on ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) A statement showing the estimated number of persons of Indian origin in foreign countries was placed on the Table of the House on 6-8-1966. More uptodate and comperhensive information is being collected.

(b) and (c) Approximately 924 Indian nationals have been asked to leave, not due to any agitation, but for various offences, such as, deportation for offences under Immigration and Economic Laws, conviction on theft, violation of immigration regulations, etc. Switzerland, Sweden, Kenya, Burma, Democratic Republic of Vietnam, Ceylon, Tanzania and Malwai.

भारत सेवक समाज को दिया गया ऋण

4330. श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री शारदा नन्द :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सेवक समाज को 1959-64 की अवधि में 1 लाख 18 हजार रुपये की भारी रकम दी गई थी;

(ख) क्या समाज ने उक्त अवधि में विज्ञापन प्रभार और पुस्तकों की बिक्री की 87,671·00 रुपये की राशि तथा विविध ऋणों की 5,764,00 रुपये की राशि वसूल करनी अभी शेष है;

(ग) क्या 74,000 रुपये की राशि वसूल न हो सकने वाली राशि घोषित की गई थी;

(घ) यदि हां, तो किन परिस्थितियों के अन्तर्गत यह राशि वसूल न हो सकने वाली राशि घोषित की गई; और

(ङ) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) भारत सेवक समाज को 1959–64 की अवधि में 16,40,488.31 रुपये का सहायक अनुदान दिया गया था। समाज ने कुछ पार्टियों को विज्ञापन प्रचार पुस्तकों की बिक्री, आदि के बारे में ऋण की सुविधाएं दी थी। महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व ने आडिट रिपोर्ट (सिविल), 1966 में यह बताया है कि 1959–64 की अवधि में इस प्रकार की 1.13 लाख रुपये की राशि बकाया है।

(ख) भारत सेवक समाज ने यह सूचित किया है कि वह विज्ञापन प्रचार, पुस्तकों की बिक्री, आदि के बारे में बकाया 87,171 रुपये (न कि 87,671 रुपये) राशि में से 15,793 रुपये की राशि को इन कार्यों के लिए अपनी प्रांतीय यूनिटों को देय रकम से 1966–67 के लेखे से समांजित कर रहा है। समाज शेष धन-राशि और फुटकर अग्रिम धनों के 5,764 रुपये को वसूल करने के लिए प्रयत्न कर रहा है।

(ग) और (घ) महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व की इस टिप्पणी के बारे में कि 70 000 रुपये (न कि 74,000 रुपये) वसूल न किए जा सकने योग्य है, सभा ने सूचित किया है कि वसूल न हो सकने वाली राशि का निर्धारण समय पूर्व है, क्योंकि शेष राशि को वसूल करने के प्रयत्न जारी हैं। वसूल न हो सकने वाली मदों की सही राशि के आंकड़े समाज को अभी संकलित करने हैं और इस राशि के काफी कम होने की संभावना है। किन परिस्थितियों में यह राशि वसूल न हो सकने वाली हुई, इसके बारे में तभी पता लगेगा, जब वसूल न हो सकने वाली राशि के आंकड़े संकलित हो जाएंगे। भारत सेवक समाज ने यह दावा किया है कि बकाया दिखाई जाने वाली कुल राशि समाज की परिसंपत्ति है, क्योंकि ऋणों से हुई आय सम्बन्धित साल के लेखे में पहले ही शामिल की जा चुकी है। इसी तरह ऋणों की बकाया राशि उन सालों के खर्चे में नहीं लगाई गई थी, जिनमें ऋण मंजूर किए गए थे। अतः इस बारे में उन्होंने किसी अनुदान का दावा नहीं किया है। यदि यह राशि वसूल नहीं हुई, तो यह समाज के लिए घाटा होगा।

(ङ) लोक लेखा समिति (तीसरी लोक सभा) की 34वीं रिपोर्ट में निहित बात के अनुसार, विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त आर्थिक सहायता के बारे में भारत सेवक समाज को समेकित लेखे का विस्तार से आडिट कराने के लिए संकलन किया जा रहा है, ताकि सही स्थिति का पता लग सके। योजना आयोग भी इसकी देख-रेख कर रहा है। इस बीच 1966–67 में इस मंत्रालय से भारत सेवक समाज को कोई भी सहायक अनुदान नहीं दिया गया।

Explosion of a Bomb in a Military Camp

4331. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a bomb exploded in a military camp near Swarn Rekha river near Jamshedpur in April, 1967 and as a result thereof, three persons were killed and two others injured;

(b) whether Government have conducted any enquiry into this incident; and

(c) if so. the detalis thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

एमर्जेन्सी कमीशन-प्राप्त अधिकारियों को सेवा-मुक्त करना

4332. **श्री मधु लिमये :** **श्री स० मो० बनर्जी :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री जार्ज फरनेंडीज :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एमर्जेन्सी कमीशन-प्राप्त अधिकारियों में से कितने लोगों ने प्रार्थना की है कि उन्हें सेवा-मुक्त कर दिया जाय;

(ख) कितने अधिकारियों को अधिक आयु के हो जाने अथवा सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड द्वारा न चुने जाने के कारण इस वर्ष सेवा-मुक्त किये जाने की संभावना है;

(ग) आगामी चार वर्षों से एमर्जेन्सी कमीशन-प्राप्त कितने अधिकारियों को सेवा-मुक्त किये जाने की संभावना है;

(घ) ऐसे कितने अधिकारियों को केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के अधीन समान पद दिये गये हैं अथवा उनको ऐसे पदों पर नियुक्त किये जाने की संभावना है;

(ङ) "सेवा-मुक्त" कितने अधिकारी केन्द्रीय सरकार की सेवा में थे;

(च) इनमें से कितने "सेवा-मुक्त अधिकारियों" ने सेना में भर्ती होने के लिये अपनी पढ़ाई छोड़ी थी; और

(छ) भाग (च) में उल्लिखित अधिकारियों को अपना अध्ययन पूरा करने के लिये यदि कोई छात्र-वृत्तियां दी गई हैं, तो कितनी राशि की ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) एमर्जेन्सी कमीशन-प्राप्त अधिकारियों (आर्मी मेडिकल कोर तथा रिमाउन्ट और वेटरीनरी कोरो से भिन्न) को सेवा-मुक्त करने का योजनाबद्ध कार्यक्रम की अवधि अप्रैल, 1967 से सितम्बर, 1970 तक की है। उन 42 अधिकारियों के अतिरिक्त, जिन्होंने इस योजनाबद्ध कार्यक्रम के बाहर सेवा-मुक्त करने के लिये कहा गया था तथा जिन्हें समय-समय पर सेवा-मुक्त किया गया था, योजना बद्ध के कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष सेवा मुक्त होने वाले अधिकारियों की संख्या 236 है। इनकी सेवा मुक्ति के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

(ख) अधिक आयु होने के कारण अब तक 102 अधिकारियों के सेवा मुक्ति आदेश जारी किये गये हैं। सर्विसेज सलेक्शन बोर्डों के अनुसार 1,087 अधिकारियों के स्थायी कमीशन के लिये आयोग समझा है। अब तक उनमें 703 अधिकारियों को सेवा मुक्ति आदेश दिये गये हैं। अन्य अधिकारियों के सेवा मुक्ति आदेश शीघ्र ही जारी किये जायेंगे। सेना अन्य रैंकों से पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों को भी विशेष सूची संवर्ग (स्पेशल लिस्ट केडर) में स्थायी कमीशन के लिये आवेदन पत्र देने की अनुमति दी गई है और सर्विसेज सलेक्शन बोर्ड उनमें से जिन्हें योग्य समझेगा उहें स्थायी कमीशन दे दिया जायेगा।

(ग) 5,000 से 6,000 तक अधिकारियों के सेवा-मुक्त किये जाने की संभावना है ।

(घ) एमर्जेन्सी कमीशन प्राप्त 25 अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा/भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं के लिये छांट लिया गया है । एमर्जेन्सी कमीशन प्राप्त सेवा मुक्त किये गये 248 अधिकारियों को सीमा सुरक्षा सेना तथा केन्द्रीय पुलिस दल में नियुक्ति के आदेश दिये गये हैं । अनेक अधिकारियों के राष्ट्रीय छात्र सेना दल में नियुक्त किये जाने की संभावना है । इसके अतिरिक्त कई अधिकारियों के तत्समान विभिन्न सेवाओं में लेने के लिए सिफारिश की गई है किन्तु उनमें से छांटे गये अधिकारियों की संख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) और (च) जिन अधिकारियों को 22 जून, 1967 की सेवा मुक्ति के आदेश दिये गये हैं । कमीशन प्राप्त करते समय उनमें से 22 अधिकारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी तथा 11 विद्यार्थी थे ।

(छ) उन्हें इस प्रकार की छात्र-वृत्ति देने के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं हैं ।

काशीपुर स्थित गन एण्ड शेल फैक्टरी में ट्रैक्टरों का निर्माण

4333. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मधु लिमये :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन एण्ड शैल फैक्टरी, काशीपुर (कलकत्ता) में ट्रैक्टरों का निर्माण पूर्णत: बन्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा ट्रैक्टरों का निर्माण पुन: आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां । ट्रैक्टरों के निर्माण से सम्बन्धित कार्य गन एन्ड शैल फैक्टरी, काशीपुर से हटाकर भारत अर्थ मूवर लिमिटेड को सौंप दिया गया है । गन एण्ड शैल फैक्टरी में कुछ ट्रैक्टर, जिनके पुर्जे आने हैं, बन जाने के बाद इस फैक्टरी में ट्रैक्टरों का निर्माण बन्द कर दिया जायेगा ।

(ख) इससे काशीपुर स्थित कारखाने में केवल हथियार तथा सैनिक साज सामान ही बनाये जायेंगे । आगे ट्रैक्टरों का निर्माण भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, बंगलौर में, जो प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन अन्य सामान बनाने के साथ-साथ ट्रैक्टर निर्माण के लिए स्थापित किया गया एक सरकारी उपक्रम है, आरंभ किया जा रहा है ।

Condolence Message sent by Indian Defence Minister to Russia

4334. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri R. S. Vidyarthi :
Shri Yashpal Singh :
Shri Atam Das :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no mention was made in the Russian Newspapers of the condolence message received from the Indian Defence Minister on the demise of the Russian Defence Minister; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) No, Sir. The Condolence message received from the Defence Minister of India was published in the Soviet Red Army's newspaper "Krasnaya Zvezda" dated the 5th April, 1967.

(b) Does not arise.

Fire in Nagaland Secretariat

4335. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 361 on the 3rd April, 1967 and state :

(a) whether investigation into the causes of the out break of fire in Nagaland Secretariat has been completed; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) and (b) The matter is primarily the concern of the State Government of Nagaland who have informed us that investigation is being made into the circumstances of the fire. At the request of the State Government, the Government of India had arranged for the visit of an expert. Recently a request has been received for yet another expert, for the deputation of which arrangements are in hand.

Exchange of Films with Yugoslavia

4336. Shri Onkar Singh ;
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 407 on the 3rd April, 1967 and state :

(a) whether any final decision has been taken regarding the mutual commercial exchange of films with Yugoslavia; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) and (b) No, Sir. The matter is still under consideration.

भारतीयों को पारपत्र जारी करने के बारे में ब्रिटेन में भूतपूर्व भारतीय उच्चायुक्त का सुझाव

4337. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भ्र० कु० किस्कु :
श्री श० ना० माइती :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटेन में भूतपूर्व उच्चायुक्त, डा० जीवराज मेहता, द्वारा दिये गये इस सुझाव पर विचार कर लिया है कि भारत सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये एक कानून बनाना चाहिये कि भारतीय नागरिक को केवल तभी पारपत्र दिया जायेगा जब वह यह आश्वासन दे सकेगा कि वह उन परिस्थितियों में विदेश में यात्रा करने और वहां ठहरने के लिये तैयार है जो उसके आत्म-सम्मान अथवा देश के गौरव के लिये अपमानजनक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उस सुझाव पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) पासपोर्ट अध्यादेश 1967 की धारा 6 (2) (छ) में यह व्यवस्था की गई थी कि अगर पासपोर्ट अथवा यात्रा-पत्र के किसी आवेदन कर्ता के पास भारत से बाहर रहकर अपना निर्वाह करने के पर्याप्त साधन नहीं है जो भारत का नागरिक होने की मर्यादा और आत्म-सम्मान के अनुरूप हो तो उसे पासपोर्ट अथवा यात्रा-पत्र देने से इन्कार कर दिया जायगा ।

लेकिन यह बात पासपोर्ट बिल, 1967 में शामिल नहीं थी क्योंकि यह सोचा गया था कि इस तरह की बात को पहले ही लागू करना मुश्किल हो जायगा और संभव है कि उसके परिणामस्वरूप पासपोर्ट जारी करने में देरी हो जाए ।

Investigations about the Death of Netaji Subhash Chandra Bose

4338. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri H. P. Chatterjee :
Shri S. C. Samanta :
Shri Dattatraya Kunte :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Government of Taiwan have assured their co-operation in carrying out investigations at Taiwan, where Netaji Subhash Chandra Bose is reported to have met his death in an air-crash;

(b) if so, whether Government propose to send some Committee or a Delegation with a view to finding out the factual position in respect of the air-crash; and

(c) if so, when a decision would be taken in this behalf ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) Government of India have not received any such assurance from the Government of Taiwan.

(b) and (c) It has been stated in the Parliament several times that the Government of India have accepted the findings of the Enquiry Committee headed by Shri Shah Nawaz Khan which came to the conclusion that Netaji had actually died in an air-crash in 1945. The Government of India are convinced that there is no need for future enquiry.

समाचारपत्रों के मूल्य

4339. श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साप्ताहिक, पाक्षिक और दैनिक सभी प्रकार के समाचार-पत्रों के मूल्य समय-समय पर बढ़ा दिये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इनके मूल्यों में वृद्धि होने के कारणों की जांच की है; और

(ग) मूल्यों को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ताकि देहातों के गरीब लोग उन्हें खरीद सकें ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) पिछले कुछ वर्षों में कुछ दैनिक, साप्ताहिक और अर्ध-साप्ताहिक पत्रों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का कारण प्रकाशन के खर्चे में वृद्धि है जो देश में सभी चीजों की कीमतों की वृद्धि के अनुरूप ही है। समाचार-पत्रों के मूल्य में वृद्धि के कारणों की जांच करना जरूरी नहीं समझा गया है।

(ग) समाचार-पत्र गैर-सरकारी क्षेत्र में जाते हैं और वे अपने पत्रों के मूल्य को स्वयं निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो भी, सरकार बराबर यह प्रयत्न कर रही है कि समाचार पत्रों का प्रकाशन का खर्चा न बढ़ने पाये। इसके लिए वह अखबारी कागज पर आयात शुल्क की छूट और रेलवे भाड़े में कमी जैसी रियायतें दे रही हैं और छोटे तथा मंझौले समाचार-पत्रों को, जो अधिकांशतः देहात के पाठकों की आवश्यकता पूरी करते हैं, विज्ञापन देने में उदार और प्रबुद्ध नीति का अनुसरण कर रही है।

मंत्रियों के यात्रा-कार्यक्रम

4340. श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री अपना यात्रा-कार्यक्रम संसत्सदस्यों के सुझावों पर बनाते हैं अथवा स्वतन्त्रता से; और

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई नीति बनाई है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) मंत्रियों के यात्रा कार्यक्रम सम्बन्धित मंत्रालयों के कार्य के अनुसार बनाये जाते हैं। उनके यात्रा के बारे में संसद् सदस्यों द्वारा दिये जाने वाले सुझावों पर मंत्री स्वभावतः विचार करते हैं। यह स्पष्ट है कि इन कार्यक्रमों के बारे में कोई नीति निर्धारित नहीं की जा सकती है।

चलचित्र वित्त निगम

4342. श्री दामनी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चलचित्र वित्त निगम ने 1965-66 में चलचित्र उद्योग के लिये कुल कितनी सहायता मंजूर की थी;

(ख) उस उद्योग को वास्तव में कितना धन दिया गया था; और

(ग) गत वर्ष दिये गये धन की तुलना में यह धन कितना अधिक या कम था ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) 1965–66 में फिल्म वित्त निगम ने 13,57,582 रुपये के ऋण की स्वीकृति दी।

(ख) कुल 27,81,676 रुपये के ऋण बांटे गये। इसमें इस वर्ष और पिछले वर्षों में मंजूर किये गये ऋणों में से 9,01,913 रुपये की राशि भी सम्मिलित है।

(ग) 1964–65 और 1965–66 में निगम द्वारा मंजूर किये गये और बांटे गये ऋणों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	चालू वर्ष में मंजूर किए गए ऋण	चालू वर्ष और पिछले वर्षों में स्वीकृत ऋणों में से बांटे गये ऋणों की राशि।
	रुपये	रुपये
1964–65	5,51,960	21,05,495
1965–66	13,57,582	27,81,676

Manufacturing of Gnat Aeroplanes

4343. **Shri Sdiheshwar Prasad** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of Gnat planes being manufactured per month at present;

(b) whether the full capacity of the factory is being utilised; and

(c) the steps taken to increase the production ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) It will not be in the public interest to disclose the information.

(b) and (c) Production is proceeding on the basis of the orders placed on HAL. The capacity of the factory is adequate for this.

प्रति व्यक्ति आय का कम हो जाना

4344. **श्री रा० बरुआ** :
श्री देवकीनन्दन पाटौदिया :
श्री चं० चु० देसाई :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुपये के अवमूल्यन के बाद देश के कुछ क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय बहुत गिर गई है;

(ख) क्या इसके बारे में कोई आंकड़े एकत्र किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) अवमूल्यन के बाद की अवधि के लिये क्षेत्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय के अनुमान राज्य सरकारों द्वारा अभी तक संकलित नहीं किये गये हैं ।

संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि

4345. श्री दामनी : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के कार्यालय में इस समय कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ख) इस स्थायी प्रतिनिधि की पद-स्थिति क्या है; और

(ग) वर्ष 1966-67 में स्थायी प्रतिनिधि पर कुल कितना खर्च आया ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) 58 व्यक्ति ।

(ख) राजदूत ।

(ग) 1966-67 में स्थायी प्रतिनिधि पर किया गया खर्च 1,39,000/- रुपये हैं और पूरे मिशन पर किया गया खर्च 29,81,500 रुपये हैं ।

Return of Prisoners (Four Boys) by Pakistan

4346. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan have returned four boys who were taken prisoners during the hostilities during 1965 as reported in the Nav Bharat Times of the 4th May, 1967;

(b) if so, whether any enquiries have been made from them about the treatment meted out to them;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the action taken in this connection ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) They were interrogated during the 10 days they were kept in custody at Dhori in Pakistan. However, they have not made any complaints about any ill-treatment by the Pakistani authorities

(d) Does not arise.

Publication of Chinese Books

4347. Shri Shashi Ranjan :
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri P. L. Barupal :
Shri P. K. Ghosh :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri A. S. Saigal :
Shri Ramesh Chandra Vyas :
Shri Chintamani Panigrahi :
Shri Sitaram Kesri :
Shri Gajraj Singh Rao :
Shri Kartik Oraon :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news-item published in the 'Dinman' dated the 14th May, 1967 to the effect that a publisher of Defence Colony, New Delhi has decided to publish books for the Chinese Embassy;

(b) if so, the name of the publishing concern, the owner of the concern and the details of the agreement arrived at between the two parties; and

(c) the reaction of Government in regard thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Since there is no definite information that the negotiations between the publishing concern and the Chinese Embassy have resulted in any agreement, the Government feel that it would be indidious to disclose the name of the firm at this stage.

समाचार-पत्रों का विदेश संस्करण

4348. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री उमानाथ :
श्री वि० कु० मोदक :
श्री भगवान दास :
श्री प० गोपालन :
श्री चक्रपाणि :
श्री कं० हाल्दर :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री रमानी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने समाचार-पत्र (एक) दैनिक और (दो) साप्ताहिक विदेश संस्करण निकालते हैं;

(ख) उन समाचार-पत्रों की अमरीका में कितनी प्रतियां बिकती हैं;

(ग) किन-किन समाचार पत्र का अमरीका में व्यापार सम्बन्धी गारंटी दी गई है;

(घ) क्या कलकत्ता में आनन्द बाजार समाचार पत्र समूह का हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड भी विदेशी साप्ताहिक निकालता है;

(ङ) यदि हां, तो उसका मूल्य कितना है;

(च) क्या अमरीकी एजेन्टों ने कोई व्यापार सम्बन्धी गारंटी दी है; और

(छ) यदि हां, तो कितने मूल्य की ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) कोई भी भारतीय समाचार पत्र दैनिक विदेशी संस्करण नहीं छाप रहा है, किन्तु चार समाचार-पत्र साप्ताहिक संस्करण निकाल रहे हैं।

(ख) संयुक्त राष्ट्र अमरीका में "हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड" की प्रचार संख्या 150 है: "हिन्दुस्तान टाइम्स", "हिन्दू" और "स्टेटमैन" के सम्बन्ध में सूचना जल्दी ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ग) और (च) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(घ) जी, हां।

(ङ) 50 सैंट्स फी कापी।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत के अमरीकी मित्रों की समिति

4349. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत के अमरीकी मित्रों की समिति भारतीयों को अपने अतिथियों के रूप में अमरीका आने का निमंत्रण देती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार से किसी प्रक्रम पर परामर्श किया जाता है और अमरीका जाने वाले लोग भारत सरकार को कोई रिपोर्ट देते हैं; और

(ग) ये निमंत्रण देने कब से प्राप्त होने लगे हैं और इस समिति द्वारा मई, 1967 तक किन-किन व्यक्तियों को अमरीका आमंत्रित किया गया था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) सरकार को इस योजना के बारे में 1961 से ही मालूम है और इस समिति के निमंत्रण पर कुछ भारतीय संयुक्त राज्य अमरीका जाते भी रहे हैं। 1963 तक कई मामलों में हम से पहले सलाह भी ली गई है लेकिन 1963 में 'पी' फार्म व्यवस्था चालू हो जाने से प्रत्येक मामले में सरकार की सलाह ली गई है। यात्रियों पर इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है कि जब वे भारत लौटें तो भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करें लेकिन अगर वे चाहें तो ऐसा कर सकते हैं।

फरवरी 1961 के बाद जो लोग गए हैं उनकी व्यापक सूची देना मुश्किल है क्योंकि 'पी' फार्म वाली व्यवस्था 1963 में शुरु की गई थी। सभी यात्रियों की व्यापक सूची तैयार करने में समय लगेगा और यह सूची अभी तैयार नहीं है।

एक प्रतिरक्षा कर्मचारी द्वारा हथगोलों की चोरी

4350. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1967 में पुलिस ने गुड़गांव के निकट एक प्रतिरक्षा कर्मचारी को पकड़ा था क्योंकि उसके पास बड़ी संख्या में हथगोले थे; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिरक्षा एककों द्वारा गोला बारूद को सुरक्षित रखने के लिये क्या सुरक्षा व्यवस्था है तथा किस प्रकार इतनी बड़ी मात्रा में प्रतिरक्षा सम्बन्धी विस्फोटक सामान बिना पता लगे चोरी की जा सकी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) गुड़गांव के पुलिस अधीक्षक ने रिपोर्ट दी है कि 10 मई, 1967 को 8 हथगोले तथा 6 फ्यूज ले जाता हुआ एक सैनिक पकड़ा गया था, उसके विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

(ख) गोला बारूद को सुरक्षित रखने के लिये पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, यथा डिपो क्षेत्र में रात-दिन गश्त, बाहर/भीतर आने जाने वाले कर्मचारियों की तलाशी तथा डिपो से बाहर ले जाने वाले माल पर कड़ा नियंत्रण है। इसके अतिरिक्त प्रवेश द्वार से मेगजीन, विस्फोटक पदार्थों, गोदामों तथा हथियारों वाले शेडों तक गार्ड तैनात किये गये हैं। गोला-बारूद के कीमती सामान की बार-बार जांच की जाती है।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, उपयुक्त सभी पहलुओं को ध्यान में रख कर मामले की जांच की जा रही है।

संस्कृत में समाचार बुलेटिन

4351. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी का इलाहबाद केन्द्र संस्कृत में समाचार बुलेटिन प्रसारित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से संस्कृत में इसी प्रकार से प्रसारण करने का कोई प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) जी, हां। आकाशवाणी से संस्कृत में समाचार प्रसारित करने का एक प्रस्ताव है। सरकार मामले पर विचार कर रही है। भोपाल, इन्दौर, बम्बई, जयपुर, पटना और रांची पहले ही से पखवाड़े में एक बार संस्कृत में समाचार-समीक्षा प्रसारित कर रहे हैं।

देहरादून में वीरपुर सैनिक क्षेत्र

4352. डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अतिरिक्त दीवानी न्यायाधीश देहरादून द्वारा अप्रैल, 1967 में कमानडेंट और स्थानापन्न कमानडेंट को जारी किये गये अन्तरिम व्यादेश की ओर दिलाया गया है जिसमें वीरपुर क्षेत्र में से होकर श्री योगेश्वर प्रसाद गुप्ता के आने-जाने को रोकने से उन्हें रोका गया है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने सुरक्षा सम्बन्धी कारणों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय कमाडेंट को जिला न्यायालय द्वारा जारी किये गये पूर्ववर्ती व्यादेश का अतिरिक्त दीवानी न्यायाधीश देहरादून की अदालत में प्रतिरोध करने का निदेश दिया था; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां। व्यादेश फरवरी, 1967 में जारी किया गया था।

(ख) भारत सरकार की ओर से सम्बन्धित सेना की यूनिट तथा मिलटरी एस्टेट आफिसर, मेरठ द्वारा इस मामले का विरोध किया जा रहा है।

(ग) तीन सड़कों में से दो सड़कों के मामले में अस्थायी व्यादेश हटा लिया गया है किन्तु तीसरे के मामले में अभी यह लागू है। श्री गुप्ता ने स्थायी व्यादेश दिये जाने के लिए भारत सरकार तथा अन्य पार्टियों के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है और इसकी सुनवाई की तारीख 21 जुलाई, 1967 निर्धारित की गई है। भारत सरकार की ओर मुदकमा लड़ने का प्रस्ताव है।

चीन-नेपाल सहयोग

4353. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल और चीन के बीच सड़क-निर्माण, संचार, व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग पिछले कुछ समय से बढ़ता जा रहा है।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने समूची स्थिति का पुनरीक्षण किया है तथा उससे क्या निष्कर्ष निकाले हैं; और

(ग) भारत की सीमा सुरक्षा कार्यवाही पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

वैदेशिक-मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) नेपाल एक स्वायत्तता प्राप्त मित्र देश है और वह जिन देशों से सहायता लेना चाहें और जो उसे सहायता देने को तैयार हो उनसे सहायता मांगने और लेने के लिए वह स्वतंत्र है। नेपाल सरकार ने गत कुछ वर्षों में विभिन्न प्रयोजनाओं की स्थापना में चीन से सहयोग मांगा है और उसे मिला भी है। कुल मिलाकर कोई यह कह सकता है कि 1961 के बाद से विभिन्न क्षेत्रों में चीन की ओर से नेपाल को अधिक सहयोग के प्रस्ताव मिले हैं, जैसे, सड़कों का निर्माण, गल्ले का भंडार और व्यापार। लेकिन, जहां तक प्रायोजनाओं पर वास्तव में अमल करने का सवाल है, चीनियों की गतिविधियों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। हालांकि कुल मिलाकर आर्थिक सहयोग के

क्षेत्र में नेपाल को दिये गए वायदों की संख्या बढ़ गई है। चीन सरकार ने कुछ हद तक नेपाल के साथ अपना व्यापार बढ़ा भी दिया है और सद्भावना के कुछ और भी कार्य किये हैं, जैसे हाल ही में उसने 20,000 टन चावल उपहार में देने की घोषणा की है जिसमें, बताया जाता है, कोई 5 000 टन नेपाल पहुंच भी गए हैं।

(ख) भारत सरकार किसी मित्र पड़ौसी देश के कार्यों और निर्णयों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। भारत के हितों को सुरक्षित रखने के विषय में भारत सरकार बराबर सजग है। जो भी हो, नेपाल के साथ निरंतर मित्रतापूर्ण रहने वाले हमारे सम्बन्धों के संदर्भ में नेपाल के प्रति सभी स्थिति पर सिर्फ इसलिए तत्काल पुनर्विचार करने की कोई जरूरत नहीं दिखाई देती कि इसने आर्थिक क्षेत्र में विदेशों का सहयोग लिया है, जिसमें चीन भी शामिल है

(ग) नेपाल में भारत के साथ दुश्मनी रखने वाले देशों के नागरिकों का प्रवेश भारत के लिए गहरी चिंता का विषय हैं। वैसे नेपाल में इन लोगों के आने से कोई समस्या न खड़ी होती लेकिन नेपाल और भारत के बीच स्वच्छंद और खुली सीमा होने के कारण, जिससे नेपाली अथवा भारतीय बिना किसी रोक-टोक के और बिना किसी दस्तावेज के आ-जा सकते हैं, पाकिस्तान के राष्ट्रीकों के लिए, जिन्हें आमतौर से भारतीयों से अलग नहीं पहचाना जा सकता, यह सम्भव हो जाता है कि वे चोरी-छिपे भारत में घुस आएं। इसी तरह यह भी सम्भव है कि कुछ चीनी राष्ट्रिक भी, जो देखने में नेपाली राष्ट्रिकों के कुछ वर्गों से मिलते-जुलते नजर आते हैं, नेपाल से भारत में घुसने की कोशिश करें। भारत सरकार इस समस्या के प्रति बराबर सतर्क हैं और जन-धन के अपने सुलभ साधनों की सीमाओं में रहते हुए नेपाल के महामहिम की सरकार के साथ सहयोग में बराबर सावधानी बरतती है।

पाकिस्तान द्वारा नागाओं को सहायता

4354. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम पुलिस को पाकिस्तान द्वारा छिपे हुए नागाओं को शस्त्रास्त्रों की सहायता दिये जाने के और प्रमाण मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागल) : (क) और (ख) : सरकार को मालूम है कि छिपे नागा लोग पाकिस्तान से निरंतर हथियार, गोला बारूद और अन्य सहायता प्राप्त कर रहे हैं और सरकार विभिन्न संबंध कारणों की परधि में आनेवाले समुचित रक्षात्मक उपाय बरत रही है।

नेपाल को वित्तीय सहायता

4355. श्री विश्वनाथ पान्डेय : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 1967 को समाप्त होने वाले वर्तमान नेपाली वित्तीय वर्ष में भारत ने नेपाल को सब से अधिक सहायता दी है।

(ख) यदि हां, तो अब तक नेपाल को कितनी राशि की ऐसी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) नेपाल सरकार ने अब तक कितनी वित्तीय सहायता का उपयोग किया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु०क०चागला) : (क) अपने पड़ौसी देश नेपाल को भारत जो सहायता देता है उसे भारतीय सहयोग कार्यक्रम कहते हैं और मै इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर देते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ।

(ख) नेपाल के साथ सहयोग कार्यक्रम पर 31 मार्च 1967 तक लगभग 38 करोड़ रुपए खर्च होने थे जिसमें से 31 मार्च 1967 तक समाप्त होने वाले वर्ष में लगभग 774 लाख रुपये खर्च हुए।

(ग) ऊपर लिखे आंकड़े वास्तविक खर्च के हैं।

Exports to Afghanistan via Pakistan

4356. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram gopal Shalwale :
Shri Ram Avtar Sharma :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Achal Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan is allowing the use of their air-space for the despatch of only perishable goods from Afghanistan to India;

(b) whethr it is also a fact that Pakistan Govern nent is blocking the way for the despatch of goods bound for Afghanistan from India;

(c) whether it is also a fact that Pakistan wants to include this problem in the issues involved for the normalisation of Indo-Pak relation; and

(d) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagal, : (a) No, Sir. There is no restriction on movements of goods through Pakistan by air.

(b) Indian exports to Afghnistan are not permitted by Pakistan through Hussainiwala route. Exports are, however, permitted to move through Karachi, resulting in increased freight charges.

(c) and (d) : It is not Pakistan, but India who have sought to include the question of full restoration of economic and trade relation with Pakistan, in any future dialogue for normalisation of Indo·Pak relations. As the House is aware, the Government of India in May last year, removed unilaterally. the ban on trade with Pakistan, without succeeding in evoking similar response from the other side. several requests made to the Government of Pakistan to reopen all check-posts and land routes on their side of the border, for trade and traffic to and through Pakistan, have had no effect so far. The Government of Pakis-

tan have recently informed the Government of India that it is not yet possible for them to reopen even the Attari-wagha border, which is the principal channel for overland trade with Afghanistan.

एक ब्रिटिश गणमान्य व्यक्ति द्वारा आकाशवाणी पर भाषण

4357. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री नायनार :**
श्री कं० हाल्दर : **श्री पाणिग्रही :**
श्री भगवान दास :

क्या **सूचना प्रसारण मंत्री** वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी कुछ दिन पहले यात्रा पर आये हुए एक ब्रिटिश गणमान्य व्यक्ति का आकाशवाणी पर भाषण देने की अनुमति दी गई थी;

(ख) क्या उनके मामले में नियमों का पूर्णतः पालन किया गया था; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर हां हो, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) : जी हां।

(ख) : जी, हां।

(ग) : आकाशवाणी द्वारा प्रसारण के लिए विदेशियों को बुक करने के नियमों के अनुसार यदि वार्ता, इन्टरव्यू, आदि, राजनीतिक श्रेणी के नहीं है, तो किसी प्रकार अनुमति के लिए सरकार के पास जाना आवश्यक नहीं है। परन्तु, यदि प्रसारण की जाने वाली प्रस्तावित वार्तायें, इन्टरव्यू, आदि राजनीतिक स्वरूप के हैं या इनमें विदेश नीति और विदेश सम्बन्धों के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख होने की सम्भावना है, तो इस प्रकार के सारे मामलों में भारत सरकार की पूर्व सहमति लेनी पड़ती है।

सब प्रकार के वार्ताकारों, जैसे विशेषज्ञों, पत्रकारों, विश्व-भ्रमण करने वालों, साहसिक व्यक्तियों याने जिनके पास कहने के लिए कोई कहानी हो, का प्रसारण करने के लिये उपयोग किया जाता है। यदि व्यवस्था अन्य प्रसारण संगठनों में भी है।

भारत में टेलीविजन सेटों का निर्माण

4358. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री मधु लिमये :
डा० कर्णी सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में निर्मित टेलीविजन सेट आयातित टेलीविजन सेटों से सस्ते होंगे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार टेलीविजन सेटों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है; और

(ग) भारतीय निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री ब० रा० भगत**) : (क) से (ग) जिन दो फर्मों को प्रति वर्ष 10,000 टेलीविजन सेट बनाने के लिये लाइसेंस दिये गये है, पूंजीगत सामान का आयात करने के लिए प्राप्त उनके आवेदन पत्रों पर विचार कर रही है। आरम्भ में इन फर्मों को पुर्जों का आयात करने के लिए 250 रु ये प्रति सेट के हिसाब से विदेशी मुद्रा की भी आवश्यकता होगी। सी० ई० ई० आर० आई०, पिलानी ने परीक्षण उत्पादन के आधार पर 1,000 टेलीविजन सेट वार्षिक दर से आरम्भ कर दिया है। देश में निर्मित 23 इंच स्क्रीन वाले इस टेलीविजन सेट का मूल्य 1500 रुपये होगा जो इसी आकार के आयातित टेलीविजन सेटों की तुलना में कम है। देश में टेलीविजन सेटों के पर्याप्त निर्माण होने के बाद ही इसके आयात बन्द करने पर विचार किया जा सकता है।

News Broadcast By A. I. R. Relating to M. L. As. of M. P.

4359. Shri Y. S. Rusiwah :
Shri Prakash Vir Shaitri :
Shri Atam Das :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 7th June, 1967 a news was broadcast over the Delhi Station of all India Radio that Eight M. L. As of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha belonging to the Opposition parties have joined the Congress Party; and

(b) if so, the source from which this news was received by the A. I. R. ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) Yes. Sir.

(b) A news agency.

मद्रास के निकट नया परमाणु शक्ति अनुसंधान केन्द्र

4360. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा मद्रास के निकट नया परमाणु शक्ति अनुसंधान केन्द्र देश के थोरियम के प्रचुर निक्षेपों का शांतिपूर्ण प्रयोजन के हेतु परमाणु शक्ति तैयार करने के लिये उपयोग करने सम्बन्धी परियोजना के रूप में स्थापित किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) इस परियोजना पर कुल कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह परियोजना समुचित प्रक्रमों में निष्पादित की जायेगी और इसके पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरी होने की आशा है। इस केन्द्र की स्थापना पर कुल खर्च 15 करोड़ रुपये आयेगा।

Percen.age Of Persons Belonging to Ma hya Pradesh in the Army

4361. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state

(a) the percentage of persons belonging to Madhya Pradesh in the Indian Army, and

(b) the percentage of those among them as are holding senior posts ?

The Minister in of Stated in the Ministry of Defence (Shri B. R. Chagat) (a) and (b) : It is not in public interest to disclose the information on the floor of the House.

प्रतिरक्षा मंत्रालय (एम० ई० एस०) में सर्वेयर और इंजीनियरिंग संवर्गों का विलय

4362. **श्री० एस०एम० जोशी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मार्च 1964 में प्रतिरक्षा मंत्रालय (एम० ई० एस०) में सर्वेयर संवर्ग तथा इंजीनियर संवर्ग का विलय करने का निर्णय किया गया था तथा यह निर्णय कुछ अंश तक ही क्रियान्वित किया गया था;

(ख) यह भी सच है कि नवम्बर, 1964 में विलय का पूरा मामला खटाई में पड़ गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि विलय एक सीमा तक ही किया गया था, जिससे एक विशेष श्रेणी के अधिकारियों को ही लाभ पहुँचना था तथा निम्न श्रेणी के अन्य कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया गया ;

(घ) पूरी तरह विलय कब तक किया जायेगा; और

(ङ) विलय योजना को खटाई में डालने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) सर्वेयर संवर्ग का असिस्टैंट सर्वेयर ऑफ वर्क्स के स्तर तक इंजीनियर संवर्ग के साथ असिस्टैंट एक्जिक्यूटिव इंजीनियर के स्तर तक विलय करने का निर्णय मार्च, 1964 में लिया गया था।

(ख) योजना को लागू करने में जो प्रशासनिक समस्यायें सामने आई उनके कारण इस योजना को क्रियान्वित कुछ समय के लिये स्थगित कर दी गई थी।

(ग) सर्वेयर और इंजीनियर संवर्गों का विलय करते समय उन लोगों को भी कार्यकारी इंजीनियर के पद पर पदोन्नति दी गई थी, जो असिस्टैन्ट सर्वेयर ऑफ वर्क्स के पदों पर पर आसीन थे। जो लोग इंजीनियर बनना चाहते थे उन्हें भी ग्रेड एक दे दिया गया था। प्रथम श्रेणी के असिस्टैंट सर्वेयर को असिस्टैंट कार्यकारी इंजीनियर के पद के लिये पदोन्नति नहीं दी गई। इस बारे में विभाग को अभी फैसला करना है।

(घ) विलन के क्रियान्वित कर दिया गया है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रतिरक्षा मंत्रालय (एम० ई० एस०) में सर्वेयर और इंजीनियरिंग संवर्गों का विलय

***4363. श्री एस० एम० जोशी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब प्रतिरक्षा मंत्रालय (एम० ई० एस०) में सर्वेयर संवर्ग और इंजीनियरिंग संवर्ग का विजय करने की योजना बनाई गई थी, तो उस समय कर्मचारियों को यह छूट दी गई थी, कि वे अपने पुराने संवर्ग में रह सकते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विलय के बाद भी सरकार का विचार जिन दो पृथक संवर्गों को बनाये रखने का है और उस अवस्था में पदोन्नति का प्रश्न किस प्रकार हल करने का विचार है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दोनों संवर्गों के विलय के कारण उन लोगों की पदोन्नतियां, जिन्होंने इन्सटीट्यूट आफ सर्वेयर की परीक्षा पास कर ली है और ऐसी पदोन्नतियों के पात्र हो चुके हैं, रोक दी गई हैं और अब यह विलय प्रक्रिया रोक दी जाने के कारण अधीनस्थ कर्मचारियों को कोई पदोन्नति नहीं मिल रही हैं ; और

(घ) इस विषमता को किस प्रकार दूर करने तथा योग्यता प्राप्त कर्मचारियों की तरक्की का मार्ग प्रशस्त करने का सरकार का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। जहां तक पदोन्नति का प्रश्न है, अर्हता प्राप्त उन व्यक्तियों को, जिन्होंने विलीन-संवर्ग में मिलने की इच्छा व्यक्त नहीं की, तथा उन व्यक्तियों को जो अन्यथा पूर्णतः पात्र हैं, उनके मूल सर्वे संवर्ग में पदों के लिये ध्यान में रखा जाता है, जिन्होंने विलीन संवर्ग में मिलने की इच्छा व्यक्त की, उन्हें यदि वे अन्यथा पात्र हों। इंजीनियर और सर्वे संवर्गों में पदों पर पदोन्नति के लिये ध्यान में रखा जाता है।

(ग) और (घ) दो संवर्गों के विलय के कारण अर्हता-प्राप्त कर्मचारियों की पदोन्नति खटाई में नहीं डाली गई है। ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये उस समय विचार किया जायेगा जब सीधी भर्ती वाले कर्मचारियों तथा विभागीय पदोन्नति-प्राप्त कर्मचारियों के बीच अनुपात का प्रश्न निपटाया जायेगा। इस मामले पर शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की आशा है।

प्रधान मंत्री का मध्यप्रदेश का दौरा

*** 4364. श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री चक्रपाणि :
श्री वि० कु० मोदक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले आम चुनावों के दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कहां कहां का तथा किस किस तारीख को दौरा किया था ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रधानमंत्री 24 जनवरी, 1967 को इन्दौर, नागदा, बरनागर, उज्जैन तथा देवास गई थी, और 25 जनवरी को भोपाल, होशंगाबाद और इटारसी गई थीं ।

आकाशवाणी में कर्मचारी

4365. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री गा० शं० मिश्र :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में विभिन्न श्रेणियों के कितने कर्मचारी हैं; और

(ख) राज्यवार तथा श्रेणी वार उनका ब्यौरा क्या है ?

सूचना प्रसारण मंत्री (श्री के. के. शाह) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और एक विवरण सदन की मेज पर यथा समय रख दिया जाएगा ।

इसरायल के साथ राजनयिक सम्बन्ध

* 4367. **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री राम सेवक यादव :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये इस आशय के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्र के रूप में इसराईल का विनाश करने के प्रयत्न में सहायता देने की सरकार की नीति नहीं है, क्या सरकार का विचार अरब और इसराईल के दृष्टिकोण को अच्छी तरह समझने के लिये किसी राजनयिक स्तर पर उस देश के साथ कोई सम्पर्क स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो किस स्तर पर ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) : जी नहीं ।

(ख) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

थोड़ी दूरी तक सामान ढोने वाला परिवहन विभाग

4368, **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मध्यम तथा थोड़ी दूरी तक सामान ढोने वाला परिवहन विभाग के नमूने पर जो सैनिक तथा असैनिक दोनों आवश्यकताओं के लिये उपयुक्त होगा, काम आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है।

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री ब० रा० भगत) (क) और (ख) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर डिवीजन ने थोड़ी दूर तक सामान ढ़ोने वाला वर्टिकल/शौर्ट टेक ऑफ लौडिंग परिवहन विमान के सम्बन्ध में वायु सेना की आवश्यकताओं का प्रारम्भिक अध्यन किया है। वायु सेना की अन्य और अधिक अविलम्बनीय आवश्यकताओं की ओर समुचित ध्यान देते हुए, इस परियोजना के लिये प्राथमिकता निर्धारित किये जाने के बाद व्यावहारिकता का निर्धारण किया जायेगा।

Misuse of Funds in N. C. C.

4369. Shri Raghu Vir Singh Shastri :
Shri Ram Avtar Sarma :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Prakash Vir Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Goveonment have recived reports about the misuse of funds in the N. C. C. organisation; and

(b) if so, the steps taken by Governmet to prevent such misuse ?

The Minister of States in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) There have been a few cases of minor financial irregularities in the N. C. C.

(b) Remedial measures such as Surprise checks of accounts particularly in camps, and a regular audit of N. C. C. funds are being taken regularly in eliminate misuse of funds.

सैनिक गुप्तचर विभाग

4370. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री गा० शं० मिश्र :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में सूचना देने के लिये कोई व्यवस्था है कि विभिन्न देशों द्वारा सैनिक साज सामान को आधुनिकतम तथा नवीनतम रूप देने के मामले में उत्तरोत्तर कितनी उन्नति की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह व्यवस्था हमारी आवश्यकता के लिये पर्याप्त है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) हथियारों तथा सैनिक साज-सामान के विकास के सम्बन्ध में विभिन्न देशों में हुई नवीनतम प्रगति के बारे

में जानकारी प्राप्त करने की सरकार कोशिश करती है और अपने पास जानकारी रखती है। यह जरूरी नहीं है कि ऐसी जानकारी प्राप्त करना केवल सैनिक गुप्तचर विभाग का ही काम है। इस सम्बन्ध में वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त समझी गई है।

योजना आयोग का पुनर्गठन

***4371. श्री मधु लिमये :**
श्री रवि राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योजना आयोग का पुनर्गठन करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या सरकार ने योजना आयोग का स्वरूप, 'परिचायक आयोजन' में परिवर्तित करने के बारे में निर्णय कर लिया है ;

(ग) क्या सरकार ने किसी मंत्री को योजना आयोग में नियुक्त न करने और प्रधान-मंत्री को उस आयोग का अध्यक्ष न बनाने का निर्णय किया है ; और

(घ) क्या सरकार ने डा० डी० आर० गाडगिल को योजना आयोग का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय किया है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं, किन्तु इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में सरकार की इच्छा शीघ्र घोषणा करने की है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

इसरायल का युद्ध से पूर्व की स्थिति पर वापिस जाने से इन्कार करना

*** 4372. श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री आत्म दास :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री यशवंत सिंह कुशवाह :
श्री राम अवतार शर्मा :
श्री क० मि० मधुकर :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इसराइल ने उस क्षेत्र में युद्ध से पूर्व स्थिति पर वापस जाने से इन्कार कर दिया है।

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) इसराईल की सरकार की घोषणा के अनुसार, इसराईल सीधे ही प्रत्येक अरब देश के साथ इसराईली सेना के अधीनस्थ क्षेत्रों से इसराईली सेना को हटाने की शर्तों पर बातचीत करना चाहता है ।

(ख) और (ग) : संयुक्त राष्ट्र में तथा अन्य स्थानों पर भारत इसराईल की सशस्त्र सेनाओं को 4 जून की स्थिति पर हटाने की मांग करता रहा है क्योंकि अन्य समस्याओं पर विचार करने की दिशा में यह पहला अनिवार्य कदम है ।

सैनिक अस्पतालों में महिला हैल्थ विजिटर के पदों का दर्जा घटाना

4373. **श्री बलराज मधोक : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक अस्पतालों में महिला हैल्थ विजिटरों तथा परिवार नियोजन कर्मचारीयों के पदों का दर्जा घटा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तीन वर्ष से अधिक समय से सेवा कर रही महिला हैल्थ विजिटरों के वेतन तथा सेवा सम्बन्धी हितों को सुरक्षित रखने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) 18 अक्तूबर, 1966 के पहले, महिला हैल्थ विजिटर सैनिक अस्पतालों में परिवार नियोजन केन्द्रों में, तदर्थ आधार पर, 150–5–175–6–205 ई० बी०–7–240 रुपये के वेतन क्रम में नियुक्त की गई थी, 18 अक्तूबर, 1966 को, सशस्त्र बलों (सेनाओं) में परिवार नियोजन की एक पुनरीक्षित योजना लागू करने के सम्बन्ध में सरकारी आदेश जारी किये गये थे, इस योजना के अन्तर्गत परिवार नियोजन केन्द्रों में 130–5-175 ई० बी० 6–205 रुपये तथा 210–10–290–15–320 रुपये के वेतन क्रमों में 5 वर्ष के लिये क्रमशः फेमिली प्लानिंग वैलफेयर वर्कर तथा पब्लिक हैल्थ नर्स के पदों की व्यवस्था थी, फेमिली प्लानिंग वैलफेयर वर्कर के पद के वेतन–क्रम का पुनरीक्षण किया जा रहा है,

उन महिला हैल्थ विज़िटरों की, जो सैनिक अस्पतालों में परिवार नियोजन केन्द्रों में पहले से काम कर रही हैं, फेमिली प्लानिंग वैलफेयर वर्कर अथवा पब्लिक हैल्थ नर्स के रूप में नियमित आधार पर नियुक्ति करने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा बशर्ते कि वे सभी तरह से उपयुक्त पाये जायें ।

अरब–शरणार्थी

4374. **श्री आत्म दास** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अरब देशों ने मित्र देशों से अरब शरणार्थियों की समस्या को हल करने के लिए सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) अगर इस प्रश्न का मन्तव्य सहायता कार्यों से है, तो और बहुत से नए शरणार्थियों की व्यवस्था करने के लिए जो सहायता मांगी गई थी, उसके उत्तर में भारत सरकार ने हवाई जहाज द्वारा जोर्डन और सीरिया को कम्बल और तम्बू भेजे हैं।

सरकार को शरणार्थियों की समस्या को निपटाने के बारे में अरब देशों को किसी विशेष प्रार्थना के बारे में जानकारी नहीं है जो कि हाल की लड़ाई के कारण और भी बढ़ गई है क्योंकि यह अरब देशों और इसराईल के बीच कई विवादग्रस्त प्रश्नों में से एक है।

पाकिस्तान के रक्षा बजट में कटौती

4375. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान अपने रक्षा-बजट में कटौती को काश्मीर के मामले में अपने हक पर जोर देने और इस सम्बन्ध में भारत के विरुद्ध प्रचार जारी रखने के लिये हथियार के रूप में प्रयोग कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां। पाकिस्तान का प्रचार यह है कि यह कटौती उनकी इस सदिच्छा का प्रदर्शन है कि भारत के साथ कश्मीर सहित तमाम पुराने विवादों को सम्मानित और शांतिपूर्ण ढंग से तय किया जाय।

(ख) और (ग) पाकिस्तान द्वारा यह कटौती वास्तविक होने की अपेक्षा दिखावटी है। यह ध्यान देने की बात है कि 1966-67 के बजट से (225 करोड़ रुपए) रक्षा बजट में 7 करोड़ रुपए की कमी नाममात्र है। यह कमी पिछले साल के बजट का सिर्फ 3.11 प्रतिशत है। पाकिस्तान का रक्षा बजट राजस्व बजट के कुल खर्च का अब भी 57 प्रतिशत है।

आकाशवाणी, कलकत्ता से देशभक्ति के गीतों का प्रसारण

4376. **श्री डा० रानेन सेन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी, कलकत्ता से प्रसारित किये जाने वाले प्रातःकालीन कार्यक्रम को जिसमें देशभक्ति के गीत गाये जाते हैं, कलकत्ता की अधिकांश जनता पसन्द नहीं करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार के दृष्टिकोण का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। परन्तु, पश्चिम बंगाल सरकार के सूचना मन्त्री ने यह बताया है कि जो देशभक्तिपूर्ण गीत प्रसारित किये जा रहे हैं वे घटिया किस्म के हैं और उन पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। मामला विचाराधीन है।

भारत के विकास को दिखाने वाली प्रदर्शनी

4377. डा० रानेन सेन : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल के किसी कस्बे में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पिछले बीस वर्षों में भारत में हुआ विकास का चित्रण करने वाली कोई प्रदर्शनी आयोजित कर रही है;

(ख) तो क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह प्रदर्शनी आयोजित करने के लिये कहा था; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के अन्तर्गत विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की ओर से पिछले बीस वर्षों में भारत में हुए विकास को चित्रण करने के लिये देश के विभिन्न भागों में "हमारा भारत" नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की सरकार को यह प्रार्थना की गई थी कि वे प्रदर्शनियों का आयोजन करने के लिए स्थानों का सुझाव दें। इस प्रार्थना पर उन्होंने यह बताया कि उनके विचार में प्रदर्शनी देश के विकास की एक तरफा और अवास्तविक चित्र प्रस्तुत करती है, क्योंकि इसमे देश की विभिन्न समस्याओं, जैसे बढ़ती हुई कीमतें, हलकी उत्पादिता, मुनाफाखोरी आदि का ध्यान नहीं रखा गया है और पश्चिम-बंगाल की सरकार प्रदर्शनी से अपने को सम्बद्ध रखने में असमर्थ है। उन परिवर्तनों के सम्बन्ध में, जो राज्य सरकार के विचार में हो सकते हैं, सुझाव मांगे गये हैं और मामले पर राज्य सरकार के साथ पत्र व्यवहार चल रहा है।

बाड़मेर के निकट हवाई अड्डा

4378. श्री मु० कु० तापडिया : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा ठेके की कुछ शर्तें पूरी न की जाने के कारण बाड़मेर के निकट उत्तरलाई में प्रस्तावित हवाई अड्डे के निर्माण कार्य की प्रगति रुक गई है; और

(ख) सामरिक महत्व के इस क्षेत्र में इस हवाई अड्डे का शीघ्र निर्माण कराने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) इस हवाई अड्डे पर निर्माण–कार्य की प्रगति धीमी रही है; क्योंकि वर्तमान संसाधनों से उपलब्ध पानी

की सप्लाई निर्माण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्णतः पूरी करने के लिये पर्याप्त नहीं थी। पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिये व्यवस्था की जा रही है।

Airports and Airstrips

4380. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many airports and airstrips constructed during the Second World War have not at all been made use of since 1947;

(b) if so, the number thereof;

(c) whether it is also a fact that many airports and airstrips constructed after Independence are not being put to any use at present;

(d) if so, the number thereof; and

(e) the total expenditure incurred on such airports and air-strips ?

The Minister of State in The Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) Yes, Sir.

(b) 51.

(c) No, Sir.

(d) and (e) Do not arise.

Emergency Commissions

4381. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of officers recruited to the Emergency Commission but not absorbed after the training;

(b) the number of persons among them belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(c) the reasons for which they were not absorbed;

(d) whether any alternative jobs were provided to the said trained persons; and

(e) the total amount incurred on their training ?

The Minister of State in The Ministry of Defence (Shri B R Bhagat) : (a) to (e) The requisite information is being collected and will be placed on the Table of the House.

राजनयिक उन्मुक्तियों की अवहेलना

4382. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से विदेशों में भारतीय मिशन खुले हैं तब से विदेशों में भारतीय राजनयिकों को प्राप्त राजनयिक उन्मुक्तियों की कितनी बार अवहेलना की गई तथा किन-किन देशों ने ऐसा किया;

(ख) ऐसी अवहेलना की जाने के क्या कारण थे;

(ग) इन अवहेलनाओं का भारतीय विदेश सेवा पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) (क) से (घ) यह सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर जल्दी रख दी जाएगी।

Resetlement Directorate

4383. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of Defence be pleased to state the nature and extent of assistance given to the ex-military officers by the Resettlment Directorate during the last five years ?

The Minister of State in The Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : The Directorate General of Resettlement maintains liaison with the Central and state authorities, obtains various concessions and priorities for ex-service personnel including ex-Military officers and advises them on various matters including employment, resettlement in industry and business, settlement on land and housing matters. Ex-Service personnel are advised about the concessions/ priorities available to them through the Soldiers, Boards, Services Headquarters and other media of publicity.

During the last 5 years, the Resettlement Directorate has secured appointments for 301 ex-Service Officers. It has recommended the names of 190 Emergency Commissioned Officers to potential employers and individual applications of 200 Emergency Commissined Officers for employment in various posts. It has also organised several orientation training courses which have been attended to by 211 officers.

Clash in Gun and Shell Factory, Cossipore

4384. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Defence be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1478 on the 5th June, 1967 and state :

(a) whether the report of the Board of Enquiry on the causes of clash in the Gun and Shell Factory at Cossipore, Calcutta, has since been received by Government;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the further time likely to be taken in this regard ?

The Minister of State in The Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) the report is under examination. Some further information has been asked for from the DGOF. It is expected that the examination will take a month or two.

एवरो विमानों का निर्माण

4385. श्री रा० बरुआ :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक उपयोग का एवरो विमान तैयार हो गया है और यदि नहीं, तो इसे तैयार करने में कितना समय लगेगा;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा लिये गये एवरो विमानों का संचालन व्यय डकोटा विमानों की तुलना में कम है और यदि नहीं, तो क्या इस पहलू पर कभी विचार किया गया; और

(ग) क्या यह विमान विदेशों में बिकने योग्य है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) ब्रिटेन में तैयार किये गये एच० एस० 748 सैनिक उपयोग के विमान का भारतीय वायु सेना ने मूल्यांकन किया था और ऐसा पाया गया कि यह विमान वायु सेना की ऑपरेशनल सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्णतः पूरी नहीं करता।

(ख) डकोटा विमान की उपयोगिता अब समाप्त हो चुकी है और वह एच० एस० 748 के श्रेणी में नहीं आता। फोकर फ्रेंडशिप विमान की भांति, जो कि आई० ए० सी० में पहले से, चलाया जा रहा है, एच० एस० 748 विमान का परिचालन-व्यय उसकी श्रेणी के विमान की तुलना में दूरी तथा यात्री। माल ले जाने की क्षमता आदि की दृष्टि से कम है।

(ग) भारत में बनाये गये एच० एस० 748 विमान के लिये विदेशों से कोई भी क्रयादेश नहीं मिला है। तथापि यह विमान बहुत से देशों में चलाया जाता है।

कोरबा में भारी पानी तैयार करने वाला कारखाना

4386. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कोरबा में भारी पानी तैयार करने वाला कारखाना स्थापित करने के बारे में विगत समय में कोई प्रस्ताव था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मन्त्री तथा अणु-शक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) कोरबा एक ऐसा स्थान समझा गया है जहां भारी पानी तैयार करने का एक कारखाना स्थापित किया जा सकता है।

(ख) यह कारखाना कहां लगाया जायेगा, यह बात अभी विचाराधीन है।

Deputy Directors In A. I. R.

4388. Shri Ramshekhar Prasad Singh :
Shri N. P. Yadav :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of Deputy Directors in the News Division of all India Radio and their respective pay-scales;

(b) the number of officers amongest them who have passed the matriculation examination with Hindi medium of have passed, after joining service, the Pragya examination of the Ministry of Home Affairs;

(c) whether it is a fact that the number of Deputy Directors, in addition to the Chief News Editor, working in English Branch is seven whereas there is neither any Deputy Director in the Senior Grade (1300-1600 and 1600-1800) and the Junior Grade (1100-1400) not any officer in the grade of Chief News Editor in the Hindi Branch; and

(d) the steps being taken by Government to remove this disparity ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) There are five Deputy Directors in the News Services Division, two of them in the scale of Rs. 1300-60 1600 and three in the scale of Rs. 1100-50-1400.

(b) One of them has passed the Intermediate Arts examination in Hindi, while another has Passed the Matriculation with Hindi.

(c) The Chief News Editor is in charge of the G neral News Room where English and other Indian language bulletins (except Hindi) are dealt wi h. The Deputy Directors, however, generally supervise the work of the News Services Division as a whole, including the Hindi Unit. It will not therefore, be correct to assume that they are assigned only to English news bulletins.

(d) A proposal for creating the post of Chief News Editor for Hindi is under consideration.

हिन्दी समाचार वाचक ग्रौर घोषक (एनाउन्सर)

4389. श्री भा० सुन्दरलाल : क्या सूचना ग्रौर प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि आकाशवाणी के अधिकतर हिन्दी समाचार वाचकों तथा घोषणा करने वाले व्यक्तियों (एनाउन्सर्स) की आवाज बड़ी कर्णकटु तथा खराब है और वह कई बार लोगों को बहुत अखरती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें बदलने तथा अच्छी आवाज वाले व्यक्तियों को रखने का कोई विचार है ?

सूचना ग्रौर प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार से ग्रणु सम्बन्धी कच्चा माल

4390. श्री शिवचन्द्र भा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार इस समय भारत में आण्विक अनुसन्धान के प्रयोग के लिये अपेक्षित बहुत से सामान की सप्लाई कर रहा है तथा उसके पास आण्विक काम के लिये ग्रपेक्षित बहुत से प्राकृतिक संसाधन है जो अभी उपयोग में नहीं लाये गये है;

(ख) यदि हां, तो बिहार से इस समय कौन सा सामान लिया जा रहा है तथा उसके पास वे कौन से संसाधन हैं जो अभी उपयोग में नहीं लाये गये हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार बिहार में आणविक रिएक्टर लगाने का है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु, शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) ऐसा पता लगा है कि बिहार में सिंघभूम जिले की तांबे की पट्टी में काफी मात्रा में यूरेनियम अयस्क है। जदुगुडा यूरेनियम खान में उत्पा.न आरम्भ हो चुका है। भाटिन और नखापहाड़ में अन्य महत्वपूर्ण निक्षेपों की खोज की जा रही है और साथ-साथ इनका भूमिगत विकास किया जा रहा है और वहां बहुत से निक्षेपों के मिलने की आशा है। बेरीलियम तथा लीथियम जैसे कुछ अन्य आण्विक खनिज पदार्थ भी वहां मौजूद हैं जिनका उपयोग किया गया है।

(ग) बिहार में आण्विक रिएक्टर लगाने का कोई विचार नहीं है।

गांवों में दीवारों पर समाचारों का चिपकाया जाना

4391. श्री यशपाल सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक ऐसी योजना आरम्भ करने का है जिसके अन्तर्गत गांवों की दीवारों पर समाचारों को चिपकाया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) प्रादेशिक भाषाओं में, दीवारों पर चिपकाए जाने वाले सचित्र समाचार-पत्रों को, जिनमें खेती और स्थानीय एवं राष्ट्रीय महत्व के दिन प्रतिदिन की समस्याओं पर विशेष बल होगा और जो मुख्यतः गांवों के लोगों के लिए होंगे, आरम्भ करने के एक प्रस्ताव पर विचार अभी शुरू ही हो रहा है। इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप तभी दिया जायेगा, जब धन उपलब्ध हो सकेगा तथा इस बारे में किए जा रहे जनमत सर्वेक्षण से उक्त प्रायोजना की उपयोगिता स्पष्टतया सिद्ध हो जायेगी।

नौसेना के अधिकारियों का प्रशिक्षण

4392. श्री आत्म दास : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौसेना के कुछ अधिकारियों को उन्नत प्रशिक्षण के लिये वाशिंगटन भेजा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले 20 वर्षों में भारत में ऐसा एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत में एक ऐसा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) नौसेना के अधिकारियों को विशेषता-प्राप्त क्षेत्रों में अत्यधिक तकनीकी तथा उच्च प्रशिक्षण के लिये, जो कि देश में उपलब्ध नहीं है, अमरीका भेजा जाता है ।

(ख) प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करने (केन्द्र खोलने) तथा विशेषता-प्राप्त प्रशिक्षण के लिये कीमती उपकरणों पर काफी खर्च होगा और ऐसी प्रतिनियुक्तियों पर आने वाले खर्च की तुलना में उस पर खर्च भी अधिक आयेगा ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग

4393. श्री समर गुह : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पश्चिम बंगाल शाखा को छोड़कर शेष राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग को भारतीय सांख्यिकी संस्था से पृथक करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग ने वर्ष 1966-67 तथा उससे पिछले वर्षों की अवधि में उसके द्वारा किये जाने वाले कार्यों तथा उनकी क्रियान्विति के बारे में कोई प्रतिवेदन दिया है;

(घ) इस बात की जांच करने के लिये कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग द्वारा दिये गये वचनों को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं, किन-किन बातों को ध्यान में रखा गया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल शाखा को छोड़कर शेष राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन को चलाने के लिये केन्द्रीय सरकार के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो इस प्रस्तावित संस्था के ढांचे की रूप-रेखा क्या है ?

प्रधान मन्त्री तथा अणु-शक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के किसी कार्य की कोई मद तभी पूरी समझी जाती है जब वह मद राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के सर्वेक्षणों के दौरान संगृहीत आंकड़ों के आधार पर टिप्पणी सहित सारणियों के रूप में प्रस्तुत की जाये ।

(ङ) और (च) इस विषय में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान विषयक समीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिश विचाराधीन है ।

Parliament Broadcast

4394. **Shri Ramachandra Veerappa :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government propose to lay on the Table a copy of the proceedings of Parliament, broadcast from the All India Radio immediately after it has been broadcast ; and

(b) if so, from what date ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Strength of the Staff of Hindi News Unit of Air, Delhi

4395. **Shri Ram Chandra Veerappa :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of persons working in the Hindi News unit of the News Services Division, All India Radio, Delhi ; and

(b) the number of staff Artistes, Assistant News Editors and temporary Staff out of the said strength ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) Thirty eight in all the Hindi Units of News Services Division, All India Radio.

(b) Staff Artists (including one Casual Artist).	23
Assistant News Editors	3
Temporary employees	4

जवानों का मनोरंजन

4396. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री गं० च० दीक्षित :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डज़ी ईरानी ने अग्रिम क्षेत्रों के जवानों का मनोरंजन करने के लिये अपने नेतृत्व में एक दल ले जाने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार इस दल के साथ संसद सदस्यों का एक दल भेजने की वांछनीयता का भी विचार करेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) इस दल ने हाल में बम्बई में एक "ट्रायल शो" आयोजित किया था और स्थानीय सैनिक अधिकारियों से इस अभिनय कार्य के बारे में रिपोर्ट मिलने पर आगे कार्यवाही की जायेगी ?

(ग) इस दल के साथ संसद सदस्यों को भेजने की व्यवस्था करना सुविधाजनक नहीं होगा।

आकाशवाणी केन्द्र, गोहाटी

4397. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के गोहाटी केन्द्र को अपने अधिकांश समय में दिल्ली से होने वाला प्रसारण रिले करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आकाशवाणी के गोहाटी केन्द्र से स्वतंत्र रूप से प्रतिदिन किन कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है तथा विभिन्न भाषाओं के कार्यक्रमों के लिये नियत किये गये समय का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के. के. शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 877/67**]

भारतीय चलचित्र संस्था में आसाम के छात्रों का प्रवेश

4398. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूना स्थित भारतीय चलचित्र संस्था, में प्रशिक्षण के लिये आसाम राज्य के छात्र चुने गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) आसाम राज्य के छात्रों को इस संस्था में प्रवेश दिलाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या इस कार्य के लिये आसाम सरकार ने छात्रवृत्तियों के लिये कोई व्यवस्था की है; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी छात्रवृत्तियां देने की व्यवस्था की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के. के. शाह) : (क) जी, हां। भारतीय फिल्म संस्थान, पूना में, 1961 से, जबकि उसकी स्थापना हुई थी, अब तक विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए असम के 11 विद्यार्थियों को दाखिल किया गया है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) देश के सभी भागों के विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए दाखलों सम्बन्धी सूचना प्रमुख समाचार-पत्रों में विस्तृत रूप से प्रकाशित की जाती है।

(घ) और (ङ) जी, हां। असम सरकार ने पचहत्तर-पचहत्तर रुपये प्रति मास की दो छात्रवृत्तियां चलाई हैं। छात्रवृतियों की संख्या बढ़ाने के प्रश्न पर संस्थान और राज्य सरकार के बीच पत्र-व्यवहार चल रहा है।

महाराष्ट्र के परिवार नियोजन कार्यक्रम का आकाशवाणी से प्रसारण

4399. **श्री दी० चं० शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के बारे में महाराष्ट्र सरकार के हाल के निर्णयों को आकाशवाणी द्वारा पूरी तरह प्रसारित न किये जाने के लिए महाराष्ट्र के लोक स्वास्थ्य मंत्री ने आकाशवाणी की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में उक्त मंत्री महोदय को क्या उत्तर दिया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के. के. शाह): (क) और (ग) समाचार पत्रों में इस आशय की एक खबर की ओर ध्यान दिलाया गया है। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, इसलिये कोई उत्तर देना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

(ख) इस समाचार को आकाशवाणी के बम्बई केन्द्र के प्रसारण में प्रमुखता मिली थी। दिल्ली से प्रसारित भारतीय भाषाओं के कुछ बुलेटिनों में भी इसे स्थान मिला था।

चीन द्वारा किये गये बम विस्फोट के परिणाम

4400. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 17 जून, 1967 को चीन द्वारा किये गये उद्जन बम के विस्फोट से भारत पर गिरने वाली आण्विक धूल के परिणामों के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत पर इस का क्या प्रभाव पड़ेगा?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) कामशियल विमान से धूल के नमूने एकत्रित किये गये हैं और बम के बारे में तकनीकी जानकारी

प्राप्त करने के लिये विश्लेषण किया गया है। इस बात की जाँच करने के लिये कि धूल विकिरणशीलता में कोई वृद्धि हो रही है, भूमि स्तर वायु तथा धरातल निक्षेपणों की नियमित रुप से माप की जा रही है।

(ग) किसी भी भूमि स्तर अनुश्रवण (मोनीटरिंग) केन्द्र में ऐसी बात देखने में नहीं आई कि धूल विकिरणशीलता में कोई वृद्धि हुई है।

Maharana Partap Anni ersary

4401. Shri Y. S. Kushwah : Will the Minister of **Information and Broadc sting** be pleased to state.

(a) The names of great men and leaders of historical importance whose anniversary celebrations are coueied as also features broadcast by the All India Radio ;

(b) whether the news regarding the anniversary of Maharana Pratap celebrated recently in Delhi and several other parts of the country was broadcast by the All Inidia Radio ; and

(c) whether some facility to broadcast a feature on the life of Maharana Pratap was also provided at the said occasion ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) The anniversaries of the following eminent public leaders are observed by All India Radio on an all India basis through the broadcast of special programmes which may consist of talks, discussions, symposia or features etc.

1. Mahatma Gandhi ;
2. Pt. Jawaharlal Nehru :
3. Shri Lal Bahadur Shastri :
4. Netaji Subhash Chandra Bose :
5. Sardar Vallabh Bhai Patel
6. Dr. Rajendra Prasad :
7. Lokmanya Tilak :
8. Maulana Abul Kalam Azad:
9. M. G. Ranade :
10. T. R. Phukan :
11. Lala Lajpat Rai :
12. T. S. Sivaswami Ayyar :
13. C. F. Andrews :
14. Sarojini Naidu :
15. Moti Lal Nehru :
16. Gopal Krishna Gokhale :
17. S. Vijayaraghavachariar :
18. Pherozshah Mehta :
19. S. Satyamurthy :
20. Dadabhai Naoroji :
21. Pt. Govind Ballabh Pant :
22. Srinivasa Sastry :
23. Vithalbhai Patel :
24. Annie Besant :
25. U. Gopabandhu Das
26. C. R. Das
27. Surendranath Banerjee :
28. Madan Mohan Malaviya :
29. Dr. B. R. Ambedkar :
30. Kasturba Gandhi :
31. Sardar Bhagat Singh :
32. Hakim Ajmal Khan :

In addition to the above, the observance of the anniversaries of other outstanding personalities in the various fields has been left to the discretion of each individual Station of All India Radio.

(b) Yes, Sir. The celebrations in connection with the Maharana Pratap Jayanti, including the various functions arranged on the occasion, were covered in the news bulletins as well as newsreels broadcast from both Delhi and Jaipur.

(c) and (d) The anniversary of Maharana Partap is not included in the list of those anniversaries on which AIR broadcasts special programmes, including features. However, important public functions arranged on the occasion are suitably covered in news and newsreels.

टेलीविजन पर पाकिस्तान द्वारा प्रचार

4402. **श्री ओंकारलाल बेरवा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लाहौर से टेलीविजन पर प्रसारित कार्यक्रम अमृतसर में देखे जा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन कार्यक्रमों को मोनिटर करने के लिये एक दल अमृतसर भेजा है।

(ग) इस दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या टेलीविजन से पाकिस्तान द्वारा किये जा रहे प्रचार का तुरन्त खण्डन करने के लिये अमृतसर में एक टेलीविजन केन्द्र खोलने का सरकार का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के. के. शाह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) अमृतसर में ग्राह्य ध्वनि और चित्र की किस्म ठीक ही है।

(घ) क्योंकि अमृतसर में टेलीविजन देखने के साधन नहीं है, इसलिये टेलीविजन पर पाकिस्तानी प्रचार का खण्डन करने का प्रश्न नहीं उठता। तो भी, अमृतसर में निकट भविष्य में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय राष्ट्रजनों को पासपोर्ट देना

4403. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1966–67 में भारतीय नागरिकों को कितने पासपोर्ट दिये गये ;

(ख) कितने पासपोर्टों की अवधि बढ़ाई गई ; और

(ग) पासपोर्टों के कितने आवेदन पत्र नामंजूर किये गये ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) यह सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

मलयेशिया को प्रतिरक्षा दल

4404. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री प्र० ना० सोलंकी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एक भारतीय प्रतिरक्षा दल हाल में मलयेशिया भेजा गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी यात्रा का उद्देश्य क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) गत वर्ष मलेशियन प्रतिरक्षा प्रतिनिधि मंडल भारत आया था और उसकी इस यात्रा के बदले मलेशिया सरकार के निमंत्रण पर भारतीय प्रतिरक्षा दल मलेशिया गया था । प्रारम्भिक तौर पर तो यह एक सद्भावना यात्रा थी लेकिन मलेशियन सेवा कर्मचारियों के लिये भारत में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं, भारतीय सेवा अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर मलेशिया भेजने तथा एक ही उद्देश्य (कॉमन कनसर्न) के अन्य मामलों पर मलेशिया सरकार के साथ विचार विमर्श भी किया गया था ।

Hindi Knowing Staff At A. I. R. Stations

4405. Shri Sita Ram Kesri :
Shri Kartik Oraon :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the number of Station Directors, Assistant Station Directors, Programme Executives and Transmission Executives, spearately, in the A.I.R. Stations in the Hindi-speaking States;

(b) the number of Officers among them who have passed, matriculation examination with Hindi medium or have passed, after joining service, the Pragya examination of the Ministry of Home Affairs; and

(c) the number of Officers among them who were less than 45 years of age in 1960?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K.K. Shah) : (a)and (c) : The required information is given below :

	Category of officers at AIR Stations.	No. in Hindi speaking States.	Number of those who were less than 45 years in 1960·
(i)	Station Directors	6	4
(ii)	Assistant Station Directors	5	4
(iii)	Programme Executives	57	51
(iv)	Transmission Executives	62	59

(b) The required information is being collected and will be laid on the Table of the house in due course.

मद्रास के बजट सम्बन्धी समाचार का प्रसारण

4406. **श्री नंजा गौडर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 जून, 1967 को 1.30 बजे म० प० 6 बजे सायं तथा 9 बजे रात को आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किये गये अंग्रेजी समाचार बुलेटिन में मद्रास बजट का कोई उल्लेख नहीं किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के. के शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रत्येक समाचार बुलेटिन में सारी खबरें देना सम्भव नहीं है । इसके कई कारण हैं । जिनमें खबरों का आधिक्य भी एक कारण है । 17 जून को मद्रास के बजट के बारे में दिन के 3.30 बजे और रात्रि के 11.00 बजे के समाचार–बुलेटिनों में और फिर 18 जून को प्रात: 8 बजे के समाचार बुलेटिन में खबर प्रसारित की गई ।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी, खड़कवासला के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

4407. **श्री एस० एम० जोशी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पूना के निकट खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी के चतुर्थ श्रेणी के कई सौ कर्मचारियों को जिन्हें अकादमी के अहाते में क्वार्टर दिये गये हैं बिजली की सुविधा नहीं दी गई है जब कि कैडटों, अधिकारियों तथा उच्च वर्ग के अन्य कर्मचारियों को बिजली दी जाती है;

(ख) क्या यह सच है कि किसी एक पुराने नियम के कारण जिसके अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बिजली देने की अनुमति नहीं है, चतुर्थ श्रेणी के इन अधिकांश कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं दी जाती है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो इस विषमता को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) यह सच है कि पूना के निकट खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में चतुर्थ श्रेणी के छः सौ से अधिक चतुर्थ श्रेणी के प्रतिरक्षा सिविलियन कर्मचारियों को अकादमी के अहाते में रिहायसी क्वार्टर दिये गये हैं जिनमें बिजली की व्यवस्था नहीं है ।

(ख) और (ग) 7 सितम्बर, 1964 के बाद चतुर्थ श्रेणी के सिविलियन कर्मचारियों के लिये बनाये गये क्वार्टरों में बिजली लगाने की मंजूरी दी गई थी । उक्त तिथि से पहले जिन क्वार्टरों को बनाने की मंजूरी दी गई थी उनमें बिजली लगाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

Isotopes

4409. Shri Molahu Prasad : Shri J. H. Patel : Shri Maharaj Singh Bharati : Shri Ram Sewak Yadav :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the total value of isotopes and labelled compounds produced during 1966-67 by the three reactors i.e., Apsra, Cirus and Zerlina; and

(b) the quantity of the said production together with its value kept for the use in the country and the quality together with the value thereof exported ?

The Prime Minister and Ministry of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Radioisotopes and labelled compounds of the value of approximately Rs. 20 lakhs were produced during the year 1966-67. Zerlina does not produce any radioisotopes.

(b) 2700 curies of radioisotopes and labelled componds valued at Rs. 11.3 lakhs were sold within the country and 25 curies valued at Rs. 70,000/- were exported.

पेरिश में परमाणु संबंधी पदार्थों की खरीद का मिशन

4410. श्री सीताराम केसरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पेरिस में परमाणु शक्ति विभाग का एक खरीद मिशन खोलने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मिशन के प्रभारी अधिकारी के लिये अपेक्षित अर्हताएं क्या हैं और क्या वर्तमान पदधारी अपेक्षित अर्हता-प्राप्त व्यक्ति हैं; और

(ग) इस नये संस्थान को स्थापित करने तथा पेरिस स्थित हमारे दूतावास को यह कार्य न सौंपने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी : (क) से (ग) सरकार ने पेरिस में हमारे दूतावास के एक अंग के रूप में परमाणु शक्ति विभाग का एक खरीद मिशन खोलने का निश्चय किया है। इस मिशन के प्रभारी अधिकारी के कर्तव्य मुख्यतः विदेशी सप्लायरों के साथ करार करने, नौवहन तथा बीमे की व्यवस्था और परमाणु शक्ति विभाग को वाणिज्यिक जानकारी देना होगा। जिस अधिकारी को चयन किया गया है वह पहले लन्दन स्थित भारतीय आयुक्तावास में इण्डिया स्टोर्स डिपार्टमेन्ट के महानिदेशक थे और बाद में उन्हें राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वह इस समय परमाणु शक्ति विभाग में ऑफिसर ओन स्पेशियल ड्यूटी हैं, इसलिये उन्हें, इस खरीद मिशन को सौंपे गये कर्तव्यों को निभाने के लिये अपेक्षित समुचित अनुभव प्राप्त है। माल (स्टोर्स) की खरीद तथा सप्लाई के प्रयोजन के लिये पेरिस स्थित हमारे दूतावास के पास कोई संगठन नहीं है।

Loss Suffered by Indian Embassy in Peking

4411. Shri Prakash Vir Shastri : Shri Onkar Lal Berwa : Shri Raghuvir Singh Shastri : Shri Arjun Singh Bhadoria : Shri Shiv Kumar Shastri : Dr. Surya Prakash Puri : Shri Ram Avtar Sharma : Shri Y. S. Kushwah : Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the loss suffered by the Indian Embassy at Peking ue to stone-throwing etc. during the recent siege there had been estimated;

(b) whether compensation for this loss has been demanded from the Chinese Government; and

(c) if so, the reply of the Chinese Government in this regard ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir. The cost of the loss suffered during the recent siege of the Indian Embassy in Peking has been estimated to be about Rs 18,200.

(b) Appropriate action is being taken by the Indian Embassy in Peking.

(c) Does not arise.

भारत स्थित विदेशी राजनयिक मिशनों में काम करने वाले भारतीय लोग

4412. श्री शिकरे : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत स्थित सब विदेशी राजनयिक मिशनों में कुल कितने भारतीय काम कर रहे हैं तथा किस-किस मिशन में कितने-कितने भारतीय लोग हैं; और

(ख) इन सब विदेशी राजनयिक मिशनों के प्रचार विभागों में कुल कितने भारतीय काम कर रहे हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) 3206 : सभा-पटल पर रखे गये विवरण में देश-वार सूचना दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 878/67]**

(ख) यह सूचना सुलभ नहीं है ।

A. I. R. Station Bhagalpur

4413, Shri Kameshwar Singh :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the new All-India Radio Station at Bhagalpur, Bihar goes off the air many time during the day after it has been set up; and

(b) if so, the reasons therefor and the steps taken by Gove nment to prevent such breakdown ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) Yes, S r.

(b) Bhagalpur is an Auxiliary Centre attached to Patna Station of AIR where between 5th March, 196", the date of its inception, till 20th June 1967, 24 interruptions have occurred. These interruptions have been mainly due to failure of power supply. The local Electric supply authority has been requested to improve the power supply arrangements.

प्रतिरक्षा संबंधी तैयारियों के परिणामस्वरूप विस्थापित होने वाले लोगों को प्रतिकर देना

4415. श्री गु० सिं० ढिल्लों : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा सम्बन्धी तैयारियों के प्रारम्भिक चरण में विस्थापित होने वाले लोगों को प्रसादतः प्रतिकर देने के बारे में 1962 और 1967 के बीच किसी राज्य की ओर से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो (एक) प्रतिकर की राशि के निर्धारण (दो) क्षति का अनुमान लगाने के लिये किसी सैनिक अथवा असैनिक प्राधिकारी की नियुक्ति तथा (तीन) उन तैयारियों के परिणामस्वरूप विस्थापित होने वाले व्यक्तियों को प्रतिकर देने और उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिये क्या कसौटियां निर्धारित की गई हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) । (क) वर्ष 1962 में प्रतिरक्षा सम्बन्धी तैयारियों के कारण फसलों तथा बागों को हुए नुकसान के लिये प्रतिकर देने का प्रश्न आसाम सरकार ने उठाया था । इस अभ्यावेदन पर सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों को प्रसादतः प्रतिकर देने की एक योजना मंजूर की, जम्मू तथा काश्मीर राज्य से इसी तरह के अभ्यावेदन मिलने पर बाद में मई, 1965 में इस (योजना को) उस राज्य में भी लागू कर दिया गया । सितम्बर 1965 में भारत–पाकिस्तान संघर्ष के बाद, सरकार ने इस योजना को अन्य राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र यथा गुजरात, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा में भी लागू कर दिया ।

(ख) सैनिक भूमि तथा छावनियों के निदेशक के प्रतिनिधि के साथ परामर्श करके स्थानीय राजस्व अधिकारी देय प्रतिकर का निर्धारण करते हैं । प्रतिकर दिये जाने से पहले स्थानीय सैनिक अधिकारियों द्वारा यह बात भी मान ली जानी जरूरी है कि जिस तथा जितने नुकसान के लिये प्रतिकर दिया जाना है, उतना नुकसान हुआ है । तुरन्त राहत देने के लिये, प्रत्येक मामले में स्वीकृत प्रतिकर की 50 प्रतिशत राशि कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर को तुरन्त देनी होती है । मूल आदेशों के अनुसार, शेष राशि भारत सरकार को मंजूरी मिलने के बाद ही दी जा सकती थी । प्रतिकर की शेष राशि का शीघ्र भुगतान करने की दृष्टि से, सरकार ने फरवरी, 1967 में सैनिक भूमि तथा छावनियां सेवा के अधिकारियों को प्रत्येक मामले में 50,000 रुपये तक की मंजूरी जारी करने के अधिकार दे दिये हैं ।

स्थगन प्रस्ताव

Motion for Adjournment

तिहाड़ जेल में हुई घटनायें

अध्यक्ष महोदय : पिछले शुक्रवार को तिहाड़ जेल में स्थिति के बारे में मुझे ध्यानाकर्षण सूचनाएं और स्थगन प्रस्ताव मिले थे । चूंकि आज गृह कार्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा की जायेगी अतः मैंने सोचा था कि गृह मंत्रालय की मांगों की चर्चा के दौरान इस विषय को भी

उठाया जायेगा । किन्तु इस बीच प्रायः सभी दलों के सदस्य तिहाड़ जेल में घटना स्थल पर गये और उन्होंने मुझे बताया कि वहां पर स्थिती बहुत गम्भीर है । इसलिये इस विषय पर चर्चा के लिये कम से कम कुछ समय नियत किया जाये । अत; मैं समझता हूं कि गृह कार्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के साथ-साथ आज मध्यान्ह पश्चात इसके लिये लगभग एक घन्टा नियत कर दिया जाये ताकि मंत्री महोदय इसके बारे में वक्तव्य दे दें

श्री नाथपाई (राजापुर) : स्थगन प्रस्ताव क्यों नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सहमत हो, तो गृह कार्य मंत्री 2 बजे म० प० वक्तव्य दे सकते हैं ।

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस प्रश्न को 4 बजे म० प० लेंगे और इस पर लगभग एक घंटे चर्चा करेंगे क्योंकि साढ़े पांच बजे आधे घंटे की चर्चा ली जानी है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) मुझे आशा है कि यह समस्या गृह कार्य मंत्रालय पर चर्चा के लिये निर्धारित समय में से कम नहीं किया जायेगा । गृह कार्य मंत्रालय की मागों के लिये साढ़े दस घंटे का समय निर्धारित किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है । यदि आप दो घंटे समय और चाहते हैं और यदि सरकार मानले तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है । हमें 21 जुलाई तक सभी मंत्रालयों की मांगे स्वीकृत कर लेनी हैं । जितनी मांगे रह जायेंगी उन पर गिलोटिन किया जायेगा । हम गृह कार्य मंत्रालय की मांगों पर तीन दिन चर्चा करेंगे । यदि आप चाहें तो एक घंटा समय बढ़ाया जायेगा ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : You may have the sittings of the hou e on saturdays also, this will enable us to discuss demands of all the ministries.

अध्यक्ष महोदय : यह अलग प्रश्न है ।

Shri Ram Manohar Lohia (Kannauj) : I am very thankful to you for giving an opportunity to discuss this matter. The presoners in the jail were brutely like the animals of the 200 It appears that two persons were very badly beaten and we do not know their whereabouts. I may even disclose their names. Scholars like Swami Karpatri ji have sustained injruries in this incident. this is a very serious matter and therefore an adjournment motion in this regard may be admittad for discussion.

श्री रंगा (काकुलम) : यह सराहनीय बात है कि आपने इस मामले की गम्भीरता को समझकर इस पर चर्चा करने का अवसर दिया है । इस मामले पर चर्चा के लिये अन्य तरीकों से अवसर दिया जा सकता है । राजधानी में सरकार तथा संसद के सामने इस प्रकार की गम्भीर घटना हुई है कि इतने व्यक्तियों को बुरी तरह पीटा गया । इससे जेल प्रशासन पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण स्पष्ट हो जाता है । यह इतना गम्भीर मामला है कि इसकी ओर सारे देश का ध्यान दिलाया जाना चाहिए । यह स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के द्वारा ही सम्भव

हो सकता है । मैं समझता हूं कि इसके बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं दी है । यदि इस मामले को महत्व नहीं दिया गया तो यहां पर कोई भी घटना हो सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : परसों मैंने इस मामले पर जनसंघ तथा अन्य दलों के सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया था ओर मैंने इन्हें बताया था कि वे सरकार को हटाना चाहते हैं तो गृहकार्य मंत्रालय की मांगों को अस्वीकृत करके कर सकते हैं । अत; सभी सदस्य इस मामले पर इसके वर्तमान रुप में चर्चा करने के लिऐ सहमत हो गए थे ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (बलरामपुर) : आपने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी थी इसलिये मैंने मान लिया था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके मार्ग में नहीं आना चाहता हूं । किन्तु मैंने सोचा कि आपने यह सुझाव मान लिया था ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : He may agree but we do not agree with it.

अध्यक्ष महोदय: हम गृह-कार्य मन्त्रालय की मांगों पर मतदान कर रहे हैं । स्थगन प्रस्ताव का भी यही आशय है । चूंकि यह मामला उठाया गया है कि इसलिये मैं इस पर चर्चा की अनुमति दूंगा । अब इस पर इस समय कोई चर्चा न की जाये । ध्यानाकर्षण सूचना के बारे में 2 बजे वक्तव्य दिया जायेगा । इस पर चार बजे चर्चा आरम्भ की जायेगी ।

श्री रंगा : इस तरह हमारे लिये कार्य करना कठिन हो जायेगा । हम अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, किन्तु आप बोलना आरम्भ कर देते हैं । आप बैठते ही कार्य की दुसरी मद आरम्भ कर देंगे । हम अपनी बात कैसे कह सकते हैं ? ऐसी स्थिति में नियम तथा प्रक्रिया से हमें स्थगन प्रस्ताव का अध्याय हटाना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने चर्चा की अनुमति दे दी है ।

श्री रंगा : आपने किस पर चर्चा की अनुमति दी है । यदि कोई स्थगन प्रस्ताव रखा जाये तो उसके लिये उचित तरीका यह है कि उसे 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : इस मामले के महत्व को समझा जाये । चूंकि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है अतः आप इस पर सभा को स्थगन प्रस्ताव के रुप में चर्चा करने के अवसर से कैसे वंचित कर सकते हैं । यह अच्छी बात है कि आप इस पर चर्चा के लिये समय दे रहे हैं । किन्तु इसे स्थगन प्रस्ताव मान लेने में आपको क्या आपत्ति है ?

Shri Prakash Vir Shastri - I would like to bring some facts before the House through you. The tragedy which took place in Tihar jail is not ordinary one. The persons who assaulted the satyagrahies in the Jail were the same who created disturbances on the 7th November, 1966 by mixing with the anti cow slaughter demonstrators in front of the Parliament House. The Goverment have a hand in it, The Goverment is evading the

issue by having an ordinary discussion on it. I, therefore, submit that keeping in view the seriousness of the matter an adjournment motion may be allowed on it for discussion.

Shri Kanwar Lal Gupta : (Delhi-Sadar) along with other members of my party ; I gave notice for a calling attention motion on friday which was disallowed by you. I visited the jail along some other members of Parliament belonging to various parties. The tragedy which took place in the Tihar jail is unprecedented in the histroy of India. Prisoners were brutely breaten and ware threatened to murder. Women in the jail were also attacked and had some person not come to their rescul they would have been murdered. Pools of blood are visible inside the jail.

Shri A. B. Vajpayee : This morning we requested you to admit a adjournment motion on this subject; but our request was turned down on the plea that the Demands of the Home Ministry are under discussion therefore it could not be allowed. Now we want that this matter may be discussed in the form of an adjournment motion.

अध्यक्ष महोदय : कांग्रेस दल के सदस्यों सहित प्रायः सभी दल के लोग जेल में घटना स्थल देख आये हैं, अब मैं समझता हूँ कि इसमें सरकार को हराने का प्रश्न नहीं है। अत; आप इसे ध्यानाकर्षण सूचना के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। आज प्रातः काल तक। दो दिन पहले कांग्रेस तथा अन्य दलों के सदस्यों के साथ मेरी इस मामले पर बातचीत हुई और मैंने उन्हें सुझाव दिया था कि गृह कार्य मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा के लिये निर्धारित समय में से मैं एक घन्टा इस मामले पर चर्चा के लिये दे सकता हूं। इस समय माननीय सदस्य यह प्रश्न उठा सकते थे। आज प्रातः काल सदस्यों के कहने पर मैंने ध्यानाकर्षण सूचना की अनुमति दे दी और अब स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य किये जाने की मांग की जा रही है। इस पर चर्चा के लिये 4 बजे से 5.30 बजे तक डेढ़ घन्टे का समय नियत किया गया है। आप चाहें इसे ध्यानाकर्षण सूचना कहें चाहे स्थगन प्रस्ताव कहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है किन्तु मैं नहीं समझता कि इससे कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध होगा। मैंने आज यह शिक्षा नहीं ली है कि भविष्य में किसी विषय पर विचार विमर्श करते समय सावधान रहना चाहिए।

श्री स्वतन्त्रसिंह कोठारी : (मंदसौर) मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। दस मन्त्रालयों की मांगों पर एक दिन में चर्चा कैसे की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय उस दिन शेष मांगे, जिन पर चर्चा न की गई हो, बिना चर्चा के स्वीकृत करली जायेगी इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जिन मांगों पर चर्चा नहीं की जा सकेगी ताकि उनके सम्बन्ध में मुखबन्द गिलोटिन का प्रयोग किया जायेगा।

श्री नाथपाई (राजापुर) : मैं स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई आपत्ति है।

संसद कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : हम इस प्रस्ताव पर चार बजे चर्चा आरम्भ करेंगे।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

चौथा प्रतिवेदन

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) :

मैं (i) राष्ट्रीय मन्त्रालय, नई दिल्ली, तथा

(ii) नेशनल गैलरी आफ चार्टर नई दिल्ली के बारे में प्राक्कलन समिति का चौथा प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं ।

अनुदानों की मागें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

गृह कार्य मन्त्रालय :

अध्यक्ष महोदय : अब सभा गृह कार्य मन्त्रालय की मांग संख्या 41 से 55, 124 और 125 पर विचार करेगी । इसके लिये साढ़े दस घन्टे का समय निर्धारित किया गया है ।

सभा में उपस्थित जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव देना चाहते हैं, वे पन्द्रह मिनट के अन्दर कटौती प्रस्ताव की क्रम संख्या लिख कर पर्ची सभा पटल पर रख दें ।

वर्ष 1967-68 के लिये गृह कार्य मन्त्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित **मांगें प्रस्तुत की गई ।**

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
	गृहमन्त्रालय	
		रुपये
41	गृह मन्त्रालय	4,15,20,000
42	मन्त्रीमन्डल	39,70,000
43	न्याय प्रशासन	2,20,000
44	पुलिस	24,96,94,000
45	जनगणना	70,18,000
46	अंक संकलन	235,23,000

47	भारतीय राजाओं की निजीथैलियां और भत्ते	88,000
48	क्षेत्रीय और राजनैतिक पेंशनें	12,64,000
49	दिल्ली	23,00,88,000
50	चन्डीगढ़	2,67,11,000
51	अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह	4,21,66,000
52	आदिम जाति क्षेत्र	14,48,82,000
53	दादरा और नगर हवेली क्षेत्र	30,41,000
54	लक्ष द्वीप मिनिकोय और अमीन, दीवी द्वीप समूह	65,81,000
55	गृह मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	2,67,85,000
124	संघ राज्य क्षेत्रों तथा आदिम जाति क्षेत्रों में पूंजी परिव्यय	13,29,95,000
125	गृह मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	24,41,000

{**श्री उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**}
{Mr. **Deputy Speaker** *in the Chair*}

श्री प्र. के. देव (कालाहांडी) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय सरदार पटेल द्वारा देश भक्ति के नाम पर आव्हान करने पर हम लोगों ने अपनी रियासतें भारत मां के चरणों में अर्पित कर दी और भारत को एक अखन्ड राष्ट्र के रूप में निर्मित किया किन्तु आज देश के प्रशासन को देख कर अत्यन्त दुख होता है। आज देश में व्यापक रूप से अराजकता फैली हुई है। भारतवासी अपने ही भाइयों की गोली के शिकार हो रहे हैं। 20 वर्षों के कांग्रेस सरकार के शासन में अराजकता की कितनी घटनाएं हुई हैं उतनी घटनाएं अंग्रेजों के 200 वर्षों के शासन काल में नहीं हुई। आज देश में लोगों की जान और माल सुरक्षित नहीं है। लोगों के मूल अधिकार सुरक्षित नहीं हैं।

1962 में जो आपतकालीन स्थिति की घोषणा की गई है उसे किसी न किसी बहाने से लगातार बढ़ाया जारहा है। हमने इस स्थिति का प्रयोग चीन से अपनी एक इंच भी भूमि वापिस लेने अथवा अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए कभी नहीं किया। हमने आपतकालीन शक्तियों का प्रयोग समाज विरोधी तत्वों, जमाखोरी, चोरबाजारी करने वाले लोगों, का करापवंचन करने वाले लोगों तथा भ्रष्टाचारी मंत्रियों के विरुद्ध कभी नहीं किया है। हम इन अधिकारों का प्रयोग राजनैतिक प्रतिद्वन्दियों विद्यार्थियों तथा सत्तारूढ़ दल के अनुसार न चलने वाले मजदूर नेताओं के विरुद्ध करते हैं। श्री चव्हाण ने 1962 में रक्षा मन्त्रालय का भार संभालने समय दावा किया था कि वह चीन से अपनी भूमि वापिस लिये बिना अपने घर वापिस नहीं जायेंगे किन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं हुआ है।

यह लज्जा की बात है कि शेख अब्दुल्ला जेल में सड़ रहे हैं। 1958 में उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया था जो बाद में वापिस ले लिया गया था। प्रजातन्त्र तथा नागरिक स्वतन्त्रता की मांग है कि या तो उन्हें रिहा किया जाये या उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाय।

आपातकालीन अधिकारों को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। आपातकालीन स्थिति समाप्त की जानी चाहिए और भारत सुरक्षा अधिनियम का निरसन किया जाना चाहिए और इस अधिनियम के अन्तर्गत जिन नागरिक अधिकारों का हनन किया गया है वे उन्हें पुनर्मिलने चाहिए। आन्तरिक शान्ति और व्यवस्था के लिये हमारे देश की कानून ही पर्याप्त है। अतः आन्तरिक मामलों के लिए आपातकालीन अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह खेद की बात है कि आज देश के अन्दर स्थिति इतनी खराब है कि गृह कार्य मन्त्री तक को पुलिस के घेराव में आना पड़ा।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (बलरामपुर) : गृह कार्य मन्त्री सभा में उपस्थित नहीं हैं। मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। When the Ministry's Demands are being discussed, the Cabinet Minister concerned must be persent in the House.

संसद कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० रामसुभग सिंह) : गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री सभा में उपस्थित हैं।

श्री अटलबिहारी बाजपेयी : गृह कार्य मन्त्री को उपस्थित रहना चाहिए।

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : आपको इस मामले पर स्पष्ट विनिर्णय देना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न उठाने का क्या अर्थ है? हम यहां पर मन्त्रालय और सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। तब इस प्रकार के प्रश्न क्यों उठाये जाते हैं।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : मुझे मन्त्री महोदय के शब्दों पर आपत्ति है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मन्त्रियों की अपने मन्त्रालय की मांगों के समय सभा में उपस्थित रह कर सभा का सम्मान करना चाहिए।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : अपने मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा के ससय मन्त्रमन्डलीय सार के सम्बन्धित मन्त्री को सभा में उपस्थित रहना चाहिये। यदि वह किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो उन्हें अध्यक्षपीठ को अनुपस्थित के कारणों के बारे में सूचना देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : साधारणतः उन्हें यहां रहना चाहिए किन्तु कभी कभी ऐसे अवसर भी आजाते हैं कि उन्हें आवश्यक काम से कहीं जाना पड़ता है, जिससे वह यहां उपस्थित नहीं रह सकते हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : संसदीय कार्य तथा प्रक्रिया के अनुसार कोई भी मन्त्री अपने मन्त्रालय का प्रतिनिधित्व सभा में कर सकते हैं। मैं यहां पर गृह कार्य मन्त्रालय की ओर से

उपस्थित हूं । गृह कार्य मन्त्री आज ही बम्बई से आये हैं और इस समय तिहाड़ जेल की स्थिति का निरीक्षण करने के लिये गये हुए हैं ।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : उन्हें इस तरह बात करनी चाहिए ।

श्री रंगा : उनको सभा से क्षमायाचना करनी चाहिए ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : विरोधी दलों को भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए ।

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : जब गृह कार्य मन्त्री यहां उपस्थित नहीं है, तो राज्यमंत्री को उनकी अनुपस्थिती के कारण बताकर स्पष्टीकरण देना चाहिये था, हम इस प्रकार का व्यवहार सहन नहीं कर सकते हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : (Delhi-Sadar) Such matters are always taken lightly. The absence of cabinet Minister is taken lightly

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय द्वारा क्षमायाचना का कोई प्रश्न नहीं है । उन्होंने गृह कार्य मन्त्री जी की अनुपस्थिति का उपयुक्त कारण सभा को बता दिया है। स्थगन प्रस्ताव स्वीकार हो जाने के कारण वे स्वयं तिहाड़ जेल की स्थिति देखने गये हैं । अतः इस मामले को यहीं समाप्त कर देना चाहिए । श्री प्र० के० देव अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

श्री प्र० के० देव : मैंने यह बताया कि पुलिस के सिपाहियों ने किस प्रकार गृहमन्त्री का घेराव किया । यदि उनकी शिकायतें सही थीं तो उन्हें पहले ही मान लिया जाना चाहिए था । खोसला आयोग और राजेन्द्र गडकर आयोग की सिफारिशों को बहुत पहले क्रियान्वित किया गया होता तो इस प्रकार की स्थिति पैदा ही न होती । यदि इस आन्दोलन के पीछे कुछ अन्य व्यक्तियों का हाथ है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए । ऐसा प्रतीत होता है कि गृहमन्त्री का प्रशासनिक सामर्थ्य समाप्त हो गया । यदि कुछ लोग मिल करके सरकार को झुका सकते हैं तो एक दिन ऐसा आयेगा तब कोई संगठित दल इस सरकार का काम बिल्कुल ठप्प कर देगा । यह स्थिति इसलिये पैदा हुई है क्योंकि सरकार जनता के विश्वास की पात्र नहीं रही । केवल सत्ता के लालच से ये शासन चला रहे हैं ।

'घेराव' निश्चय ही एक नया तरीका है। यह साम्यवादी अस्त्र है जिससे व्यक्तिगत स्वाधीनता पर सीधा आक्रमण किया जाता है । सरकार सम्बद्ध नागरिकों के अधिकारों और उनकी स्वतन्त्रता की रक्षा करने में असफल रही हैं । यदि प्रारम्भिक अवस्था में ही घेराव की प्रवृत्ति को समाप्त नहीं किया गया तो लोकतन्त्र समाप्त हो जायेगा । यह चीन की सांस्कृतिक क्रान्ति का ही भारतीय रूप है । यदि हम पश्चिम बंगाल के घेराव के लिये साम्यवादियों को दोषी ठहराते हैं तो उड़ीसा में हमें कांग्रेस दल के सदस्यों को भी दोषी ठहराना होगा जो घेराव और विधिहीनता कार्यों के लिये वित्तीय तथा नैतिक समर्थन प्रदान करते हैं ।

यदि राष्ट्रीय हित की दृष्टि से देखा जाये तो नक्सलबाड़ी का मामला बहुत ही चिन्ता-जनक है । यह पड़ौसी शत्रुओं से घिरा हुआ बहुत ही सामरिक महत्व का और अत्यन्त संवेदन-शील क्षेत्र है । इसी क्षेत्र में से होकर पूर्वी राज्यों में हमारे महत्वपूर्ण संचार साधन गुजरते

हैं। वहां पर सामान्तर सरकार बनाये जाने और कानून की व्यवस्था पूर्ण रूप से समाप्त होने के समाचार प्राप्त हो रहे हैं। वहां पर चीनी राजनयिक के पहुँच जाने के कारण और पेकिंग रेडियो द्वारा प्रचार के कारण नक्सलबाड़ी में हो रही घटनाओं की तेज होगई है। हमने सुझाव दिया था कि वह क्षेत्र सेना को सम्भाल लेना चाहिये। हम चाहते थे कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री इस क्षेत्र में सामान्य स्थिति कायम करने के लिये स्वयं सेना की सहायता प्राप्त करलें। यदि ऐसा होता तो केन्द्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता ही नहीं थी।

केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों के सम्बन्धों का प्रश्न इसलिये उपस्थित हुआ है क्योंकि विभिन्न राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बन गई हैं। अब तक केन्द्र तथा राज्यों में एक ही दल का शासन था। पंडित नेहरू के प्रभावशाली व्यक्तित्व और केन्द्रीकृत योजना के कारण आर्थिक दृष्टि से राज्य केन्द्र पर निर्भर करते थे। केन्द्र और राज्य एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करते रहते थे परन्तु यह स्थिति सदा के लिये नहीं बनी रह सकती। अब हम स्थिति को समाप्त करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 263 में उल्लिखित एक संविहित अन्तर-राज्यीय परिषद की स्थापना करनी चाहिये। उस परिषद में विभिन्न सरकारों का समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व होना चाहिये। इससे मित्रतापूर्ण वातावरण बनेगा।

विश्वास से विश्वास बनता है। यदि केन्द्र के संसाधनों का यथार्थ ढंग से ओर सामान रूप से वितरण न किया तो मित्रतापूर्ण वातावरण कैसे बन सकता है। और आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा अपने फालतू चावल को कमी वाले क्षेत्रों में नहीं भेजेंगे तो अच्छा वातावरण कैसे बन सकता है?

केन्द्रीय सरकार को असैनिक सेवा के उच्च पदाधिकारियों को यह हिदायत देनी चाहिए कि वे ठीक तरीके से व्यवहार किया करें और विवादास्पद राजनीतिक मामलों से बिल्कुल अलग रहें और संविधान की कल्पना के अनुसार मन्त्रियों के आदेशों को क्रियान्वित करें। राज्यपाल अच्छे और निष्पक्ष निर्णय करने वाले व्यक्ति होने चाहिये और उन्हें राजनीतिक लगाव से मुक्त होना चाहिये। हमारा पिछला अनुभव यह है कि कांग्रेस के जो व्यक्ति चुनाव हार जाते हैं वे राज्यपाल बना दिये जाते हैं। अब राज्यपालों को अपनी इच्छा के व्यक्ति को सरकार बनाने के लिये आमन्त्रित नहीं करना चाहिये बल्कि विधान मन्डल के नेता चुनने के लिये आमन्त्रित करना चाहिये और इस प्रकार से निर्वाचित नेता को सरकार बनाने के लिये आमन्त्रित करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मध्यान्ह भोजन के बाद अपना भाषण जारी रखेंगे।

इसके पश्चात लोकसभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabba then Reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** }
{ **Mr. Deputy Speaker** *in the Chair* }

श्री प्र० के० देव : जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है वह राष्ट्र के राजनैतिक ढांचे और उसके नैतिक स्वरूप को खोखला कर रहा है। इस सम्बन्ध में अब तक जो कार्यवाही की गई है वह अपर्याप्त है। भूतपूर्व गृह मन्त्री सदाचार के मन्त्र का जाप करते रहे परन्तु हुआ कुछ भी नहीं। प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में कहा है कि लोकपाल और लोक आयुक्त के पद बनाये जाने चाहिये और इन अधिकारियों की नियुक्त मुख्य न्याया-धीश और विरोधी दल के नेता की राय से की जानी चाहिये ।

उन पर किसी प्रकार का राजनीतिक या सरकारी दबाव नहीं होना चाहिये। यद्यपि लोक पाल की नियुक्ति के लिये एक आदर्श विधेयक प्रस्तुत किया गया था, फिर भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरा सुझाव यह है कि लोक-पाल की नियुक्ति तुरन्त की जानी चाहिये और उसे सब से पहला काम यह दिया जाना चाहिये कि वह 1959 से 1961 की कालावधि के दौरान उड़ीसा में गणतंत्र परिषद और कांग्रेस की मिली जुली सरकार के मन्त्रियों के विरुद्ध उन आरोपों की जांच करे जो कांग्रेस विधान सभाई और संसद सदस्यों द्वारा नवीनतम ज्ञापन में लगाये गये हैं। मुझे विश्वास है कि इस जांच से आरोप निरर्थक सिद्ध होंगे ।

अत्यन्त आश्चर्य की बात यह है कि श्री बीजू पटनायक द्वारा की गई घोर प्रशासनिक अनियमितताओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट और मंत्रिमंडलीय उप-समिति के निष्कर्ष प्रकट हो जाने के बावजूद, उन्हें अब भी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में स्थान दिया हुआ है और यहां तक कि प्रधान मन्त्री स्वयं उनके चुनाव प्रचार के लिये भुव-नेश्वर गई थीं। वही प्रधान मंत्री को नाक पर चोट लगी थी जिस का हमें बड़ा भारी दुःख है और हम इस घटना की हर प्रकार से निन्दा करते हैं।

मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार निजी थैलियों का प्रश्न लेकर भूतपूर्व राजाओं के पीछे क्यों पड़ी हुई है। सरदार पटल ने कहा था कि निजी थैलियां भूतपूर्व नरेशों द्वारा अपनी शासन सत्ता समर्पित करने और अलग इकाइयों के रूप में राज्यों के विघटन के लिये एक प्रकार का प्रतिफल है।

कुछ विशेषाधिकार ऐसे हैं जो समाप्त किये जा सकते हैं। जैसे कानून सब पर समान से लागू होना चाहिये। उन्हें विशेष प्रकार के नागरिक नहीं समझा जा सकता। इस समझौते से पैदा होने वाले विवाद पर न्यायालय द्वारा निर्णय प्राप्त करने की व्यवस्था होनी चाहिये। इसलिये संविधान के अनुच्छेद 363 को हटा देना चाहिये। इसी के साथ साथ यदि उन्हें निजी थैली प्राप्त करने का अधिकार है तो उन्हें वह मिलती रहनी चाहिये। कांग्रेस ने चुनावों में हुई हार के फल स्वरूप अपने क्रोध के कारण यह प्रस्ताव पास किया है कि भूतपूर्व नरेशों को निजी थैलियां देना बन्द कर दिया जाये। यदि भूतपूर्व नरेशों को जनता का बहुमत प्राप्त है तो हमें बुरा नही लगना चाहिये।

निजी थैलियों की धनराशि 20 वर्ष पहले निश्चित की गई थी । क्रय-शक्ति के विचार से उनका एक चौथाई मूल्य कम हो गया है । इस लाइसेंस–परमिट–कोटा–राज से लाभ प्राप्त करने वाले तथा कथित नये राजाओं महाराजाओं की स्थिति अधिक अच्छी है । इसके अतिरिक्त हम ब्रिटिश राजनैतिक प्रशासन द्वारा कुछ नरेशों को पेंशन दी जाती थी, उसे हम अब तक दे रहे हैं । दूसरे शब्दों में हम अंग्रेजों द्वारा दिये गये वचन को, जो 200 वर्ष पुराना है, पूरा कर रहे हैं । फिर यदि इस 5 करोड़ रुपये से हमारी सभी समस्याओं का समाधान होता हो तो निजी थैलियों की अदायगी बन्द कर दीजिये ।

वास्तव में निजी थैलियां दो सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न सरकारों के बीच द्वि–पक्षीय समझौते के परिणाम स्वरूप हैं । इनकी एक अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता है और काश्मीर पर हमारे दावे में और सिन्ध कच्छ सीमा पर हमारी सीमा अंकित करने में इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया गया है । यह काश्मीर के महाराजा हरि सिंह का संलेख है जिसके आधार पर हमारा काश्मीर का सारा मामला स्थिर है । इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इस सम्बन्ध में गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये ।

नागालैंड का मामला एक घरेलू मामला है । इस पर वैदेशिक कार्य मंत्रालय में कार्यवाही नहीं होनी चाहिये । यदि नागालैंड की सरकार ऐसा चाहे तो भी हमें इस तर्क को स्वीकार नहीं करना चाहिये ।

बिहार और उड़ीसा राज्यों के बीच सेराईकेला–खरसवान सीमा का प्रश्न 20 वर्षों से नियुक्त रहा है । यह साधारण सा प्रश्न है इसे महाजन आयोग की तरह का एक सीमा आयोग चल करके इस समस्या का समाधान कर लेना चाहिये ।

श्री राणे (बुलडाना) : कानून और व्यवस्था की स्थिति के साथ सफलता पूर्वक निपटने के लिये मैं गृह मन्त्री को बधाई देता हूँ । उत्तेजनात्मक अवसरों पर भी उन्होंने संयम से काम लिया है । चतुर्थ सामान्य चुनाव काफी शान्ति पूर्वक हो गये । गोहत्या आन्दोलन, दिल्ली पुलिस आन्दोलन और राजस्थान में कांग्रेस विरोधी आन्दोलन जैसी विस्फोटक परिस्थितियों में भी उन्होंने दृढ़ता और सूझबूझ से काम लिया ।

जहां तक केन्द्रीय सरकार और राज्य–सरकारों के परस्पर सम्बन्धों का प्रश्न है प्रधान मंत्री और उप–प्रधान मन्त्री ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है । वास्तव में गैर कांग्रेसी सरकारें केन्द्र से अधिक से अधिक धन प्राप्त करना चाहती हैं । वे केन्द्र से धन प्राप्त करके प्रशासन चलाना चाहती हैं । राज्यों में स्थिति बदल जाने के बावजूद ये सम्बन्ध सामान्य हैं ।

निजी थैलियों के सम्बन्ध में मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि उन्हें समाप्त नहीं किया जाना चाहिये । यदि हम निजी थैलियों देना बन्द करते है, इससे न केवल विश्वासघात ही होगा बल्कि मेरे विचार में सरदार वल्लभाई पटेल द्वारा दिये गये वचनों से मुकर जाना है जो सारे भारत को एक करने में मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं । इससे कुछ कानून सम्बन्धी समस्या भी पैदा हो सकती है । फिर केवल 5 करोड़ रुपये का मामला है जो हमारे बजट की एक छोटी सी धन-राशि है ।

पूर्व शासकों के विशेषाधिकारों को भी समाप्त नहीं करना चाहिये । क्योंकि यदि उनकी निजी थैलियों पर आय-कर लगेगा तो उन्हें वास्तव में बहुत कम धन-राशि मिलेगी । हमें

यह महसूस करना चाहिये कि हम कितने वर्षों से मिजो और नागालैंड की समस्या का समाधान नहीं कर सके परन्तु सरदार पटेल ने बहुत कम समय में सारे भारत को एक कर दिया था । यह मेरा व्यक्तिगत विचार है ।

भाषा के सम्बन्ध में मैंने 15 या 20 कटौती प्रस्ताव देखे हैं । कुछ में यह कहा गया है कि सरकार हिन्दी को सरकारी भाषा के रूप में प्रोत्साहित करने में असफल रही है । कुछ कटौती प्रस्तावों में संविधान की आठवी अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं को हिन्दी के समान स्तर पर लाने के लिये कहा गया और कुछ में यह भी कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाएं सभी भाषाओं में होनी चाहिये । मेरे विचार में सरकारी भाषा एक ही होनी चाहिये । क्योंकि यहीं एक भाषा है जो देश की बहुसंख्या द्वारा समझी जाती है । इस दिशा में प्रगति बहुत धीरे धीरे हो रही है । हिन्दी को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार को कुछ विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय शिक्षा का माध्यम हिन्दी बनाने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये । यदि प्रत्येक परीक्षा से हिन्दी सम्भव नहीं तो हिन्दी को अनिवार्य विषय बना देना चाहिये । भारत की एकता के हित में हिन्दी को सरकारी भाषा बनाया जाना चाहिये ।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सभी प्रादेशिक भाषाओं में परीक्षा लेने से बहुत गड़बड़ी होगी और प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त हो जायेगी । मेरे विचार में ये परीक्षाएं केवल हिन्दी या अंग्रेजी में होनी चाहिये । अंग्रेजी चाहे 20 या 25 वर्ष तक जारी रखी जाये परन्तु सभी भारतीय भाषाओं को हिन्दी के समान स्तर नहीं दिया जाना चाहिये । गृह मन्त्री को अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार के लिये गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये । मद्यनिषेध के सम्बन्ध में मेरा विचार यह है कि गरीबों की रक्षा के लिये मद्यनिषेध अवश्य लागू किया जाना चाहिये । मद्यपान से हजारों परिवार बरबाद हो रहे हैं मद्यनिषेध का कार्यक्रम किसी की सनक नहीं है यह कार्यक्रम गरीबों की आर्थिक दशा सुधारने के लिये है । इस सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 47 का हवाला दिया जा सकता है जिस में एक आर्थिक कार्यक्रम का उल्लेख है और उसमें बहुत सी अन्य बातों का भी उल्लेख है । इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाना चाहिये । मेरे विचार में मद्यनिषेध पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिये ।

बहुत से कटौती प्रस्तावों में यह आरोप लगाया गया है कि गृह मन्त्री पश्चिम बंगाल के प्रशासन में हस्तक्षेप कर रहे हैं । वास्तव में जब बंगाल सरकार ने शासन सत्ता सम्भाली वहां के मन्त्रियों ने 'घेराव' को प्रोत्साहन दिया । दूसरे पुलिस विभाग का नैतिक रूप से पतन हो गया है और पुलिस का प्रशासन एकदम निष्क्रय हो गया है । परन्तु बाद में गृह मन्त्री के कहने पर उन्होंने स्थिति बदलीं और अब वे पुलिस के प्रशासन का प्रयोग करने लगे हैं । विभिन्न राजनीतिक दलों का यह मत है कि बंगाल में एकदम अराजकता है । यदि ऐसी परिस्थिति में गृह मंत्री ने वहां कानून और व्यवस्था बनाने के लिये यदि कोई कार्यवाही की है तो उन्होंने केवल अपने कर्तव्य का पालन ही किया है । वास्तव में गृह मंत्री से मेरी शिकायत है कि उन्होंने इन अराजकतावादियों के प्रति उदार और सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाया है । उन्हें इस सम्बन्ध में कठोर रवैया अपनाना चाहिये ।

समय के अभाव के कारण में किसी अन्य विषय पर बोलनें में असमर्थ हूँ ।

गृह-कार्य मन्त्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
41	3	श्री यशपाल सिंह	आपातकालीन स्थिति का न हटाया जाना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
41	4	श्री यशपाल सिंह	देश के प्रशासन में राजकीय भाषा को प्रोत्साहन देने में असफलता ।	,, ,,
41	5	श्री यशपाल सिंह	सारे देश के लिए मद्य निषेध के सम्बन्ध में ठोस नीति बनाने में असफलता ।	,, ,,
41	6	श्री यशपाल सिंह	मिज़ो विद्रोहियों की गतिविधियों को समाप्त करने से असफलता ।	,, ,,
41	7	श्री यशपाल सिंह	केन्द्रीय गुप्तचर विभाग का कार्यसाधक सिद्ध न होना ।	,, ,
41	8	श्री यशपाल सिंह	राज्यों की गैर-कांग्रेसी सरकारों से अच्छे संबंध स्थापित करने में असफलता ।	,, ,,
41	9	श्री यशपाल सिंह	गिरफ्तार किये गये दिल्ली के पुलिस कर्मचारियों को रिहा करने में असफलता ।	,, ,,

41	10	श्री यशपाल सिंह	भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु को कम करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया करदी जाये ।
41	13	श्री यशपाल सिंह	सारे देश में भ्रमण के लिए सभी कर्मचारियों को पी० टी० ओ० देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
41	14	श्री यशपाल सिंह	कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के मार्ग खोलने की आवश्यकता ।	,, ,,
41	15	श्री यशपाल सिंह	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एक छोड़कर हर दूसरे शनिवार को छुट्टी दिये जाने की वांछनीयता ।	,, ,,
41	16	श्री यशपाल सिंह	सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को कम करने की वांछनीयता ।	,, ,,
41	17	श्री यशपाल सिंह	दिल्ली पुलिस के सम्बन्ध में खोसला आयोग के प्रतिवेदन को लागू करने की वांछनीयता ।	,, ,,
41	18	श्री यशपाल सिंह	अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों की शर्तों में सुधार किये जाने की आवश्यकता ।	,, ,,
42	21	श्री यशपाल सिंह	मंत्रियों तथा उप-मंत्रियों पर होने वाले व्यय में वृद्धि कम करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
41	50	श्री शिंकरे	गोवा, दमण और दीव में पुर्तगाली कानूनों के स्थान पर भारतीय कानून लागू करने में असफलता ।	,, ,,

41	51	श्री शिंकरे	गोवा, दमण और दीव संघ राज्य-क्षेत्र बनाये रखना ।	राशि घटाकर 1 रुपया करदी जाये ।
41	52	श्री शिंकरे	दमण और दीव का प्रशासनिक ढांचा ।	,, ,,
41	53	श्री शिंकरे	गोवा, दमण और दीव में राय मतदान के बारे में व्यापक प्रतिवेदन संसद् के समक्ष रखने की आवश्यकता ।	,, ,,
41	54	श्री शिंकरे	गोवा, दमण और दीव संघ राज्य-क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसुचित आदीम जातियों का वर्गीकरण न करना ।	,, ,,
41	55	श्री सेक्वीरा	गोवा विधान सभा में दो सदस्य मनोनीत करके सत्ताधारी तथा विरोधी दलों में राजनैतिक सन्तुलम बिगड़ने में कार्यकारी शक्ति का प्रयोग ।	,, ,,
41	56	श्री सेक्वीरा	संघ राज्य-क्षेत्र द्वारा मन्त्रालय को भेजे गये मामलों के सम्बन्ध में भारी विलम्ब ।	,, ,,
41	57	श्री उमानाथ	केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्धों में हो रही गिरावट ।	,, ,,
41	58	श्री प्र. के. देव	देश में व्यापक अराजकता ।	100 रुपये
41	59	श्री प्र. के. देव	संथानम समिति की सभी सिफारिशें लागू करने की आवश्यकता ।	,, ,,

41	60	श्री प्र. के. देव	प्रशासनिक सुधार समिति के अध्ययन दल की सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
41	61	श्री प्र. के. देव	लोक-पाल और लोक-आयुक्त नियुक्त करने की आवश्यकता ।	,, ,,
41	62	श्री प्र. के. देव	केन्द्र और राज्यों में निर्वाचनों के पश्चात दलीय स्थिति को देखते हुए राज्यों-केन्द्र के सम्बन्ध ।	,, ,,
41	63	श्री प्र. के. देव	संविधान में उपबन्धित राज्यों की स्वायत्तता बनाये रखने की आवश्यकता ।	,, ,,
41	64	श्री प्र. के. देव	राज्य-पालों की नियुक्ति का मापदण्ड ।	,, ,,
41	65	श्री प्र. के. देव	नागालैंड के प्रशासन को वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से गृह-मंत्रालय को सौंपने की आवश्यकता ।	,, ,,
41	66	श्री प्र. के. देव	संविधान के अनुच्छेद 263 में उपबन्धित एक अन्तर्राज्य परिषद् बनाने की आवश्यकता ।	,, ,,
41	67	श्री प्र. के. देव	जनशक्ति निदेशालय को श्रम तथा पुनर्वास मन्त्रालय को सौंपने की आवश्यकता ।	,, ,,
41	68	श्री प्र. के. देव	सरायकेला और खरस्वान के विलय के सम्बन्ध में उड़ीसा-बिहार विवाद प्रश्न की जांच करने के लिए महाजन आयोग जैसा एक आयोग नियुक्त करने की आवश्यकता ।	,, ,,

41	69	श्री प्र. के. देव	शेख अब्दुला सहित सभी राजनैतिक बन्दियों को रिहा करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
41	70	श्री प्र. के. देव	आपातकालीन स्थिति समाप्त करने की आवश्यकता ।	,, ,,
41	71	श्री सेभियान	आपात की स्थिति को समाप्त करने की आवश्यकता ।	,, ,,
41	72	श्री सेभियान	लोगों के मूलभूत अधिकारों को पुनः प्रदत्त करने और उनकी रक्षा करने की आवश्यकता ।	,, ,,
41	73	श्री सेभियान	प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, पक्षपात और लालफीताशाही का उन्मूलन करने की आवश्यकता ।	,, ,,
41	74	श्री सेभियान	मितव्ययता और कार्य कुशलता के लिए शीघ्र प्रशासनिक सुधार करने की आवश्यकता ।	,, ,,
41	75	श्री सेभियान	सन्थानम समिति की सभी सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता ।	,, ,,
41	76	श्री सेभियान	प्रशासन पर ज्यादा निगरानी रखने की आवश्यकता ।	,, ,,
41	77	श्री सेभियान	राजकीय भाषा नीति का पुनः मूल्यांकन करने की आवश्यकता ।	,, ,,

41	78	श्री सेझियान	राजकीय भाषा के मामले के बारे में स्वर्गीय प्रधान मन्त्री नेहरू द्वारा अहिन्दी-भाषी लोगों को दिये गये आश्वासन को क्रियान्वित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
41	79	श्री सेझियान	संविधान की अष्टम अनुसूची में उपबन्धित सभी राजकीय भाषाओं को समान सरकारी स्तर देने की आवश्यकता ।	,, ,,
41	80	श्री सेझियान	सभी राष्ट्रीय भाषाओं का प्रचार करने और उन्हें समृद्ध बनाने के लिए वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ।	,, ,,
41	81	श्री सेझियान	सभी भाषाओं के साथ ही साथ संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का माध्यम बनाने की आवश्यकता ।	,, ,,
41	82	श्री सेझियान	प्रादेशिक भाषाओं को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में वैकल्पिक विषय बनाने की आवश्यकता ।	,, ,,
41	83	श्री सेझियान	भारत में लोगों के विभिन्न वर्गों में समानता की अपेक्षा एकता स्थापित करने का उद्देश्य रखने की आवश्यकता ।	,, ,,
41	84	श्री सेझियान	राज्यों में राष्ट्रपति शासन को बार-बार लागू न करने की आवश्यकता ।	,, ,,

41	85	श्री सेभियान	विभिन्न राज्यों के प्रति, विशेषत: गैर-कांग्रेसी सरकारों के प्रति, सहायक और सहकारी रुख अपनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
41	87	श्री सेभियान	जातिवाद और अस्पृश्यता का उन्मूलन न करने के प्रयत्नों को तीव्र करने की आवश्यकता ।	,, ,,
41	88	श्री सेभियान	अन्तर्जाति विवाहों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ।	,, ,,
41	88	श्री सेभियान	पिछड़े वर्गों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता ।	,, ,,
41	89	श्री सेभियान	मद्यनिषेध के सम्बन्ध में संवैधानिक निदेश लागू करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता ।	,, ,,
42	90	श्री सेभियान	मंत्रियों पर व्यय को कम करने की आवश्यकता ।	,, ,,
43	91	श्री सेभियान	न्याय को कम खर्चीला बनाने की आवश्यकता ।	,, ,,
43	92	श्री सेभियान	न्यायालय प्रणाली को सरल बनाने की आवश्यकता ।	,, ,,
43	93	श्री सेभियान	अपराध दण्ड संहिता और भारतीय दण्ड संहिता को नये सिरे से बनाने की आवश्यकता ।	,, ,,

43	94	श्री सेझियान	न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूर्णतया पृथक करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
43	95	श्री सेझियान	मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सुविधायें बढ़ाने की आवश्यकता ।	,, ,,
44	96	श्री उमानाथ	सरकारी सेवा में पुलिस द्वारा जांच ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
44	99	श्री सेझियान	पुलिस विभाग की शिकायतें दूर करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
44	100	श्री सेझियान	दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता ।	,, ,,
45	103	श्री सेझियान	1971 की जनगणना के लिए तैयारी तेज करने की अब आवश्यकता ।	,, ,,
45	104	श्री सेझियान	जनगणना सम्बन्धी रिपोर्ट प्रकाशित करने के विलम्ब को दूर करने की आवश्यकता ।	,, ,,
48	105	श्री सेझियान	गैर-कांग्रेसी आन्दोलनों के राजनीतिक पीड़तों को पेंशन देने पर विचार करने की आवश्यकता ।	,, ,,
48	106	श्री शिंकरे	गोवा, दमण तथा दीव में स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों को पर्याप्त सहायता देने में असफलता ।	,, ,,

51	109	श्री सेम्फियान	अन्डमान में तमिल-माध्यम वाले स्कूल खोलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
51	110	श्री सेम्फियान	मद्रास से पोर्ट ब्लेयर तक यातायात की सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता ।	,, ,,
51	111	श्री सेम्फियान	द्वीपों में परिवहन तथा संचार सुविधायें सुधारने की आवश्यकता ।	,, ,,
51	112	श्री सेम्फियान	द्वीपसमूह में चिकित्सा सुविधायें बढ़ाने की आवश्यकता ।	,, ,,
51	113	श्री सेम्फियान	द्वीपसमूह में श्रमिकों की दशा सुधारने की आवश्यकता ।	,, ,,
51	114	श्री सेम्फियान	श्रीलंका और बर्मा से आये लोगों को अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में बसाने के लिए योजनायें बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने की आवश्यकता ।	,, ,,
52	115	श्री शिंकरे	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों पर लागू कानूनों तथा नियमों को संघ राज्य-क्षेत्र गोवा, दमण तथा दीव में लागू करने में असफलता ।	,, ,,
52	116	श्री शिंकरे	धर्म-परिवर्तन के बाद अपने नाम तथा उपनाम बदलने में गोवा की अनुसूचित आदिम जातियों की कठिनाइयां ।	,, ,,

53	120	श्री शिंकरे	दादरा और नगर हवेली का वर्तमान प्रशासनिक ढांचा।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय।
53	121	श्री शिंकरे	दादरा और नगर हवेली में शिक्षा की अधिक सुविधायें देने की आवश्यकता।	,, ,,
55	125	श्री सेभियान	क्षेत्रीय परिषदों के कार्यों तथा उनके अधिकारों को बढ़ाने की आवश्यकता।	100 रुपये
41	127	श्री गणेश घोष	राज्य सरकारों के अधिकारियों को ये निर्देश देना कि वे ऐसी सभी फाइलों तथा दस्तावेज़ों को जला दें जिनके आधार पर ऐसे राज्यों में, जहां गैर-कांग्रेसी सरकारें बनी हैं, कांग्रेस के भूतपूर्व मन्त्रियों पर अपराध लगाया जा सकता है।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये।
41	128	श्री गणेश घोष	उड़ीसा के श्री बिजू पटनायक के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट प्रकाशित करने में असफलता।	,, ,,
41	129	श्री गणेश घोष	बचत करने तथा कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए प्रशासनिक सुधार करने में असफलता।	
41	130	श्री गणेश घोष	गृह-मन्त्रालय का प्रशासनिक व्यय कम करने में असफलता।	,, ,,
41	131	श्री गणेश घोष	कांग्रेस पार्टी के हित में आपातकालीन स्थिति जारी रखना।	,, ,,

41	132	श्री गणेश घोष	गैर-कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों वाली राज्य सरकारों विशेषकर पश्चिमी बंगाल के साथ दबाव तथा असहयोग की नीति का अनुसरण ।	राशि घटाकर 1 रुपया करदी जाये ।
41	133	श्री गणेश घोष	गैर-कांग्रेस राज्य सरकारों की खुली आलोचना विशेषकर पश्चिमी बंगाल सरकार की औद्योगिक श्रमिकों सम्बन्धी नीति की खुली आलोचना ।	,, ,,
41	134	श्री गणेश घोष	जब गैर-कांग्रेसी सरकारें बनी तो राज्य सरकारों की मंजूरी के बिना ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण फाइलों तथा दस्तावेजों को, जिनके आधार पर अपराध लगाये जा सकते थे, राज्य सरकारों के कार्यालयों से केन्द्र में ले आना ।	,, ,,
41	135	श्री गणेश घोष	भारत के सभी राजनैतिक दलों द्वारा प्रकाशित सभी सार्वजनिक साहित्य तथा पत्रिकायें लेने तथा पढ़ने के लिए सेना में जवानों पर रोक सम्बन्धी निषेध आदेश ।	,, ,,
41	136	श्री गणेश घोष	गैर-कांग्रेसी सरकारों वाले राज्यों में इन सरकारों की मंजूरी तथा सहमति बिना गैर-कांग्रेसी दलों के राजनैतिक कार्यकताओं के पीछे केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पुलिस गुप्तचर लगाना ।	,, ,,

41	137	श्री गणेश घोष	पेंशन पाने वालों पर बढ़ते हुए मूल्यों का विनाशकारी प्रभाव रोकने के लिए पेंशनों की राशि बढ़ाने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये।
41	138	श्री अब्दुल गनी दार	गुप्तचर्या विभाग द्वारा चीनी आक्रमण के बारे में अग्रिम जानकारी देने में असफलता।	,, ,,
41	139	श्री अब्दुल गनी दार	गुप्तचर्या विभाग द्वारा कच्छ, छम्ब तथा जौरियां क्षेत्र में पाकिस्तानियों द्वारा घुसपैठ के बारे में ठीक जानकारी देने में असफलता।	,, ,,
41	140	श्री अब्दुल गनी दार	भारत में एकता तथा अखण्डता बनाये रखने में असफलता।	,, ,,
41	141	श्री अब्दुल गनी दार	हिन्दी भाषा को लोकप्रिय बनाने में असफलता।	,, ,,
41	142	श्री अब्दुल गनी दार	अल्प-संख्यकों को सभी क्षेत्रों ताथा सभी क्षेत्रों में ठीक प्रकार से भागीदार बनाने में असफलता।	,, ,,
41	143	श्री अब्दुल गनी दार	तस्करों, चोर बाजारी, भ्रष्टाचार तथा अन्य समाज-विरोधी गतिविधियां रोकने में असफलता।	,, ,,
41	144	श्री अब्दुल गनी दार	मौजूदा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सन्थानम समिति विवियन बोस आयोग की सिफारिशों पर अमल करने में असफलता।	,, ,,

41	145	श्री अब्दुल गनी दार	गोवध निषेध सम्बन्धी मांग स्वीकार करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया करदी जाये ।
41	146	श्री अब्दुल गनी दार	शेख अब्दुल्ला को रिहा करने में असफलता ।	,, ,,
41	147	श्री अब्दुल गनी दार	साम्प्रदायिक अपराध करने वाले व्यक्तियों पर मुकदमें चलाने में असफलता ।	,, ,,
41	148	श्रीमती निर्लेप कौर	चण्डीगढ़ तथा अन्य पंजाबी भाषी क्षेत्रों को पंजाब में विलय करन में असफलता ।	,, ,,
42	149	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	विभिन्न राज्यों में भाषावार अल्प संख्याओं की कठिनाइयां तथा असमर्थतायें ।	100 रुपये
41	150	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	केन्द्र तथा राज्यों में अच्छे सबंध स्थापित करने सम्बन्धी नीति बनाने की आवश्यकता ।	,, ,,
41	151	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	आपात–स्थिति समाप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता ।	,, ,,
41	152	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	सीमा सम्बन्धी अन्तर्राज्य छोटे विवाद निबटाने के लिए उपयुक्त व्यवस्था बनाने में सफलता तथा 'क्षेत्रिय परिषदों' का कार्य-साधक सिद्ध न होगा ।	,, ,,
41	153	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	राजनैतिक भ्रष्टाचार समाप्त करने के बारे में सन्थानम समिति की सिफारिशों पर अमल करने में असफलता ।	,, ,,

52	166	श्री अ. क. गोपालन	त्रिपुरा तथा अन्य पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्रों से भारी संख्या से आदिवासियों का उनकी भूमि से निकाला जाना।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये।
41	167	श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	कानून के राज्य और मूल-अधिकारों में हस्तक्षेप।	,, ,,
52	187	श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	अलगाव की अवांछनीयता।	,, ,,
41	191	श्री सेक्वीरा	भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की राज्य पदालि को समाप्त करने और दोनों को अखिल भारतीय सेवा के रूप में चलाने में असफलता।	,, ,,
41	192	श्री वासुदेवन नायर	गैर-कांग्रेसी सरकारों के साथ विशेषकर पश्चिमी बंगाल के साथ भेदभाव।	,, ,,
41	193	श्री वासुदेवन नायर	सरकारी सेवा के लिए अभ्यार्थियों का चुनाव करने में पुलिस द्वारा जांच।	,, ,,
41	194	श्री वासुदेवन नायर	पुलिस कर्मचारियों को संघ बनाने का अधिकार देने से इन्कार।	,, ,,
41	195	श्री वासुदेवन नायर	सरकारी भाषा के सम्बन्ध में सही नीति बनाने में असफलता।	
41	196	श्री चन्द्रशेखर सिंह	संविधान में उपबन्धित सभी भारतीय भाषाओं के प्रचार को कानूनी मान्यता देने की आवश्यकता।	100 रुपये

41	197	श्री चन्द्रशेखर सिंह	राजकीय भाषा को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
41	198	श्री चन्द्रशेखर सिंह	उर्दू को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा देने की आवश्यकता ।	,, ,,
41	201	श्री वासुदेवन नायर	संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिये सभी प्रादेशिक भाषाओं को माध्यम बनाने की आवश्यकता ।	,, ,,
44	204	श्री सेक्वीरा	कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय ।
43	205	श्री चन्द्रशेखर सिंह	कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने में असफलता ।	100 रुपये
44	206	श्री सेक्वीरा	अनेक प्रकार के पुलिस प्रतिष्ठानों की उपयोगिता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
44	207	श्री वासुदेव नायर	दिल्ली पुलिस कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
44	208	श्री वासुदेवन नायर	जन आन्दोलन को लोकतन्त्रात्मक ढंग से निपटाने में पुलिस को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता ।	,, ,,
44	209	श्री वासुदेवन नायर	श्रमिकों किसानों और जनसमुदाय के अन्य वर्गों के विरुद्ध न्यूनतम बल प्रयोग की आवश्यकता ।	,, ,,

45	210	श्री वासुदेवन नायर	त्रिवेन्द्रम में जनगणना विभाग से छंटनी किये गये सभी कर्मचारियों को रोजगार देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
47	212	श्री वासुदेवन नायर	हैदराबाद के निजाम की सम्पत्ति का सही मूल्यांकन करने की आवश्यकता ।	,, ,,
50	213	श्री वासुदेवन नायर	चण्डीगढ़ को केवल पंजाब की राजधानी बनाने की आवश्यकता ।	,, ,,
50	214	श्री वासुदेवन नायर	हरियाणा के लिये एक नई उपयुक्त राजधानी बनाने की आवश्यकता ।	,, ,,
52	223	श्री वासुदेवन नायर	आदिम जाति के लोगों के लिये ठीक नीति बनाने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
41	225	श्री प्र. के. देव	कानूनी कार्यवाही के मामले में भूतपूर्व देशी रियासतों के शासकों को एक समान मानने की वांछनीयता ।	100 रुपये
41	226	श्री मुहम्मद इस्माइल	अंग्रेजी भाषा को शीघ्र, स्पष्ट तथा सुदृढ़ रूप में देश की सरकारी सह-भाषा बनाने की आवश्यकता ।	,, ,,
41	227	श्री मुहम्मद इस्माइल	भार प्रतिरक्षा नियमों के निरसन तथा आपात-स्थिति को शीघ्र समाप्त करने की आवश्यकता ।	,, ,,
41	228	श्री मुहम्मद इस्माइल	भाषायी अल्पसंख्यकों की सेवा-शर्तों सम्बन्धी कठिनाइयां दूर करने की आवश्यकता ।	,, ,,
41	229	श्री मुहम्मद इस्माइल	भ्रष्टाचार को न्यूनतम करने की आवश्यकता ।	,, ,,
41	230	श्री मुहम्मद इस्माइल	शेख अब्दुल्ला को शीघ्र रिहा करने अथवा उन पर मुकदमा चलाने की आवश्यकता ।	,, ,,

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

Shri O. P. Tyagi (Moradabad) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I want to draw the attention of the Home Ministry to the thereat to our national security from within the country. I am reminded by Jai Chand.There are many persons in the country who live here in India and think of U.S.A. or Pakistan or China-They owe their loyalty to foreign countries. While I was in Africa where late Prime Minister Lal Bahadur Shastri introduced Hin li as official language, an agitation was launched against the use of Hindi in the South. Mr. Chou-En-Lai, the Chinese Premier called a people's of the revolution. China is intensifying its activities in the border areas to bring about a blood revolution in India

In 1953 Dr. Billy Graham. a great missionary of U. S. A. in a broadcast in U. S. A. appealed the U.S people to raise an army of missionaries to launch upon a programme of converting 10000 million persons to christanity in India so as to fight communism. Thereafter, India was stormed with U. S. Christian missionaries and U. S. money. In reply to a question of Shri A. K. Gopalan in 1954 it was stated by the Revenue Minister th it Rs. 29.27 crores had flowed in to the country from abroad and the U. S. share in it was Rs. 22.7 crores. This flow of foreign money into the country contines and the amount has gone up with the devaluation of the rupee. The Home Minister pleaded his inability the other day to check it and said they undertake relief works where there is drought. It is not just this that they propagate their religion by running s hools and hospitals, they exploit the hunger and misery of the people to meet their political ends. The Naga and Mizo hostilities are the clear proof of it. Even late Priminister Nehru had hinted that the memorandum presented to late Lal Bahadur Shastri during his visit to Assam owed its origin to U.S.A. The Home Minister said that he could not interfere with voluntary conversions. The figures of conversion to christianity during the last 10 years will serve as an eye—opener. The increase in christian has been 56.89%in Assam, 132.47%in Madhya Pradesh, 100.90% in Rajasthan, 80.39%in Andman & Nicobar, 12 % in Manipur, 91% in Tripura, 825% in Sikkim and so on. The foreign missionaries should be allowed to tamper with the political set up of the country. They should in fact be expelled. This work should be in the control of India missionaries only.

The scheduled castes are given certain concessions because they are backward not only economically but also socially. There is a rule which deprives of the scheduled castes on conversion of the special privileges. But why don't you apply the same rule in case of scheduled tribes. An assurance was given by late Mr. Nehru that the tribed life and culture will be protected. I have to warn the Govenment that suitable steps are not taken in the tribal culture, song, music, dance, etc. will be completely extinguished from the country within 10 years. Then, the term 'Advasi' for them is a misnomer. It creates a feeling in them as if they are not part of the main stream of India. It is an insult to them.

Their machinery for redressal of grievances of scheduled castes and scheduled tribes is not functioning properly. The regional officers under the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes have got neither evaluation officers nor Investigators. They do not have jeeps to go to jungles to look into the welfare of tribals. Their complaints re not looked into.

Another thi g is the widespread corruption ranging the entire country and the root cause of it is the Home Ministry. Corruption has become a part of our life. No doubt you have tried to check it but from the lowest level whereas it travels from the highest level to the lowest, i. e. from Ministers to peons. Charges were made against the corrupt ministers but unfortunately they were Shielded. If you cold eradicated corruption at

the highest rung of the society-i. e. Ministers-honest atmosphere shall prevail in the whole country. I will cite an instance how facts are concealed. One person, Jhumarmal of Jodhpur was killed in the police firing in front of Parli-ament House on 7th November, 1966. His son Goverdhan Das on approaching the hospital authorities was shown the body and on indentifying the body of his father among the dead was asked to collect it next morning. But next morning he was informed that his father was not killed. The Home Minister gave a false statement in Rajya Sabha on 17. 11 66 on this case. The case is stated to be under investigation according to I. G. P. The Home Minister should resign for this fradulent statement. When the Minister-in-charge of eradicating corruption himself indulges in fraud, how can he be expected to uproot corruption ? Had the report of the Santhanam Committee been accepted in full, we could expect an end to corruption but that was not done.

The hon. Home Minister is not aware of the condition in rural areas. The police stations in the villages are centres of corruption and they further lost the victims in stead of protecting them from criminals. You have precipitated that they will accept bribes and as such you have fixed their salaries at a very low standard. Recently in Delhi 31 persons were selected out of 120 options received for the post of magistrates and Judicial official without following any rule or consulting the Governor or U. P. S. C. It was pleaded no rules have been framed so far. This will not achieve the welfare of the country.

In the end, I will like to say a few words about the language issue which has become a very sensitive one. My brothren of South India are afraid that with the introduction of Hindi, they may not be able to continue their domination in U. P. S. C. competition-which is mainly due to the medium of English. I will suggest to allay their fear some 75-80 percent reservations may be made for them in the central services for a period of 2-4 years but an attempt should not be made to enforce a foreign language, English, as the national language An attempt is being made to impose English at the Central and State levels through the back door by bringing forward an offical language (amendment) Bill. Let me warn the Government that such a move will raise a storm in the country.

I will appeal to the hon. Minister to give up the old dictatorial attitude and give due consideration to the valuable suggestions of the opposition.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावडा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। ये मांगे बहुत उचित हैं। 30 जून के "हिन्दुस्तान टाइम्स समाचार पत्र में कहा गया है कि दिल्ली की कुल जनसंख्या 36 लाख है और पुलिस व्यवस्था पर कुल वार्षिक व्यय 3.42 करोड़ रुपये हैं, जिसका अर्थ है प्रति व्यक्ति वार्षिक व्यय 9.52 पैसे होता है। इसी प्रकार भूतपूर्व शासकों की निजी थैलियों और भत्तों के बारे में मांग संख्या 47 के अन्तर्गत मांगी गई राशि बहुत ही उचित है। बहुत से कटौती प्रस्ताव रखे गये हैं परन्तु उनकी कोई औचित्य नहीं है। इन मांगों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया जाना चाहिए।

प्रसिद्ध इतिहासकार आरनाल्ड टोयनबी ने कहा है कि इतिहास में बीसवीं शताब्दी को सबसे अधिक खून-खराबी वाली शताब्दी के रूप में नहीं अपितु एक ऐसी शताब्दी के रूप में स्मरण किया जायेगा, जिसमें लोग सभ्यता के लाभ समूची मानव जाति को उपलब्ध कराना व्यवहार्य समझने की बात सोच सकेंगे। गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये इस प्रतिवेदन में प्रारम्भ में ही कहा गया है कि गृह मंत्रालय के अधीन प्रशासनिक गतिविधियों का वह विस्तृत

क्षेत्र है, जिनका राष्ट्र के स्थायित्व और ऐसा वातावरण कायम रखने पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जो देश की निरन्तर प्रगति और देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिये परमावश्यक है। विरोधी पक्ष के मानीय सदस्यों ने आपातकाल को समाप्त करने की बात कही। अनेक कारणों से ऐसा नहीं किया जा सकता।

इस प्रतिवेदन में जम्मू और कश्मीर की स्थिति के बारे में कहा गया है कि विदेशी तत्वों का उद्देश्य गणमान्य व्यक्तियों की हत्या करना, संचार व्यवस्था भंग करना, पुलिस और सुरक्षा सेना के लोगों को मारना तथा लोगों के मस्तिष्क में असुरक्षा की भावना उत्पन्न करना था परन्तु राज्य के अधिकारियों की सतर्कता के परिणामस्वरूप अनेक विदेशी एजेण्ट पकड़े गये हैं। यह सब इसलिये संभव हुआ है कि सरकार के पास आपातकालीन अधिकार हैं, मुझे महान राजमर्मज्ञ एडमंड बर्क के शब्द याद आते हैं। उसने कहा था कि स्वतंत्रता को सीमित रखना चाहिए ताकि उसकी रक्षा की जा सके।

मैं एक ऐसे राज्य से आता हूं जहां आजकल अव्यवस्था है। नक्सलबाड़ी के प्रश्न को राष्ट्रीय समस्या समझकर उसका राष्ट्रीय हल ढूंढना चाहिए। आज ही जुलाई, 1967 के 'टाइम्स आफ इंडिया' समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ कि नक्सलबाड़ी क्षेत्र में बंगला गाध गांव पर उग्र वामपंथी लोगों के नेतृत्व में 500 आदिवासियों द्वारा हमला किये जाने पर गांव के बचाव दल और उनके बीच गोलियां चलीं। साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के नेता श्री वासवपुन्नय्या के बारे में समाचार है कि उन्होंने कहा कि प्रत्येक सामूहिक जन आन्दोलन के हिंसात्मक, असंवैधानिक और विदेश-प्रेरित बताकर निन्दा करने की देश में विहित स्वार्थों की सामान्य चाल है।

पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार में साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल भी शामिल है और इस दल का नेता उग्र वाम पंथी साम्यवादियों की गतिविधियों को वस्तुतः उचित बता रहा है। 30 जून के सिलिगुड़ी से प्राप्त एक समाचार में कहा गया है कि मार्क्सवादी साम्यवादी दल के उग्र दल ने, जिसकी बैठक कल खाड़ीबाड़ी पुलिस स्टेशन के अधीन बोरागंज गांव में हुई थी, निर्णय किया कि वे न्यायालयों में अथवा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। इस दल के नेता श्री कानू सन्याल ने उनकी गिरफ्तारी का मुकाबला करने का भी निर्णय किया। एक अन्य समाचार के अनुसार पिछले 3 महीनों में 9 राजनैतिक हत्याएं हुई हैं। इससे स्थिति की गंभीरता का पता चलता है और यदि हमने इसका गम्भीरता से सामना नहीं किया तो पश्चिम बंगाल में सामान्य नागरिक जीवन अस्त-व्यस्त हो जायगा।

दक्षिण पंथी साम्यवादी दल के सर्वोच्च नेता श्री डांगे ने अपनी सम्पादकीय टिप्पणी में उग्र पंथियों की इस कार्यवाही के बारे में लिखा है :

"हमें इस दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य से आखें नहीं मूंदनी चाहिये कि चीनी नेताओं की कट्टरता के सिद्धान्तवाद और राजनैतिक विचारधारा में ढले (भारत के) लोगों पर चीनी प्रचार का प्रभाव पड़ा है। बिना चीनी नेताओं की शिक्षा का भण्डाफोड़ किये किस प्रकार उग्रपंथी विचारधारा का दमन किया जा सकता है।"

श्री डांगे ने नक्सलबाड़ी में उग्रपंथियों द्वारा भूमिहीन श्रमिकों द्वारा भूमि प्राप्त करने के लिये चलाये गये आंदोलन में अपनाई गई हिंसा की भी आलोचना की। उनके विचार में इससे केवल संयुक्त मोर्चा सरकार का पतन होगा। साम्यवादी दल के कुछ विकृत स्वार्थ वाले लोगों ने ऐसा प्रचार किया है कि यह केवल भूमिहीन श्रमिकों द्वारा अपनी जोती गई भूमि अपने अधिकार में लेने का प्रश्न है। पिछले रविवार को दो गाड़ियों को रोक कर यात्रियों की घड़िया, जेवर तथा अन्य सामान लूट लिया गया। इस सब में वामपथी साम्यवादी दल के एक अंग का हाथ था।

इस प्रकार की घटनायें केवल नक्सलबाड़ी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है बल्कि त्रिपुरा और चौबीस परगना मे भी ऐसे समाचार मिले हैं। प्रत्येक स्थान में पश्चिम बंगाल के समान स्थिति उत्पन्न करने के लिये लोगों को आंतकित किया जा रहा है। नित्य प्रति पीकिंग रेडियो द्वारा प्रचार के साथ साथ पश्चिम बंगाल में किसी भी प्रकार व्यवस्थित सरकार का तख्ता पलटने का प्रयास किया जा रहा है। वामपंथी साम्यवादी दल के एक नेता ने एक सभा में हाल में कहा था कि वे वहां पर अन्तरिम चुनाव करना चाहते हैं। स्पष्ट है कि वे वहां पर राष्ट्रपति का शासन लागू कराकर स्थिति से लाभ उठाने का एक और अवसर चाहते हैं।

हम लोकतन्त्रीय व्यवस्था में आस्था रखते हैं और हम चुनावों से डरते नही हैं। लेकिन चूंकि शत्रु हमारी सीमाओं पर उपस्थिति हैं, हम इस बारे में उदासीन नहीं हो सकते। यदि हम आने वाले खतरे के प्रति राष्ट्रीय और देशभक्त नहीं होते, तो हमारे लिये स्थिति का सामना करना कठिन हो जायेगा।

एक सदस्य ने मध्य निषेध लागू करने की बात कही। महात्मा गांधी ने इस बारे में कहा था और जिसका मद्य निषेध सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन में भी समावेश है कि यदि मुझे एक घण्टे के लिये भी सारे भारत का शासक बना दिया जाये, तो सर्व प्रथम मैं बिना कोई मुआवजा दिये शराब की सभी दुकानें बन्द कर दूंगा और कारखानेदारों को अपने कर्मचारियों के लिये स्वास्थ्यप्रद पेयों और मनोरंजन की व्यवस्था करने के लिये बाध्य करूंगा··· ···।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : देश में कानून और व्यवस्था की समस्या के बारे में दो दृष्टिकोण हैं एक दृष्टिकोण तो कांग्रेस 20 वर्षों से अपना रही है और यह कोई नया दृष्टिकोण नहीं है, अंग्रेजों का वही पुराना दृष्टिकोण है।

[**श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य पीठासीन हुए**
Shri C. K. Achthcharya *in the Chair*]

कानून और व्यवस्था की समस्या के बारे में ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण इस देश की समस्त जनता को अपना शत्रु समझना था और विदेशी सरकार होने के कारण यह स्वाभाविक भी था। लोगों को आशा थी कि स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद स्थिति बदलेगी। यदि अन्तर है, तो केवल इतना कि सारी जनता को शत्रु नहीं समझा जाता। बड़े व्यापारियों, बड़े जोतदारों को वह वर्ग समझा जाता है जिसे सरकार को संरक्षण देना चाहिए, शेष वर्ग के लोगों को शत्रु समझा जाता है।

पिछले 20 वर्षों में लोगों की कोई भी समस्या हल नहीं की गई है। इस देश के भूमिहीन वर्ग को आशा थी कि स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद उनके लिये कुछ न कुछ अवश्य किया जायेगा। इसके विपरीत हजारों किसानों को बेदखल किया गया है। यदि किसान अपने अधिकारों की मांग करते हैं, तो कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। सहानुभूति तो बहुत दिखाई जाती है परन्तु फिर उन पर लाठी चार्ज किया जाता है और पकड़कर जेलों में डाल दिया जाता है। 1948-49 में मेरे दल के सदस्य श्री रमानी को जो अब इस सभा के सदस्य हैं, केवल इसलिये जेल में बन्द कर दिया गया था कि उन्होंने सरकारी व्यवस्था लागू करने की मांग की थी। इसके विपरीत बड़े धनी जमादारों, चोर बाजारी करने वालों, बड़े व्यापारियों के विरुद्ध कानून और व्यवस्था के तंत्र का एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया है। यदि श्रमिक अधिकारों के लिये हड़ताल करते हैं, तो पुलिस द्वारा उन्हें मारा-पीटा जाता है, इन बीस अपने वर्षों में कांग्रेसी सरकार की यही नीति रही है। जब लोग प्रजातंत्रीय ढंग से अपनी कठिनाइयों, समस्याओं की अभिव्यक्ति करती है, तो उसे कानून और व्यवस्था की समस्या बना दिया जाता है। भाषायी आधार पर राज्यों के गठन के लिये अनेक लोगों ने अपना जीवन दे दिया था। मद्रास में भाषा के प्रश्न के सम्बन्ध में 1965 में सैकड़ों विद्यार्थियों को गोली का शिकार बनाया गया। मैं मद्रास में विद्यार्थियों के साथ जेल में था। मुझे मालूम है कि उनके साथ वहां पर कैसा दुर्व्यवहार किया गया। अब भी केन्द्रीय सरकार ने वह विधेयक प्रस्तुत नहीं किया है, जिसका दो वर्ष पहले वचन दिया गया था।

मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी ने आदिम जाति लोगों की समस्या का उल्लेख किया। आदिम जातियों सम्बन्धी सरकार की नीति से उनमें उत्तरोत्तर असन्तोष बढ़ रहा है। सरकार ने नागाओं और मिजो लोगों की समस्या पैदा की है। पिछले वर्ष बस्तर में जो कुछ भी हुआ वह सर्वविदित है। आदिम जातियों के प्रति सरकार का दृष्टिकोण उन्हें बड़े पूंजीपतियों के लिये सस्ती मजदूरी एक साधन मात्र समझने का रहा है। पिछले 10 वर्षों में त्रिपुरा मे 10 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से आकर बस गये हैं।

संविधान में उपबन्ध है कि भूमिहीन आदिम जातियों को संरक्षण देना चाहिए। लेकिन ऐसे उपबन्धों को क्रियान्वित नहीं किया जाता है। आदिम जातिय–लोगों को उनकी भूमि से बेदखल करके वह भूमि अन्य लोगों को दी जा रही है। जब ये आदिम जाती लोग अपने अधिकारों की, भूमि की माग करते हैं ताकि वे खेती द्वारा अपना जीवन निर्वाह कर सकें, तो साम्यवादी दल पर दोषारोपण किया जाता है कि वह इन लोगों को उकसा रहा है। ढ़ेबर आयोग ने सिफारिश की थी कि इस समूचे क्षेत्र को आदीम जातीय क्षेत्रीय घोषित करना चाहिए और आदिम जातीयों की भूमि का हस्तांतरण पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। सरकार ने इन सब वर्षों में क्या किया। राज्य सरकार इसके विपरीत कार्य कर रही है। केरल में भी यही समस्या है। हाल में मद्रास में 15,000 किसानों, से जंगल की उस अरक्षित भूमि पर से हटने के लिये कहा गया था, जिस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। हमने उसे तुरंत इस आदेश को वापस लेने के लिए कहा। हमारी साधारण सी मांग है कि उन्हें जमीनें दो। सहानुभूति तो बहुत दिखाई जाती है परन्तु वास्तव में व्यवहार में लाठी और जेल का रास्ता अपनाया जाता है।

15 वर्षों से कश्मीर की समस्या बनी हुई है। आम समझते हैं कि शेख अब्दुल्ला को बिना कोई मुकदमा चलाये कैद में रखकर काश्मीर समस्या सुलझाई जा सकती है।

काश्मीर पर विदेशों में भारत विरोधी प्रचार का यह एक विशेष हथियार है। पांच-छः वर्ष जो मुकदमा चलाया गया उससे केवल यही परिणाम निकलता है कि एक कांग्रेसी वकील को सरकार से कुछ धन मिल गया। आपने काश्मीर को एक आश्चर्यजनक व्यक्ति बख्शी गुलाम मुहम्मद दिया जिसने आयगर के निष्कर्षों के बारे में समाचारों के अनुसार स्वयं तथा अपने परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत लाभ के लिये अपने पद का दुरुपयोग किया।

श्री टी०एन०जुत्शी और श्री ई०पी० मेनन द्वारा, जो गांधी प्रतिष्ठान के सदस्य थे, लिखित काश्मीर समस्या सम्बन्धी रिपोर्ट में कहा गया है कि 1965 में पुलिस ने काश्मीर के गांवों में पुरुषों और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। इसमें आगे कहा गया है कि सर्वोदय नेताओं द्वारा भेजे गये एक महिला प्रतिनिधि मंडल ने प्रभावित गांवों का दौरा करने के बाद एक रिपोर्ट दी कि जिसमें वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि इस सबका उद्देश्य लोगों को आतंकित करना था, विशेष रूप से उनकी महिलाओं के माध्यम से। यह कहा गया है कि इस रिपोर्ट की प्रति प्रधानमंत्री को भेजी गई थी किन्तु न तो यह प्रकाशित की गई और न ही इस पर कोई कार्यवाही की गई। यदि रिपोर्ट सही नहीं है, तो सरकार को इसका खंडन करना चाहिए। आप लोगों को आतंकित किये जाने के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

पुलिस जांच का प्रजातंत्रीय अथवा कानूनी आधार क्या है ? लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये लोगों को पुलिस के एक सिपाही की रिपोर्ट पर कि कभी उसका किसी राजनैतिक दल से सम्बन्ध था, सेवा के लिये अमान्य घोषित कर दिया जाता है। केरल में हमारा दल सत्तारूढ़ था, हमने नहीं कहा कि कांग्रेस दल से किसी भी रूप में सम्बद्ध व्यक्ति सरकारी सेवाओं में अमान्य हैं। संविधान में कहीं ऐसा नहीं कहा गया है। लोकतंत्र का क्या अर्थ रह जाता है यदि लोगों को इस तरह आतंकित किया जाता रहे।

दूसरा दृष्टिकोण है आंदोलन और संघर्ष के मूल कारणों का पता लगाना और उनको दूर करना। यदि आप आर्थिक समस्या को हल कर दें तो सभी आन्दोलन समाप्त हो जायेंगे। हमने हमेशा यही दृष्टिकोण अपनाया है। 1957 में हम केरल में सत्तारूढ़ थे। हमने आन्दोलन होने पर पुलिस को लोगों पर गोली चलाने के लिये नहीं बुलाया हम उन सभी राज्यों में, जहां प्रशासन में हमारा कोई प्रभाव है, यही दृष्टिकोण अपना रहे हैं।

पश्चिमी बंगाल में सत्तारूढ़ होने पर हमें एक गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ा। सैकड़ों कारखानों के मालिकों ने सामूहिक रूप से मिलकर हजारों श्रमिकों की छटनी करने की घोषणा कर दी। पश्चिमी बंगाल में अनेकों उद्योग हैं। स्वभाविक था कि घेराव आरम्भ हुए। क्या आप स्वतंत्रता प्राप्त के बाद की अवधि में एक भी साल बता सकते हैं जब पश्चिम बंगाल में घेराव न हुए हों। घेराव तो बहुत पहले से होते रहे हैं, जब कांग्रेस सत्तारूढ़ थी। अन्तर केवल इतना है कि पहले इसे कानून औ व्यवस्था का प्रश्न बनाकर पुलिस बुला ली जाती थी जो मारपीट, लाठी–चार्ज आदि करती थी परन्तु हमने ऐसा नहीं किया। घेराव से समस्या का हल शीघ्र ढूढ़ा जाता है। पिछले तीन महीनों में अनेक समस्याएं हल हुई हैं। कांग्रेस तो कानून और व्यवस्था का नारा लगाना जानती है। 1957 में केरल में साम्यवादी दल के सत्तारूढ़ होने पर भी यही कहा गया था। कांग्रेसियों ने चुनी हुई सरकार का तख्ता

पलटने के उद्देश्य से सबसे बड़ा असंवैधानिक आन्दोलन चलाया था। जब कहीं भी किसी अन्य दल की सरकार बन जाती है, तो कानून और व्यवस्था भंग होने का प्रश्न उठा दिया जाता है क्योंकि उस सरकार को हटाना है। मुझे मालूम है कि गृह–कार्य मंत्री श्री चव्हाण ने तीन पत्रकारों को, जो महाराष्ट्र से हैं, बुलाकर नक्सलबाड़ी जाने के लिये कहा है और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि दस दिनों में भयोत्पादक कहानियां प्रकाशित होंगी। मुझे नहीं मालूम कि इस पर केन्द्रीय सरकार का कितना धन खर्च किया जायेगा।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : श्रीमान, अभी कुछ आरोप लगाये गये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मैं पिछले तीन दिनों से यहां नहीं था और मैंने किसी पत्रकार को नहीं बुलाया था। पत्रकार देश में कहीं भी जाने के लिये स्वतन्त्र हैं।

श्री राममूर्ति : लेकिन इन तीन पत्रकारों को इस विशेष प्रयोजन से गृह मंत्रालय द्वारा भेजा गया है।

Shri K. N. Tiwary : (Bettiah) : On a point of order sir, the hon. Member should be asked to substantiate the allegation made by him against the hon. Home Minister.

Shri Sheo Narain (Basti) : Since the Home Minister have denied the allegations it should not form part of the proceedings.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : आरोपों को प्रमाणित नहीं किया गया है। इन्हें वापिस लिया जाना चाहिए।

श्री राममूर्ति : सभी जगह राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिये वातावरण बनाया जा रहा है। जो कुछ मन्त्री महोदय कहते हैं, वह स्वीकार करने के लिये मुझे बाध्य नहीं किया जा सकता।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : श्रीमान मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री राममूर्ति ने "तीन महाराष्ट्रीय पत्रकार" कह कर गृह मन्त्री पर कटाक्ष किया है। इसलिये इन शब्दों को कार्यवाही के वृतान्त से निकाल देना चाहिए।

सभापति महोदय : कार्यवाही के वृत्तान्त से निकालने का कोई प्रश्न नहीं है। श्री राममूर्ति का गृह मन्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से खण्डन किया गया है। वह रिकार्ड में है।

श्री राममूर्ति : हस्तक्षेप के लिये राजनैतिक आधार बनाया जा रहा है। गृह मन्त्री जाते हैं और सीधे बातचीत करते हैं कि कानून और व्यवस्था का प्रश्न है और अधिकारियों को कहते हैं कि इस सरकार की ओर ध्यान न दो। तुम्हें बचाने के लिये हम मौजूद है। राज्यपाल दिल्ली आते है और वापस जाकर पुलिस अधिकारियों को बुलाते हैं।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : राज्यपाल के बारे में जो टिप्पणियां की गई हैं, उनका उन्होंने खन्डन किया है था, यह सच है कि कुछ मामलों पर विचार विमर्श करने के लिये पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री ने जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक को आमन्त्रित

किया। राज्यपाल इन पदाधिकारियों से मिले थे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री को उनके अभिप्राय का पता था। जो कुछ उनके बारे में कहा गया है, उसमें वास्तविकता नहीं है।

श्री राममूर्ति : पश्चिम बंगाल विधान सभा में यह चर्चा का विषय था। हो सकता है श्री चव्हाण को इसकी जानकारी न हो।

गृह-कार्य मंत्री महोदय द्वारा शांति और व्यवस्था की समस्या बार बार इस सभा में उठाई जाती है। परन्तु वास्तविकता यह है कि राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये जनता में असुरक्षा की भावना पैदा करके वहां पर वर्तमान सरकार को उखाड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है। वहां पर वर्तमान सरकार की नीति भूतपूर्व सरकार की नीति से भिन्न है। इस नीति के विफल करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं किन्तु ऐसा होने नहीं दिया जायगा।

आजकल मध्यावधि चुनावों की बात कही जाती है। हम लोग इस प्रकार की धमकियों से नहीं डरते हैं। हमें अपने कार्यों पर विश्वास है कि हमने जो कुछ भी किया है वह कांग्रेस सरकार की तुलना में अच्छा है। हमने पिछले चुनाव में जीत कर दिखा दिया है और हमें विश्वास है हमें जनता फिर चुनेगी।

कांग्रेस के पिछले बीस वर्षों के शासन काल में देश के प्रत्येक वर्ग में प्रत्येक जाति में एक असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई है। अतः जब तक असुरक्षा की यह बुनियादी समस्या हल नहीं की जाती तब तक देश में शान्ति और व्यवस्था की बात करना व्यर्थ है। पिछले आम चुनावों में कांग्रेस को कड़ी पराजय का सामना करके पर्याप्त शिक्षा मिल चुकी है। यदि सरकार अब भी सचेत नहीं हुई तो उसे अपनी करनी का उत्तर जनता के सामने देना पड़ेगा।

श्री जे०के० चौधरी (त्रिपुरा पश्चिम) **:** मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने त्रिपुरा के बारे में कई बातें कही हैं। इस सभा में त्रिपुरा का प्रतिनिधि होने के कारण त्रिपुरा के बारे में मुझे अधिक वास्तविक जानकारी है। जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है वह असत्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य इस सभा में त्रिपुरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और वह ऐसा कह सकते हैं।

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकन्दराबाद) **:** यह सराहनीय बात है कि स्वास्थ्य, इंजीनियरी, फारेस्टरी के क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवा स्थापित की जा चुकी है तथा शिक्षा तथा कृषि के क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवाएं शीघ्र स्थापित की जाएंगी। यह एकता स्थापित करने की एक प्रक्रिया है।

यह खेद की बात है कि गृह कार्य मन्त्रालय ने संघ लोक सेवा की परीक्षा का माध्यम सोलह भाषाएं बनाने का निर्णय किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 320 के अन्तर्गत नीति में इस प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिये यह मामला संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जाना चाहिए था, किन्तु गृह कार्य मन्त्रालय ने इस अनुच्छेद के उपबन्ध का पालन न करके स्वयं ही निर्णय कर दिया और संघ लोक सेवा आयोग को उसे क्रियान्वित करने के

लिये कहा । इस प्रकार का परिवर्तन व्यवहार्य नहीं है । यह सरकार तथा अभ्यर्थियों दोनों के लिए हानिकारक होगा ।

सरकार को भाषा के सम्बन्ध में एक सुनिश्चित नीति अपनानी चाहिए, भले ही उसे कुछ कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े । राजनैतिक कारणों से चन्द लोगों के दबाव में आकर इस प्रकार का निर्णय करना देश के हित में नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं। अब सभा में स्थगन प्रस्ताव लिया जाना है ।

स्थगन प्रस्ताव

MOTION FOR ADJOURNMENT

तिहाड़ जेल में हुई घटनायें

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम स्थगन प्रस्ताव पर विचार करेंगे ।

श्री नाथपाई (राजापुर) : "मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सभा अब स्थगित हो ।"

उपाध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ करने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि कार्य सूची के अनुसार साढ़े पांच बजे आधे घन्टे की चर्चा आरम्भ की जानी है । पहले किये गये निर्णय के अनुसार गृह कार्य मन्त्री के वक्तव्य के बाद यह चर्चा आरम्भ होनी थी । किन्तु बाद में आज प्रातः यह निर्णय किया गया कि हम डेढ़ घन्टे के अन्दर स्थगन प्रस्ताव समाप्त कर लेने के बाद आधे घन्टे की चर्चा आरम्भ करेंगे ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : इस पर चर्चा अगली बार की जा सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा सुझाव यह है कि माननीय प्रस्तावक 20 मिनट का समय लें तथा अन्य सदस्यों में से प्रत्येक सदस्य 10 मिनट का समय ।

श्री नाथपाई : मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकार का अपराध साबित करने के लिये अपेक्षित समय से में अधिक समय नहीं लूंगा ।

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : श्री नाथपाई ने अपना स्थगन प्रस्ताव अब विधिवत प्रस्तुत कर दिया है, माननीय सदस्य-द्वारा अपना भाषण आरम्भ करने से पहले कुछ शब्द कहना चाहता हूं ।

श्री नाथपाई : मै इसके विरुद्ध नहीं हूं किन्तु इससे सभा के नियमों का उलंघन होता है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इसीलिये मैं माननीय सदस्य की अनुमति चाहता हूं । यदि माननीय सदस्य मेरी बात सुनें तो उन्हें अपने विचार प्रस्तुत करने में सहायता मिलेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह मानता हूं कि श्री नाथपाई का कथन बिल्कुल सच है । किन्तु मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि गृह कार्य मन्त्री महोदय का सुझाव मान लिया जाये ताकि इससे वाद विवाद में सहायता मिल सके ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : प्रस्तावक द्वारा अपना भाषण समाप्त करने से पहले नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे माननीय प्रस्तावक के सामने रखूंगा । यदि वह मान जायें ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : हमें यह मान्य नहीं हैं ।

श्री नाथपाई : मेरा आशय आपके सुझाव का अनादर करना नहीं है और न ही मैं कोई बहाना कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि गृह कार्य मन्त्री तथ्य सामने रखें । किन्तु ऐसा करना स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में सुस्थापित परम्परा का उल्लंघन होगा ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए । माननीय प्रस्तावक को अपना भाषण आरम्भ करने दिया जाय ।

श्री नाथपाई : विशेष बातों के कारण ही यह स्थगन प्रस्ताव चर्चा के लिये लिया गया है । कदाचित यह स्थगन प्रस्ताव ऐसा है, जिस पर चर्चा की अनुमति बिना इसको पाठ जाने दे दी गई है । अतः मैं आपकी अनुमति से इसका पाठ पढ़ता हूं । यह इस प्रकार हैं :

"तिहाड़ जेल में कैदियों के जीवन की सुरक्षा के लिये दिल्ली प्रशासन का पर्याप्त कार्य-वाही करने में असफल रहने के कारण बड़े पैमाने पर उपद्रव तथा बड़ी संख्या में लोगों का घायल होना ।"

तिहाड़ जेल में 29 तारीख की शाम को हुई घटना के दुखद समाचार से प्रत्येक सदस्य को––चाहे वह किसी दल का हो तथा चाहे वह गोरक्षा का समर्थक हो अथवा न हो––दुख, क्रोध तथा निराशा हुई ।

सरकार इस बात की दोषी है कि वह इस बात का पूर्वानुमान नहीं लगा सकी कि वहां गड़बड़ हो रही है और वह हिंसक भीड़ का रूप धारण कर सकती है । यदि सरकार इसका पूर्वानुमान लगा लेती तो वह आवश्यक कार्यवाही करती । सरकार को गडबड़ी के बारे में पता था किन्तु उसने इस घटना को रोकने के लिये आवश्यक कार्यवाही नहीं की : दिल्ली प्रशासन जेल के अन्दर छुरे आदि घातक हथियारों को–जैसाकि कि हम देखते रहे हैं––ले जाने को नहीं रोक सका । सरकार तिहाड़ जेल के अन्दर बन्दी लोगों के जीवन की रक्षा करने के अपने कर्त्तव्य को निभाने में असफल रहा । प्रशासन ने जेल के अन्दर कैदियों की देखभाल के कार्य की बिल्कुल उपेक्षा की है । अब मैं 29 तारीख को हुई दुखद घटना का उल्लेख करूंगा ।

यह घटना उस दिन साढ़े सात बजे जेल अधिकारियों द्वारा सीटी बजाने के बाद हुई। अचानक बहुत से कैदियों ने अन्य कैदियों पर आक्रमण कर दिया। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होगा किन्तु ऐसा लगता है कि जैसे यह पूर्व योजना के अनुसार किया गया। यह असाधारण बात है कि उनके पास इतनी संख्या में उनके पास इतने हथियार कैसे थे। बहुत लोग यह जानते हैं कि हमारी जेलों में कैसी स्थिति है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारी जेलों की स्थिति में उन दिनों की तुलना में अभी तक कोई पर्याप्त सुधार नहीं हुआ कि जबकि उपाध्यक्ष महोदय आप यरवदा जेल में थे और आपको इस बात का अनुभव है कि जेल में क्या कुछ हो सकता है। आशा है आप पूरी तरह यह नहीं भूले हैं कि जेल के कैदी तथा जेल वार्डन उन कैदियों के साथ जिन्हें वह नहीं चाहते हैं, कैसा निष्ठुर व्यवहार करते हैं ? आज भी जेलों में उसी प्रकार का दुर्व्यवहार कैदियों के साथ किया जाता है।

बड़ी संख्या में कैदी छुरे, लौह छड़ें, लाठियां तथा जलती हुई लकड़ियां लेकर अकथनीय तरीके से आये और उन्होंने दूसरे कैदियों पर आक्रमण कर दिया।

इस समय जबकि हम एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, गोरक्षा का प्रश्न इस सभा में उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे हम उस दिन हुई घटनाओं पर ध्यान केन्द्रित नहीं कर पायेंगे। कुछ माननीय सदस्य गोरक्षा के प्रश्न को लेकर ही उलझ जायेंगे।

मै समझता हूं कि जिस समय इन लोगों पर हमला किया जा रहा था उस समय कोई दया नहीं दिखाई गई इस आधार पर श्री चव्हाण को यह नहीं कहना चाहिए कि यह अपराधियों के दो दलों के बीच उपद्रव था। यदि ऐसा कहा गया तो यह स्थगन प्रस्ताव नहीं है। यह सभा उनके बारे में स्थगन प्रस्ताव पर वाद विवाद नहीं कर सकती है जो इस घटना के लिये उत्तरदायी नहीं है। तिहाड़ जेल के कैदियों के विरुद्ध स्थगन प्रस्ताव लाकर सभा का अपमान नहीं किया जायेगा। अतः मेरी शिकायत कैदियों के विरुद्ध नहीं है। हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। मेरी शिकायत सरकार तथा उसकी असफलता के विरुद्ध है।

इन कैदियों को वार्ड संख्या 1 में बुरी तरह मारने, घसीटने तथा उनमें से कुछ को नंगा करके कोड़ों से पीटने के बाद उनसे आठ घड़ियां छीन ली गई और इन घड़ियों का अब तक पता नहीं चला है।

इसके बाद आक्रमणकारियों का ध्यान उस ओर गया जहां पर स्वामी करपात्री जी प्रवचन दे रहे थे। यह आक्रमण इतना अचानक तथा अप्रत्याशित था कि स्वामी जी ने ये शब्द कहे : "मुझे लगा कि प्रलय आ गया है। आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। और उसके बाद क्या हुआ, मालूम नहीं।" यह कोई कल्पनातीत घटना है। स्वामीजी किसी बात से आसानी से डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं। स्वामीजी ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो आसानी से अपना सन्तुलन खो दें। किन्तु स्वामीजी ने जब ये शब्द प्रयोग किये तो उनका कुछ तात्पर्य अवश्य है। स्वामीजी को इस अप्रत्याशित हिंसक आक्रमण के कारण ही ये शब्द कहने पड़ें।

स्वामीजी पर आक्रमण किया गया और वह इस समय अस्पताल में पड़े हैं। हरियाना के आर्य समाजी नेता, जो अपनी विद्वता तथा लगन के लिए प्रसिद्ध हैं, पर नृशंस आक्रमण

किया गया। जब वह अपनी कोठरी में विश्राम कर रहे थे, उनकी कोठरी तोड़ कर उन पर हमला किया गया था। उनको तब तक पीटा गया जब तक आक्रमणकारियों को यह विश्वास न हो गया कि वह मर चुके हैं, और उसके बाद ही आक्रमणकारी कोठरी छोड़ कर चले गये। बन्दी व्यक्तियों में से 15 का इर्विन अस्पताल में और 57 का जेल के अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। दो व्यक्ति अब भी लापता हैं। मैं समझता हूं कि गृह कार्य मन्त्री जानते हैं कि इन लोगों के बारे में आशंका व्यक्त की जारही है। मैं चाहता हूं कि यह सूचना निर्मूल सिद्ध हो। किन्तु यह सर्वदलीय गोरक्षा समिति एक पदाधिकारी तथा अन्य राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों द्वारा जो बहुत उत्तरदायी व्यक्ति हैं कहा गया है। इन तथ्यों से पता चलता है कि जेल के अन्दर किस प्रकार का उपद्रव हुआ। इस सभा के सदस्यों ने स्वयं घटना स्थल पर जाकर देखा। उनका कहना है कि इस दुखद घटना के दो दिन बाद तक वहां पर रक्त था। आप कहेंगे कि वहां रक्त कैसे हो सकता है। वहां पर सूखे रक्त के बड़े बड़े धब्बे थे। इस दुखद घटना के 48 घंटे बाद तक लोगों की आंखों में आंसू थे, वे कराह रहे थे और सहायता के लिये पुकार रहे थे। इस घटना के दूसरे दिन दो बजे प्रातःकाल तक उन्हें कोई सहायता नहीं दी गई। मैं उन बातों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं जिनकी समाचार पत्रों अथवा उन सदस्यों ने अथवा उन लोगों ने जो वहां गये हैं और जिन्होंने कैदियों से बातचीत करके पूछताछ की है, पुष्टि नहीं की है।

तथ्यों को बिना बढ़ाये चढ़ाये प्रस्तुत करके आरोपों के बारे में कहता हूं। यह एक ऐसी घटना है कि जो हमें दिल्ली प्रशासन के कार्यकुशलता रहित कार्यकरण के प्रति सचेत करती है। दिल्ली प्रशासन ऐसी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने में असफल रहा है, जो सामान्य व्यक्ति को भी स्पष्ट दिखाई देती है। चाहे यह सुनियोजित रूप से बालकोट की भाग निकलने की घटना, अथवा चाहे गत वर्ष 7 नवम्बर की दुखद घटना हो अथवा चर्चाधीन घटना हो, दिल्ली प्रशासन कार्य नहीं करेगा, 2 जुलाई, 1967 के स्टेट्समेंन समाचारपत्र का कहना है कि दिल्ली जेल के अधिकारियों ने यह स्वीकार किया है कि जेल के अन्दर तनाव बढ़ रहा था और जेल के अन्दर स्थान के अनुपात में बहुत अधिक कैदी थे तथा वहां गन्दगी थी। महानगर परिषद के सदस्य श्री प्रेमचन्द्र गुह ने कहा कि वह 24 जून को सेन्ट्रल जेल के अन्दर कैदियों से मिलना चाहते थे किन्तु उन्हें अधीक्षक ने यह कह कर मिलने देने से मना कर दिया कि जेल के अन्दर तनाव की स्थिति है। यह पता था कि जेल के अन्दर तनाव की स्थिति है। इस तनावपूर्ण स्थिति के कारणों को दूर करने के लिये तथा इस प्रकार की दुखद घटना को होने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई थी ? यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि प्रशासन तथा जेल अधिकारी अपना कर्त्तव्य निभाने में बिलकुल असफल रहे। यह जेल में 1400 बन्दियों को रखने के लिये बनाई गई थी किन्तु इस समय इसमें 2400 बन्दी रखे जाते हैं। वहां पर प्रत्येक सुविधा सीमित है। अच्छे से अच्छा सत्याग्रही भी जेल में मिलने वाले पानी, सफाई आदि की सुविधाओं के मामले में ईर्षालु हो जाते हैं। कदाचित आपको पता होगा कि कठिन परिस्थितियों में राजनैतिक कैदियों में किस प्रकार ईर्षा हो जाती थी। इस जेल में कुछ साधारण कैदी देख रहे थे कि प्रत्येक सुविधा की मात्रा कम होने लगी है और उन्हें उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है। सम्भव है कि यह उनकी उचित शिकायत न हो कि उन्हें उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है; क्योंकि अधिकारी लोग हमें ऐसा बता रहे हैं कि वहां पर शत्रुता तथा ईर्षा व्याप्त थी। गोरक्षा के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये लोगों को दी जाने वाली विशेष सुविधाएं साधारण कैदियों

को अच्छी नहीं लगी । इस पर किसी को विश्वास नहीं होगा । आप लोगों को कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार करके जेल में रखते हैं, यह ठीक है । किन्तु जैल नियमावली के अनुसार सरकार का यह उत्तरदायित्व हो जाता कि सभी कैदियों को, चाहे वे साधारण कैदी हो अथवा राजनैतिक कैदी हो अथवा ऐसे आन्दोलन में गिरफ्तार किये गये कैदी हों, जिसके बारे में लोगों के दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हों, बुनियादी सुविधाएं देना सरकार का उत्तरदायित्व है । इस दुखद घटना का बुनियादी कारण यह है कि जेल के अन्दर उपलब्ध स्थान के अनुपात में बहुत अधिक कैदी थे । इस जेल का जिस कार्य के लिये उपयोग किया जा रहा है, उसके लिए यह उपयुक्त नहीं है । इसमें 500 ऐसे कैदी रखे गये हैं जिन पर मुकदमे चल रहे हैं । जेल अधिकारियों का कहना है कि सभी कर्मचारी इन 500 कैदियों की देखभाल में--उन्हें दिल्ली के न्यायालयों में भेजना वापिस आने पर उनकी देखभाल करना-- लगे हुये थे, जिससे जेल के कर्मचारी अन्य कर्त्तव्यों का अच्छी तरह पालन नहीं कर सके । इस मामले में कर्त्तव्य की उपेक्षा की गई है । सरकार स्थिति का पूर्वानुमान लगाने में असफल रही सरकार उचित कार्यवाही करने में असफल रही । त्रुटियों पर त्रुटियां होने के कारण इस दुखद घटना को रोका नहीं जा सका । यदि जेल का संचालन ठीक ढंग से किया जाता और जेल अधिकारी कैदियों की सुविधाओं का ध्यान रखते तो यह दुखद घटना रोकी जा सकती थी ।

उपाध्यक्ष महोदय, ये गम्भीर आरोप हैं । मेरे कुछ माननीय मित्र जिन्होंने वहां जाकर बन्दियों से बात की है, अलग अलग निष्कर्ष निकाल रहे हैं । मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत तो नहीं हूँ किन्तु मैं समझता हूँ कि उनके तर्क में कुछ तथ्य अवश्य है । कैदियों में यह धारणा है, इस सभा के कुछ सदस्य भी इससे सहमत हैं—मैं उनमें से नहीं हूँ--कि यह दुर्घटना अचानक नहीं हो सकती । इसके पीछे कुछ बात अवश्य है । यह निष्कर्ष ठीक नहीं है । किन्तु गृहकार्य मंत्री को पुष्ट प्रमाणों से इस निष्कर्ष का खण्डन करके यह साबित करना होगा कि यह पूर्व-नियोजित तथा संगठित नहीं था; सरकार ने इसे प्रोत्साहित नहीं किया; सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है; सरकार ने इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयत्न किया ।

इस समय तिहाड़ जेल की स्थिति बहुत खराब है। अतः सरकार को इस सम्बन्ध में पर्याप्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है । प्रोफेसर रामसिंह के अनुसार गोवध विरोधी आन्दोलन में गिरफ्तार किये गये 924 व्यक्तियों में से 143 को छोड़कर सबको चोट लगी । यह संख्या असाधारण रूप से अधिक है । इससे दुर्घटना की गंभीरता का पता चलता है; इससे पहले से की गई, यदि कोई हो तो तैयारी का पता चलता है । सरकार इसे दुर्घटना बतायेगी । किन्तु इस दुर्घटना के समय वहां पर जेल के तीन अधिकारी उपस्थित थे, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस घटना का उत्तरदायित्व सरकार पर है । मुझे बताया गया है कि जेल के अधीक्षक, उप अधीक्षक तथा चीफ वार्डन भी इस काण्ड के समय वहां पर थे । उन्होंने क्या किया ? इसका उत्तर यह होगा कि "यह अचानक हो गया ।" हम जानते हैं कि जेल में रक्षा की पर्याप्त व्यवस्था होती है । जेल के बाहर काफी संख्या में सुरक्षीगण रहते हैं । क्या उन्हें बुलाया गया था ? यदि उन्हें बुलाया गया था, तो उन्होंने क्या किया ? उन्होंने इस घटना को और अधिक बढ़ने से रोकने का प्रयत्न नहीं किया । उन्होंने लाठी लेकर बिना सोचे समझे सबको पीटना आरम्भ कर दिया । इसका तात्पर्य यह है कि जिन पर आक्रमण किया गया और

जिन्होंने आक्रमण किया उन सबको जेल में शांति स्थापित करने के लिए बुरी तरह से पीटा गया।

उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में सरकार की असफलता इतनी स्पष्ट है कि उसे किसी तर्क द्वारा ढका नहीं जा सकता है। मैं सरकार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कैदियों के पास छुरे कहां से आये ? कुछ व्यक्तियों को इतनी अधिक और शरीर के ऐसे अंगों में चोटें आई हैं जिनका वर्णन करना ही अशोभनीय प्रतीत होता है। यह एक दुर्घटना मात्र नहीं हो सकती है। आप चोटों की फोटो तथा डॉक्टर के रिकार्ड देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी निर्दयता का व्यवहार किया गया है। हम एक सत्याग्रही नवयुवक बन्दी साधु के आभारी हैं। जब अपराधी महिला वार्ड की तरफ दौड़े तो उस साधु ने कुछ अन्य साधुओं के साथ, जो करपात्री जी का प्रवचन सुन रहे थे, उन्हें महिला वार्ड में घुसने से रोक दिया। इस प्रकार दुर्घटना होने से बच गई। यदि ये अपराधी अपने उद्देश्य में सफल हो जाते तो पता नहीं क्या दुर्घटना हो जाती। यहां पर जेल अधिकारी अपना कर्त्तव्य पालन करने में पूर्णतः असफल रहे।

{अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए}
{Mr. Speaker *in the Chair*}

मैं समझता हूं कि यह दुर्घटना मात्र नहीं थी। मंत्री महोदय कहेंगे कि हमें दुख है। मैं मंत्री महोदय से केवल यही आशा नहीं करता हूं कि वह यह कहें कि हमें दुख है। इस मामले की जांच की जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो जेल के इन्स-पेक्टर जनरल आफ पुलिस भी हैं, किस प्रकार की जाच कर रहे हैं। यह एक असाधारण बात है। एस मामले में भी दिल्ली प्रशासन अपते कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। एक राजस्व अधिकारी को दिल्ली की जेलों की देखभाल का काम भी सौंपा गया है। मैं जांच के लिए एडि-शनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नियुक्ति से संतुष्ट नहीं हूं। मैं इस बात की मांग करता हूं कि इसकी स्वतन्त्र न्यायिक जांच की जाये। यह जांच एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में होनी चाहिए। यह अपराध अत्यन्त गंभीर है, इसकी उपेक्षा नही की जा सकती है। अतः इस दुःखद घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित अधिकारियों को अस्थायी रूप से मुअत्तल किया जाये। हम इस देश में ईमानदारी की आशा नहीं कर सकते हैं। दोषी के अपराधों को ढकने का प्रयत्न किया जाता है। हो सकता है ये अधिकारी निरपराध हो। न्यायधीश को जांच करने दीजिये। किन्तु मैं चाहता हूं कि जांच पूरी होने तक इन अधिकारियों को मुअत्तिल रखा जाये।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस सारे प्रश्न पर विचार किया जाये कि दिल्ली की जेलों में किस प्रकार कार्य संचालन हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार की दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति हो। भूतकाल में भी दिल्ली प्रशासन के बारे में इस सभा में स्थगन प्रस्तावों के बारे में चर्चा हो चुकी है। पहली बार वालकॉट के मामले पर हुई थी। उसके बाद पिछले वर्ष हुई थी। अतः हमें इस सारे मामले पर विचार करना है कि दिल्ली प्रशासन किस प्रकार कार्य कर रहा है। अतः मुझे आशा है इस मामले के सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार किया जायेगा और दिल्ली प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री मु० यू० सलीम (नलगोंडा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान नियम 56, 58 और 59 की ओर दिलाना चाहता हूं। स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित है।

अध्यक्ष महोदय : इसकी ग्राह्यता के बारे में चर्चा के समय यह बात उठाई जानी चाहिये थी। अब इसे ले लिया गया है और माननीय सदस्य इस पर बोल चुके हैं।

श्री मु० यू० सलीम : निर्णयाधीन मामलों के बारे में कुछ परमादेश उपबन्ध हैं। इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा चुकी है और यह मामला मजिस्ट्रेट को सौंप दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इन सबके बारे में गृह कार्य मंत्री को बोलने दीजिये। मैं इन तथ्यों के बारे में नहीं जानता।

श्री मु० यू० सलीम : उस समय कुछ भ्रम था। आपने कहा है कि आपको कुछ स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई थी, परन्तु आपने उनको ध्यान दिलाने वाली सूचना के तौर पर ले लिया है। आपने यह भी कहा है कि 2 बजे म० प० माननीय गृह-कार्य मंत्री एक वक्तव्य देंगे।

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी गई है। माननीय सदस्य ने इसे प्रस्तुत भी कर दिया है। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि सभा अब स्थगित हो"

Dr. Govind Das (Jabalpur) : I am against making such matters political. There are certain matters which should be considered above politics. I have visited Tihar Jail and have heard accounts of the happenings there. I have met those persons whose ideologies differ from that of Congress.

I have met Swami Karpatriji. I have great regard for him. He was attacked in Jail when he was delivering services. I consider this attack, a attack on Hindu culture. I went round the jail barracks where these incidents took place. I saw marks of blood, This incident is very much heart rending. I have personal experience of Jails. I can say that I have not come across any incident taking place within the four walls of Jail. It was said that Shri Shukla was informed that this was an incident between two groups of prisoners. But the funny thing about this incident is that only anti-cow-slaughter Satyagrahis were injured and no other person has received and injury The alarm of the jail was continuously ringing for one and a half hours. It is evident that this attack on Sadhus was pre-planned.

I do not say that Government is responsible for this. High Officers were present there. They did nothing to prevent this. They were more spectators of this ghastly attack. I say that these officers failed in performing their duty.

I am a member of the Executive of the Cow-Protection Samiti. Now we have made three demands. Firstly a high court judge should hold an enquiry in this matter. Gover-

nment should not hold a magisterial enquiry, because that will not reveal all the facts. The officials of the jail should immediately be transferred from there and suspended. The prisoners, who have suffered in this episode should be adequately compensated. These three demands should be met.

This happening nothing to do with anti-cow-slaughter movement. This matter is hurmane one.

श्री क० प्र० सिंह (टेकानल) : मैं जेल अधिकारियों तथा कैदियों दोनों पक्ष के लोगों से मिला हूँ। श्री नाथ पाई ने जिन तथ्यों को बताया है वह बिल्कुल ठीक है। मैंने जेल में जाकर स्वय देखा है। वहां की घटनाओं वाले स्थान को देखकर मुझे युद्ध काल की जेलों की स्मृति हो आयी। दिल्ली में न्यायपालिका को कार्यकारिणी से पृथक नहीं किया गया है। मेरे विचार में इस घटना की जांच उच्च न्यायालय के न्यायधीश द्वारा होनी चाहिये।

दिल्ली की सेंट्रल जेल की स्थिति बहुत खराब है। वहां सत्याग्रहियों को धमकियां दी जा रही हैं कि उनको जांच करने वाले मैजिस्ट्रेट के समक्ष कुछ नहीं कहना चाहिये। जेल के अधिकारी अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहे हैं।

Shri K. N. Tiwary (Bettiah) : This question is not the concern of a single party. This should be considered above party-politics. The conditions in Jails are very deplorable. It is so because criminals are lodged there. They indulge in all types of malpractices. It is coincidence that Sadhus are also there. I am told that this thing started on the loss of spectacles This minor things sparked off into large scale fighting between two groups. I have personal experience of life in Jails.

I feel that cause of this quarrels seems to be the sense resentment in criminals. They felt that the Sadhus were given food and were provided better facilities. Thus there was heart burning in them. It resulted into this incident. The Sadhus were weak and old. The other party that is criminal prisoners were quite strong and healthy I feel that a judicial enquiry should be held in this matter. I think Government will accede to this demand,

Shri Ram Gopal Shalwale (Chandni Chowk) : It has been stated that this was only a fight between two groups, but how is it that only one group have received injuries. The Delhi Central Jail is under the jurisdiction of Metropolitan Council but it is unfortunate that the Chief Executive Councillor of Delhi was not informed about this incident. The Jail officials were eager to issue a press note saying that this was only a fight between groups of under trials etc.

I want to inform that two persons are missing. Their names are Shri Shiv Charan and Shri Balwan Singh. I would like the Home Minister to trace these persons. They are neither in hospital nor in jail. They are missing after this incident in jail. Many inferences are being drawn by public about their disappearance.

They have armed police in Jail. This police force could have been used to control the situation. I am sorry to say that the officers were behind this attack on Sadhus. These officers were Sarva Shri Talwar, Ruchi Ram and Kashyap. Had these persons been honest and sincere this incident would not have taken place. They were silent spectators when Satyagrahis were being attacked. This beating went on continously for one and half hours. During this period police could have been requisitioned from Police Lines. These jail officials have not bothered to check this sad incident. I charge them

that they are responsible for this. The Jallianwalan Bagh tragedy took place in the open but this tragedy has taken place within the four walls of the jail. I am told that along with prisoners the jail wardens also beat the Sadhus mercilessly. The Sadhus were preparing their meals. Their burning wood were used for beating them. The Sadhus are badly injured. Some of them are great scholars. I want that a thor ugh enquiry should be held in this matter. I was told that the Sadhus went to jail officials and requested for protection but these officials expressed their inability. An agitation against cow-slaughter is going on for the last many months. Government has not been able to suppress this agitation. Though so many peaceful demonstrations were killed on 7th November, 1966 in front of Parliament House. Now this time the officials of Jail have let loose a reign of terror on these Satyagrahis.

It is not only Sadhus who are joining this agitation. A large number of other people have also joined in this noble cause. No people feel that Government having failed in suppressing this agitation has resorted to these tactics. This point must be answered.

Women ward in jail was also the target of attack It were the Satyagrahis who prevented ugly incidents in that ward. A large number of Satyagrahis received grevious injuries. I demand that a tho:o ugh judicial enquiry by High Court judges should be conducted in this matter and those who have suffered should be compensated.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Sir, I am very much pained because 50 percent of those who received injuries belong to my constitu ncy. It is not party matter, because children, women and persons belonging Congress Party also have been beaten. People have sustained grevious injuries. It is surprising that beating was going on for a pretty long time. I learn a certain officer there is very arrogant. He thinks himself to be above President and P. M. He was annoyed over a peaceful demonstration by some persons. This incident is a deliberate act of that person. I do not agree with those friends, who say that Government is responsible for this. This incident was sparked by a officer who thinks himself too much. I have visited jail in private capacity and met Satyagrahis. My inquiry reveals that innocent persons have been beaten for no fault.

It is a different matter whether this agitation is justified or not. I have met Shri Chavan and he agreed with me that such happening has not taken place before. I appeal to him and to this august House that justice should be done. It was a heart rending right to see an eighty years old man with forty marks of injuries on his body and he was lying unconscious. He had not done any wrong.

These people belong to respectable families. They have their own ideology. I request that an independent judicial inquiry should be held in this matter and appropriate action should be taken against the guilty persons. The concerned officers should be immediately transferred so that they may not take undue advantage of their position. I hope we would get justice and fairplay.

श्री जी० मा० कृपलानी (गुना) : यह खेद की बात है कि स्वराज सरकार के होते हुए ऐसी घटनाएं हों । मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा है कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, परन्तु वह अफसर भी तो इसी सरकार का ही है । ऐसे अधिकारियों को बर्दाश्त ही क्यों किया जाता है । इस सारे काण्ड की हाई कोर्ट के जज द्वारा जांच होनी चाहिये । जेल के सम्बन्धित अधिकारियों को वहां से स्थानान्तरित किया जाना चाहिये ।

श्री सेभियान : (कुंबकोणम) : मैं श्री नाथपाई के स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यह कोई राजनैतिक विषय नहीं है। गोरक्षा के बारे में हमारे विचार विभिन्न हो सकते हैं। सरकार को जब पहले ही मालूम था कि जेल में तनाव बना हुआ है तो उसे कार्यवाही करनी चाहिये थी। इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिये। यह तो सिद्ध है कि सरकार तथा अधिकारी अपना कर्त्तव्य निभाने में असफल रहे हैं। मैं इस घटना की निन्दा करता हूं। इस काण्ड की न्यायिक जांच होनी चहिये। नहीं तो लोगों को सरकार में विश्वास नहीं रहेगा।। मैं इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

डा० सुशीला नायर (भांसी) : बड़े खेद की बात है कि ये घटनाएं हुई हैं। इस मामले को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लिया जाना चाहिये। हम सबको इस पर दुख है। वास्तव में इसे स्थगन प्रस्त व का विजय बनाना ही नहीं चाहिये था। मेरे दल के लोगों ने इस पार्टी का विषय न मानकर मानवीय विषय समझा है। इस बारे में गृह—कार्य मंत्री का वक्तव्य हो जाना चाहिये था। और उनसे स्पष्टीकरण भी कराये जा सकते थे। मैं समझती हूं कि इसमें सरकार की जिम्मदारी नहीं है। हां, सरकार को सभी कैदियों की सुरक्षा करनी चाहिये थी। इन घटनाओं की पूरी जांच होनी चाहिये ताकि सभी बातों का पता चल सके। हम लोकतंत्र में रहते हैं। कल को कोई और दल सत्ताधारी बन सकता है। कल को हम में से ही कोई जेल जाता है। स्वतन्त्रता आने के बाद जेलों के प्रशासन में सुधार हुआ है परन्तु दिल्ली में होने वाली इस घटना से हमें बहुत दुख हुआ है। झगड़ा तो वास्तव में चश्मा गुम होने से हुआ।

मैं उन जवानों की प्रशंसा करती हूं जिन्होंने महिलाओं के वार्ड में उपद्रवियों को नहीं जाने दिया। मैं आशा करती हूं कि उन सबको मुआवजा मिलेगा, जिनको चोटें लगी हैं।

मैं इस मांग से सहमत हूँ कि इस काण्ड की न्यायिक जांच होनी चाहिये, सम्बन्धित अधिकारियों को जेल से स्थानान्तरित कर दिया जाना चाहिये।

श्री श्री० अ० डांगे (बम्बई—मध्य दक्षिण) : दिल्ली जेल का संचालन कांग्रेसी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और यदि वहां कोई अवांछनीय घटना घटित होती है तो इस सम्बन्ध में सरकार अपनी जिम्मेदारी से इन्कार नहीं कर सकती। वास्तव में स्वराज्य प्राप्ति के 20 वर्ष बाद भी जेल की स्थिति में कोई सुधार नहीं किया हुआ है। सरकार का यह दावा है कि उन्होंने भारतीय समाज में परिवर्तन ला दिया है, परन्तु कम से कम जेलों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सरकार ने भले ही कैदियों को उनके काम के लिये मजूरी देना आरम्भ कर दिया हो और उन्हें बीड़ी पीने की अनुमति दे दी हो, परन्तु अधिकारियों द्वारा कैदियों के साथ व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और न ही कैदियों के रवैय में कोई परिवर्तन हुआ है। जिस प्रकार का व्यवहार कैदियों के साथ अंग्रेजों के शासन—काल में किया जाता था वैसा ही अब भी किया जाता है। सेवाओं से दूषित चरित्र के व्यक्तियों को हटाया जाना चाहिये। जब तक यह मूलभूत सुधार नहीं किये जाते तब तक किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं हो सकता। जो कैदी राजनीतिक कारणों से जेल में जाते हैं उनके साथ अब भी बुरा व्यवहार किया जाता है और अब तक यही समझा जाता है कि कैदियों के साथ डराने धमकाने वाला व्यवहार किया जाना चाहिये।

इस मामले में गो–रक्षा आन्दोलन से सम्बन्धित कैदी है परन्तु जो अन्य सामाजिक एवं मजदूर आन्दोलनों से सम्बन्धित कैदी होते हैं उनकी विशेष रूप से पिटाई की जाती है, उनके प्रति घृणा का व्यवहार किया जाता है जिसके कारण वह कभी कभी मर भी जाते थे, परन्तु अब कुछ सहानुभूति की भावना दिखाई देती है क्योंकि अब सत्तारुढ दल के कुछ सम्बन्धी जेल में गये हैं। मेरी भी उनके साथ सहानुभूति है यद्यपि मैं राजनीतिक रूप से उनके साथ सहमत नहीं हूं। अब तो वहां बड़े बड़े जमींदार तथा अन्य बड़े बड़े लोग हैं, परन्तु यदि वहां साधारण किसान, बुनकर आदि लोग होते तो शायद उनके प्रति इतनी सहानुभूति नहीं होती।

पहले बड़ी बड़ी सेंट्रल जेलों में महिलाओं की जो जेल बनाई जाती थी, वह जेल की यरावदा जेल, नैनी जेल और बहुत सी अन्य जेलों में मुख्य दीवार के बाहर होती थी। महिलाओं की जेलें मुख्य जेल की दीवार से बाहर है। परन्तु तिहाड़ जेल के बारे में कहा जाता हैं कि वह विशिष्ट व्यक्तियों के लिये बनाई गई थी।

मेरा सुझाव यह है कि जेल की मुख्य दीवार के भीतर महिलाओं की जेल नहीं होनी चाहिये। इसलिये तिहाड़ जेल की मुख्य दीवार से बाहर महिलाओं की जेल बनानी चाहिये, जिससे भविष्य में कोई अभूतपूर्व घटना न हो।

Shri Rabi Ray (Puri) : I support the adjournment motion moved by Shri Nath Pai. Some members have state that some charges have been made in the Jails after the independence. You have been in Jail during the British regime and I tell you about an incidence occurred in the Central Jail of Delhi on 29th and another incidence in which Dr. Ram Manohar Lohia was detained in a U. P. Jail in connection with Sales Tax movement and the way he was treated was not better than British time in any case. According to the rules a person who has been arrested should be produced before a Magistrate. Instead of that the Magistrate went into the Jail and Dr. Lohia was forced to give his thumb impression. When Dr. Lohia declined to do so, the Jail authorities incited the ordinary prisons against him and an unpleasant situation was created Any how Dr. Lohia did not give his thumb impression. This is an incidence which occurred in Lucknow Jail.

In another instance a police constable Rattan Lal who was detained in the Jail in-connection with the strike by policemen, fell ill on the 9th of last month. When his condit on was deteriorated further, his relese was ordered. He was relased at 11.00 O'clock in the night. Some of his relatives and his friends who were in the Jail at that time went to Jail authorities and requested them to provide medical assistance to Shri Rattan Lal as his condition was very bad, but with no result. Rattan Lal was Central Government servant but he was not taken care of properly and the result was that Shri Rattan Lal died within two hours of his arrival at his residence. This is also an incidence of Tihar Jail of Delhi,

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने डा० लोहिया और श्री रतनलाल की चर्चा की परन्तु वह कहना क्या चाहते हैं ?

Shri Rabi Ray : Since the incidence of Shri Rattan Lal occurred in Tihar Jail, therefore it was relevant, Two satyagrahis viz. S/Shri Shiv Charan and Balwant Singh were arrested in connection with anti-cow slaughter movement and were detained in Tihar jail. It has been told that there does not appear to be any trace of these two persons after the incidence, possibly they might have been murdered. I feel that on the basis of this

adjournment motion moved by Shri Nath Pai, the Government should order judicial inquiry and the officials who are found to be guilty should be suitably punished.

Mr. Tandon who is Deputy Commissoner, Delhi is also I.G.P. and it is understood that he was responsible for firing which took place in connection with anti-cow slaughter agitation on the 17th November. This is strange that he has easy access to the Home Minister and therefore Lt. Governor could not know as to what happened on 29th in Tihar Jail. Such officers should be suspended and prosecuted for murder. The persons who have been kil ed should be compensated.

In connection with cow pro·ection agitation I want to say that fifty percent of our population is vegetarian while in other countries only two to three percent people are vegetarians. In view of this background I would say that cow slaughter should be banned and in addition to it the torture inflicted on them should also be stopped. In the end I support this motion.

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) ; The incidence which occurred in Tihar Jail on 29th of la.t month was wholly unjustified keeping in yiew of the interest of the country, So far no one has stated the reasons as to how this had happened ? One of my friends has stated that there was a officer behind this whole affair; but I could not find any reason as to what happened to the prisoners that suddenly in one night they started beating the Sadhus. I have listened to all the speeches but there should be some reason for this otherwise how could it happen all of a sudden? There should be some reasons which resulted in unpleasantness amongt the prisoners. The authorities should have taken timely action and removed the unpleasantne s.

Beside our friends in opposition and sadhus have not gone there for any selfish motive, they have gone there for national cause. They should have created a sympathetic atmosphere. But no one has said about this fact here. These are some ordinary criminals in the jails and there are some political prisoners also. I have been in prisons for about 10 years. We used to be beaten by ordinary prisoners but they had a feeling of sympathy in their hearts of hearts for us. Such sympathy could not be created during this incident.

I am not in favour of attack by prisoners and beating but there should be some reason for the same. It is a sin to beat the people who have courted arrests for the national cause, Moreover, there should have been some change in the atmosphere of prisons and the concerned authorities should also have changed their views. Shri Kriplani has stated that this was never happened at the time of British rule but I do not agree with it. I was myself beaten up mercilessly by two or three warders, watchmen, four constables and two Havaldars for two hours in Ja l but it does not mean that such things should continue There is a change in the country but sometimes such things do occur. I would request the opposition and Sdhus in Jail that they should preach outside what is wrong or right. They should sit alongwith ordinary prisoners sometime for two hours or so.

Shri J. B. Kriplani: The hon'ble member does not know that Sadhus are not allowed to see ordinary prisoners. I had not stated that no one was beaten in the Jails during British regime but I had said that so many people were beaten together at a time in a single jail.

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : The prisoners who have been beaten up by ordinary prisoners should be sympathised.

Shri Tulshidas Jadhav : I want to tell Shri Kriplani very respectfully that there was no reason that Acharyaji should have been tortured the way I was tortured because he was in a higher class.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए }
{ **Mr. Dy. Speaker** *in the Chair* }

Shri J. B. Kriplani : The Hon'ble member perhaps does not know that I was not in the higher class and I went to Jail in 1917 and there was no 'B' class at that time.

Shri Tulshidas Jadhav : I wanted to say that if there were no contacts between ordinary prisoners and Sadhus, then they were beaten by breaking open their doors. No one has said so.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अब समाप्त करें।

Shri Tulshidas Jadhav : Any how it is clear from these happenings that there has been no change in the behaviour of jail authorities after twenty years of independence. The Government cannot disown their responsibility. The Government should see that these things do not happen in future.

Shri Dange has said that Congressmen will not be beaten when he will be in power but it is very difficult to believe. When they can commit such things outside jails then how can it be said that such incidences will not happen in jails in their rule ? I wish that they may enjoy power sometime so that they may fulfil their promise.

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य (रायगंज) : आचार्य कृपलानी शायद भूल गये हैं कि ब्रिटिश शासन काल में जेल में कैदियों को गोली मार दी जाती थी। क्या वह हिजली जेल की घटना भूल गये हैं जिसमें श्री तारकेश्वर दस्तीदार और श्री सन्तोष मित्रा को गोली मार दी गई थी ?

श्री जी० भा० कृपलानी (गुना) : मैं यह स्वीकार करता हूँ कि कांग्रेसी सरकार ब्रिटिश शासन से बहुत अच्छा कार्य कर रही है, यदि ऐसा कहने से आपको संतोष होता हो। जो लोग इनकी सुरक्षा के दायरे में हैं, ये केवल उन्हीं को पीटने की अनुमति देते हैं। अब केवल एक ही बात की कमी है और वह यह, कि अब उन्हें गोली भी चलानी चाहिये।

श्री अ० कु० गोपालन (कासरगोड) : मैं इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मैं 1965–66 के दौरान तिहाड़ जेल में चार महीने तक गृह मंत्रालय का अतिथि रहा हूँ। मैंने तथा कुछ अन्य लोगों ने गृह मंत्री को तिहाड़ जेल के प्रशासन के सम्बन्ध में पत्र लिखे थे। मुझे यह घटना विचित्र नहीं मालूम होती, जिसमें तिहाड़ जेल में कुछ लोगों को पीटा गया है और केवल दो ही व्यक्ति मरे हैं। जो लोग वहां की परिस्थितियों से परिचित हैं उन्हें यह कुछ भी विचित्र नहीं प्रतीत होता, चकित होने वाली केवल एक ही बात है कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। इस जेल को आदर्श जेल कहा जाता था और एक सप्ताह के बाद मुझे पता चला कि वहाँ सब से अधिक भ्रष्टाचार है और सबसे गन्दा व्यवहार किया जाता है। तिहाड़ जेल में दो सप्ताह रहने के पश्चात मेरे पास एक लम्बरदार आया और बोला कि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है ? यहाँ गांजा, शराब, अफीम आदि सब कुछ उपलब्ध है। जो कुछ आपको चाहिये, यहाँ मिल सकता है। मैं शब्दों में इससे अधिक कुछ नहीं कहना

चाहता। आप इस बात को समझ लो कि तिहाड़ जेल के अन्दर सब कुछ उपलब्ध है। 1947 से 1966 तक में मद्रास, केरल, महाराष्ट्र तथा साबरमती और तिहाड़ जेल आदि, 16 जेलों में रहा हूँ। परन्तु जितना भ्रष्टाचार इस जेल में देखा है इतना कहीं नहीं देखा। कुछ पुलिस अधिकारियों, जेल अधिकारियों तथा वार्डनों का भी इस भ्रष्टाचार में अपना-अपना हिस्सा है। वहां प्रतिदिन जुआ खेला जाता है। इसी जूए के विवाद के फलस्वरूप एक व्यक्ति को छुरा घोंप दिया गया था।

इस जेल में चोरी छिपे कई वस्तुएं लाई जाती हैं, यदि किसी के पास धन है और वह रिश्वत दे सकता है तो उसे हर वस्तु उपलब्ध हो सकती है। वहां रेडियो है, टेलीविजन है और एक बहुत बड़ा खेल का मैदान है। यदि बड़े अहाते में जायें तो वहां सब ओर ट्रांजिस्टर दिखाई पड़ते रहेंगे। इस जेल का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर है। मैं जब जेल में था तब मैंने इस आदर्श जेल के बारे में लिखा था परन्तु पता नहीं वे पत्र सरकार के पास भेजे गये थे या नहीं। या शायद सरकार ने उनकी परवाह ही न की हो। जब मैं जेल से रिहा हुआ तो मैंने इस जेल के बारे में एक वक्तव्य भी दिया था। जब भी कोई शिकायत की जाती है तो उसकी जांच कभी नहीं की जाती। एक बार जेल की दीवार पर सीढ़ी लगा कर दो बोरी चावल जेल के अन्दर डाला गया। बहुत शोर मचा, परन्तु उसके बाद उस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

वार्डर भ्रष्टाचारी हो सकते हैं, क्योंकि एक कैदी को 8 औंस अनाज मिलता है। वहां पर एक बाग है जिससे उन्हें बड़ी अच्छी सब्जियां उपलब्ध होती हैं। परन्तु वे कैदियों को नहीं मिलती। वे अधिकारियों में ही बांटी जाती हैं। कैदी को तो थोड़ा सा चावल ही मिलता है। एक बार डा० लोहिया मेरे साथ थे। वहां का अधीक्षक अत्यधिक गुस्ताख था। जब मैं बीमार हो गया तो मैंने जेल के अन्दर संसद सदस्य के रूप में अधीक्षक को लिखा। मैंने लिखा कि मैं उन्हें मिलना चाहता हूँ। परन्तु उसने कोई परवाह ही नहीं की, क्योंकि मैं तो एक कैदी था। मैं एक औषधि चाहता था जो कन्ननूर जेल में मुझे एक डाक्टर ने बताई थी। मैं यहां उच्चतम न्यायालय में एक मुकदमे के संदर्भ में यहाँ आया था। मैंने अधीक्षक को बताया था कि यदि वह औषधि मुझे नहीं दी गई तो मेरा स्वास्थ्य बिगड़ जायेगा। दो या तीन दिन तक वह औषधि मुझे नहीं मिली तो मैंने गृह मंत्री को लिखा कि मैं जब तक मुझे औषधि नहीं उपलब्ध होगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तिहाड़ जेल में अधिकारियों का इस प्रकार का व्यवहार है।

ऐसे अधिकारियों को मुअत्तिल कर देना चाहिये। तिहाड़ जेल के आन्तरिक प्रशासन की जांच भी की जानी चाहिये। अधिकारियों को बदल कर ही सच्चाई का पता लगाया जा सकता है। यह बड़े शर्म की बात है। ब्रिटिश शासन काल में सजा होती थी। जेल नियमावली में सजा की व्यवस्था है। बेड़ियां डालना, एकान्त में बन्द कर देना, चाबुक मारना आदि असभ्य सजायें थी। कैदियों को पकड़ कर उनके कपड़े उतार दिये जाते हैं फिर उन्हें पीटा जाता है। यह पहले होता था, परन्तु अब ये बातें जेल नियमावली में नहीं हैं। लम्बरदार जो बड़े लम्बे समय से जेल में रह रहे होते हैं, उन्हें कुछ सुविधायें दी जानी चाहिये। जेल के आन्तरिक प्रशासन में सुधार किया जाना चाहिये। कैदियों के प्रति रवैया बदला जाना चाहिये। जेलें कैदियों के सुधार के लिये होती हैं। जेल में चोरी छिपे चीजे ले जाना तथा भ्रष्टाचार

को समाप्त किया जाना चाहिये । मैं जनता के प्रतिनिधि तथा संसद सदस्य के रूप में सरकार पर आरोप लगाता हूं कि मैं अन्य कैदियों के साथ जेल में रहा और अधिकारियों ने हमारी कोई परवाह नहीं की । वहां से कोई याचिका या अभ्यावेदन बाहर नहीं भेजा जा सकता । वहां पर मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया था । इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस काण्ड की न्यायिक जांच होनी चाहिए ।

श्री जी० भा० कृपलानी : मुझे प्रसन्नता है कि मैं स्वराज्य प्राप्ति के बाद जेल में नहीं गया ।

श्री श्री०अ० डांगे : यदि आप अधिक बात करोगे तो आपको भी वहां भेज दिया जायेगा ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : There are about 2500 prisoners in Tihar Jail where this painful incident has occurred. About 1600 or 1700 prisoners were asked to attack on 957 prisoners. High officials and warders were supporting the convicts who attacked Satygrahis. The way in which this has happened, is a matter of shame for the Government of India. There is not even a single party which has not condemned this incident. I feel astonished to hear the argument of Shri Randhir Singh that Government officials should be blamed but Government should not be blamed.

I want to tell him that when Shri Lal Bahadur Shastri resigned as Minister of Railways, was he driver or guard of that train, which met with an accident and on that basis Shri Lal Bahadur Shastri submitted his resignation ? What is meant by a Government ? The Government does not mean Government officials only but it includes the Ministers also who hold the portfolio of that particular department. Therefore the Government can not absolve of its responsibility.

The second thing is that the incident which occurred in Delhi Jail is not a new or casual one. On the 7th November when some Naga Sadhus were coming to attack on the Parliament House, a policeman had asked one of them that since when he had adopted that fashion ? Thenasenior member of congress party asked that policeman whether he could recognise that Naga Sadhu. He replied, why should I not recognise him, he is a goonda of that particular Mohalla and I have arrested him many times. Such were the people in the procession who tried to Sabotage the sacred procession of 7th November. Such people were still present amongst the prisoners in the Jaill. And they have beaten up these Satyagrahis. Dr. Raghuvir Singh had gone to Jail twelve times, in connection with cow-slaughter and at the time of attack it was being said that this is the person who came to Jail for twelve times. This clearly shows that there was some conspiracy behind the scene.

Second thing which I want to know from the Minister of Home Affairs is that how the prisoners who are confined in the walls of a prison and therefore cannot get any help from the outside can depend on the mercy of the Government when Government or its officials behave in this fashion. In the Jails these officials are there to protect them. But they behave otherwise. In these circumstances how can Government be absolved of its responsibility.

Thirdly one of our friends said that why the Satyagrahis who have been in Jail for 10 months could not bring any change in the minds of other prisoners ? This is a question which should have been rightly asked from Shri Yashwant Rao Chauhan or Delhi Administration. Swami Karpatriji had been delivering his speech in the open but the Gov-

ernment had not given any such permission to deliver any lectures by Sadhu which other prisoners may also listen. Therefore Sadhus are not at fault.

I agree with my friends that the officials at fault should be suspended immediately. I want to know as to why Minister has not given a statment yesterday ? Why they want to make that statment to-day. The House will be astonished to know that Sadhus were beaten with burning sticks. I am not aware whether the report of Jail Department would be genuine but the report of the treatment meted out to the Sadhus should be got from these Sadhus who are admitted in the Irwin Hospital.

Those officers and workers should be suspended, judicial inquiry should be conducted and steps should be taken to ensure that such incidents are not repeated within the walls of Jail in future, the Minister of Home Affairs should give a guarantee to this effect in the House.

श्री क० नारायण राव (बोबिली) : यह स्थगन प्रस्ताव जिस तरीके से सभा के सम्मुख रखा गया है मैं उसका विरोध करता हूं। मैं यह मानता हूं कि यह घटना असाधारण तथा अभूतपूर्व है और विशेषकर दिल्ली में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिये थी। जहां तक जेलों और जेलों के प्रशासन का प्रश्न है यह विषय राज्य की सूची के अन्तर्गत आता है। परन्तु दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र होने के कारण केन्द्र सरकार पर भी इसका कुछ उत्तरदायित्व है। परन्तु यहां स्थिति कुछ भिन्न है। यहां दिल्ली प्रशासन और महा नगर परिषद के साथ केन्द्र सरकार भी है। यह एक विशिष्ट और असाधारण स्थिति है और इसलिये उत्तरदायित्व निश्चित करना कठिन है। मेरे विचार में इस प्रकार की घटना के लिये स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करना उचित नहीं है।

अब जैसा कि मेरे एक मित्र ने कहा है कि यह दर्दनाक घटना थी, मैं यह पूछना चाहता हूं कि राजनीतिक कैदियों को साधारण कैदियों के साथ क्यों रखा जाता है। मुझे आशा है कि कम से कम भविष्य में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करेंगी कि राजनीतिक कैदी साधारण कैदियों से अलग रखे जायें।

Shri Mahant Digvijai Nath (Gorakhpur) : I was very anxious to narrate you the incident to which I was an eye witness. It was a touching scene. There were some persons who beaten were without hands and one of them was without a foot. Such persons were beaten with lathis. I am sorry to say that this matter is being discussed keeping in view of party interests. Seth Govind Dass has, however, taken humanitarian view. Our views may differ but all the persons in the Jail are human beings. It is not proper to level chrges and counter charges in the House. I am one of those members who have moved Adjournment motion but if it is negatived, we will accept the decision. Unless we discuss these matters without any party prejudice, the very purpose of our discussing the matter here is defeated. Our friends in congress party who have been in jails for many years have admired themselves but it is not the question of our experiences in jails, we are discussing. The attack launched against Sadhus involved many family men, children, ladies, our mothers and sisters. If you think that Sadhus are mischief makers but I want to know that ' come. They have been part and parcel of our society. We should have not allowed such people to become Sadhus. We do not do our duty and instead of that we level charges against each other. This is very sad and due to that our society is going down.

The Home Minister has been charged for not making the statement in the House yesterday. But he was not in Delhi yesterday. How could he make a statment. I have discussed this matter with him to-day. He has been so much over whelmed that he is thinking to enquire as to whether there was any conspiracy. I would request him to make a statement which should be without party prejudice and which may satisfy all the members. A judicial enquiry should be held and the persons found to be guilty should be punished.

The Minister of Home Affairs should go deep into this. We feel that he may not have been informed of the facts. The authorities have been trying to suppress various agitations and they are being encouraged more and more. There have been disturbance in Naxalbari and on the other side China and Pakistan are threatening our country- Keeping in view of all these circums ances, a Judge of the High Court should be appointed to enquire into this incidence. At the same time the concerned officers should be removed from Tihar jail otherwise the purpose of judicial enquiry might not be nullified. When I visited Tihar Jail I saw the blood spots who were beaten because they tried to defend the honour of those ladies who were inside the Ladies Jail. I have never seen such atrocities. I hope that Hon'ble Prime Minister will make a statement that will satisfy the House.

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : I wanted to ask whether the management of Jails in Delhi is not a transferred subject for which Fxecutive Councillor is responsible. I want to know the reason as to why the Deputy Commissioner who reached Tihar Jail in the night did not inform the Executive Councillor who was responsible for this ? Is it not a fact that the Executive Councillor could know about the happenings of Tihar jail from the news papers next day ? If the Deputy Commissioner did not take the Executive Councillor into confidence in case of a transferred subject and if he did not act on his advice, then I warn that there will be constitutional crisis in Delhi. Will the Minister of Home Affairs enquire into the conduct of the Deputy Commissioner, Delhi ?

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : He should also tell as to what action he proposed to take against him ?

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : Will the Deputy Commissioner of Delhi gets orders from the Ministry of Home Affairs direct ?

गृह कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय मैंने दो घन्टे तक इस चर्चा को सुना । मैं आरम्भ में ही इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता था जिससे इस चर्चा में कुछ सहायता मिलती । मैं इसलिये पहले कुछ कहना चाहता था । श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने पूछा था कि मैने कल वक्तव्य क्यों नहीं दिया था । दुर्भाग्य से कल मैं दिल्ली में नहीं था (व्यवधान) इस प्रकार के मामलों में अन्ततोगत्वा मुझे ही निर्णय लेना होता है ।

श्री कंवरलाल गुप्त : हम प्रधान मन्त्री से मिले थे और उन्हें इस घटना से अवगत कराया था । वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दे सकती थी ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यहां प्रश्न केवल वक्तव्य देने का नहीं है, कुछ निर्णय लेने का है । वक्तव्य से मेरा अभिप्राय सरकार का निर्णय बताने से था । संभवतः इससे वाद-विवाद में इससे कुछ सहायता मिलती ।

आज प्रातः जब मैं दिल्ली वापिस पहुंचा वहां तो मै स्वयं बड़ा चिन्तित था। मंत्रिमण्डल की उप समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के पश्चात मैं स्वयं दिल्ली के उप-राज्यपाल तथा डिप्टी कमिश्नर को साथ लेकर जेल गया था। मैं वहां लगभग प्रत्येक कक्ष में गया और अस्पताल में दाखिल क्षत विक्षत लोगों को भी देखने गया। मैं यह मानता हूं कि वहां जितनी गड़बड़ हुई, लोगों को जितना कष्ट पहुँचा, उसे देखकर मैं दंग रह गया। मैंने यह महसूस किया कि इस मामले में न्यायिक जांच की जानी चाहिये। यही बात मैं कहना चाहता था।

अब हमने यह निश्चय किया है कि या तो सेवा में लगे हुए या किसी सेवा-निवृत्त न्यायाधीश को इस मामले की जांच करने तथा उस पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये नियुक्त किया जायेगा। इस प्रतिवेदन के प्राप्त हो जाने से पूर्व मैं इस मामले के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहूंगा (व्यवधान) मुझे आशा है कि माननीय सदस्य शान्ति से मेरी बात सुनेंगे। यदि कोई सदस्य इस न्यायिक जांच को निष्पक्ष जांच बनाने के लिये कोई सुझाव देना चाहें तो मैं उस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये तैयार हूं। यदि वे चाहें कि मैं जांच से पहले ही किसी व्यक्ति को सजा दूं तो यह एक विपरीत बात होगी। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं। हम वास्तव में उच्च न्यायालय के किसी सेवा कर रहे या सेवा-निवृत्त न्यायाधीश द्वारा निष्पक्ष जांच कराना चाहते हैं क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि इस प्रकार के मामले की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिये। इस प्रकार की गड़बड़ी के लिये जो भी उत्तरदायी होगा उसका उत्तरदायित्व निश्चित किया जायेगा चाहे वह गृहमन्त्री स्वयं भी क्यों न हो। मैं अपने आपको उससे पृथक नहीं रखना चाहता। यदि जो कुछ हुआ है उसके लिये गृहमन्त्री की नीति उत्तरदायी हो तो मैं अपने आप को इस आरोप से मुक्त कैसे रख सकता हूं। मैं निश्चित रूप से उसके लिये उत्तरदायी हूं।

माननीय सदस्य श्री नाथपाई ने स्थगन प्रस्ताव का आरम्भ इस प्रकार से किया कि यह न तो पार्टी का मामला है और न ही कोई साधारण मामला है। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं क्योंकि हमने देखा है कि इस ओर बैठे सदस्यों में से सेठ गोविन्ददास तथा अन्य सदस्यों ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया है। हम इस मामले पर एक तरफा दृष्टिकोण से विचार नहीं कर रहे। जब हम यह स्थिति स्वीकार करते हैं तो यह मामला स्थगन प्रस्ताव के लिये उचित नहीं सिद्ध होता क्योंकि ऐसा करने से यह एक राजनीतिक मामला बन जाता है। और इससे सरकार की निन्दा होती है। यदि कोई कहे कि सरकार की निन्दा की जानी चाहिये तो मैं इस बात को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं। यदि जांच से पहले भी कोई कहे कि सरकार की निन्दा की जानी चाहिये तो मैं इस स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूं। परन्तु मुझे अब भी विश्वास है कि जब मैंने यह सुझाव दिया है कि सरकार सारी स्थिति ठीक तरह से समझने के लिये तैयार है तो वह इस प्रस्ताव को वापिस ले लेंगे। इसीके साथ मैं कुछ अन्य तथ्य स्पष्ट करना चाहता हूं कि क्योंकि वे इस घटना से सम्बद्ध नहीं है। किसी सदस्य ने कहा था कि दो व्यक्ति लापता हैं, मैंने वाद-विवाद के दौरान पता लगाया है और मुझे पता चला है कि वे दोनों जेल में ही हैं, लापता नहीं हैं। में यह नहीं चाहता कि सभा में कोई ऐसी भावना हो कि कोई व्यक्ति लापता है या मारा गया है। जब इस मामले की जांच की जायेगी तो जेल के प्रशासन में सुधार लाने की भी कई बातें सामने आयेंगी। मैं यह स्वीकार करता हूं कि जेल के प्रशासन में सुधार करने की काफी गुन्जाइश है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : जख्मी कैदियों के बारे में क्या स्थिति है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : दूसरा प्रश्न क्षतिपूर्ति का है। हम इस सम्बन्ध में ब्यौरेवार विचार करेंगे। इस सम्बन्ध में, जैसे सेठ गोविन्द दास ने कहा है, हमारा दृष्टिकोण रचनात्मक एवं मानवतावादी है।

मैंने इस मामले में कोई एकतरफा दृष्टिकोण नहीं अपनाया और न ही मैं अधिकारियों द्वारा दिये गये काम को प्रश्रय देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी वस्तु स्थिति को समझना चाहता हूं। मैं स्वामी करपात्री जी से जेल में मिला हूं, वह पूजा में व्यस्त थे। उनके विचारों से मेरी भिन्नता हो सकती है परन्तु मैं उनका साधु के रूप में आदर करता हूं। उन्हें आंख में काफी चोट लगी है, परन्तु वह इस चोट के बावजूद प्रार्थना में लगे हुए थे।

अपना वक्तव्य समाप्त करने से पूर्व मैं श्री नाथपाई से प्रार्थना करता हूं कि यदि वास्तव में वह इसे एकतरफा मामला या राजनीतिक मामला नहीं समझते तो वह अपने प्रस्ताव को वापिस ले लें।

Shri Kanwar Lal Gupta : You have not answered the point raised by Shri Nath Pai,

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे खेद है कि मैं वह बात भूल गया था। माननीय सदस्य ने डिप्टी कमिश्नर के बारे में कुछ कहा था। मैंने इस सम्बन्ध में डिप्टी कमिश्नर से बातचीत की थी। मैं यह कहूंगा कि जिला मजिस्ट्रेटों के पद को जेलों के इन्स्पेक्टर जनरल से मिलाया जाना उचित नहीं है। इस व्यवस्था को दिल्ली प्रशासन के साथ परामर्श करके बदलना होगा। मुझे इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है। उचित समय पर ऐसा किया जायगा। मैं यह कह सकता हूँ कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि डिप्टी कमिश्नर ही जेलों का इन्सपेक्टर जनरल भी है। परन्तु अब इनको निसंदेह अलग अलग कर दिया जायेगा। इसी के साथ साथ दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर के पास काम भी बहुत अधिक है। उन्हें इस घटना का 8 बजकर 20 मिनट पर पता लगा और वह उस समय किसी और काम में व्यस्त थे। उन्होंने उसी समय उस क्षेत्र के पुलिस के जिला अधीक्षक को टेलीफोन किया कि जितनी पुलिस की आवश्यकता हो, वह वहां भेज दें। फिर वह अपने काम से लौटकर खाना आदि खाकर स्वयं भी जेल में पहुंच गये ओर वह वहां रात के दो बजे तक रहे, फिर वापिस आकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखी और उसकी एक एक प्रतिलिपि उप-राज्यपाल तथा मुख्य कार्यकारी पार्षद को भेजी। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुख्य कार्यकारी पार्षद को रात के तीन बजे इसलिये जगाना ठीक नहीं समझा क्योंकि वह उसी रात उन्हें रिपोर्ट की प्रतिलिपि भेज रहे थे।

Shri Kanwar Lal Gupta : But he informed the press at 9-00 P. M.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह बहाना निराधार हैं।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : परन्तु उन्होंने इस दूसरे ढंग से सोचा था कि अपने आफिसर को 3 बजे जगाना ठीक नहीं।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : वह जेल से ही टेलीफोन कर सकते थे। उन्हें तीन बजे तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता ही न थी।

श्री कंवरलाल गुप्त : यह ठीक नहीं है, उनके पास मुख्य कार्यकारी पार्षद के पास सूचना भेजने के लिये काफी समय था।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उनका काम केवल सूचना भेजना था, बल्कि उससे पहले कुछ और भी करना था। जब वह जेल में गये तो उन्हें अधिकारियों की सहायता भी करनी थी और स्वयं भी कुछ करना था।

'हिन्दुस्तान टाइम्स' के संवाददाता के सम्बन्ध में उन्होंने मुझे बताया कि 'दी हिन्दुस्तान टाइम्स' का कोई संवाददाता उनके जेल में पहुंचने से पहले ही पहुंच गया था और वह जब जेल पहुंचे तो वह वहां नहीं था। बाद में संवाददाता ने उन्हें टेलीफोन किया और जेल की स्थिति पूछी और उसे उन्होंने बताया कि स्थिति नियन्त्रण में है, और अब आगे चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने उसे घटना को कोई ब्योरा नहीं दिया था क्योंकि वह उनके जेल पहुंचने से पहले ही जेल से हो आया था। अब मैं श्री अटलबिहारी वाजपेयी तथा अन्य सदस्यों से यह कहूंगा कि यदि एक बार कोई गलत कार्य हुआ है तो हमें प्रशासन के अन्य अधिकारियों को निरुत्साहित नहीं करना चाहिए।

श्री जी० मा० कृपलानी : क्या वह कम से कम इन अधिकारियों का तबादला कर देंगे।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने यह कहा है कि मैं निष्पक्ष जांच के लिये सभी प्रकार की कार्यवाही करने के लिये तैयार हूं। निश्चय ही इसमें तबादले की बात भी आ जाती है परन्तु इस सम्बन्ध में घोषणा करने से पूर्व मैं इस बारे में कुछ आगे विचार करना चाहता हूं।

श्री नाथपाई (राजापुर) : यह स्थगन प्रस्ताव एक निराला ही है। यह प्रस्ताव तकनीकी आधार पर ही निराला नहीं है, बल्कि इसलिये भी निराला है कि इसे बिना पढ़े ही स्वीकार कर लिया गया, परन्तु अब यह इसलिये भी निराला बन गया है क्योंकि सभा के कांग्रेस के कुछ एक सदस्यों के सिवाय सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया है। अधिकतर सदस्यों ने मेरे तर्कों का समर्थन ही किया है। गृहकार्य मन्त्री ने हमारे तर्कों से सहमति प्रकट करके साहस का प्रदर्शन किया है। उन्होंने निष्पक्ष न्यायिक जांच की हमारी मांग स्वीकार करली है।

दूसरी मांग यह थी कि जो अधिकारी इस घटना से सम्बद्ध हैं वे वहां नहीं होने चाहिये। उन्होंने आचार्य कृपलानी को उत्तर देते हुए बताया कि उपयुक्त जांच सुनिश्चित करने के लिये इन सब बातों पर विचार किया जायेगा। उन्होंने यह भी वचन दिया है कि क्षतिपूर्ति दी जायेगी।

निष्पक्ष जांच के अतिरिक्त हमारी मांग जेल प्रशासन व्यवस्था की जांच करनी थी। अन्तिम सुझाव मैंने यह दिया था कि आई० जी० पी० के पद को दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट

से पृथक किया जाना चाहिये, इस सम्बन्ध में उन्होंने तत्काल कार्यवाही करने का वचन दिया है ।

सरकार बहुत कम अवसरों पर ही सब मांगें स्वीकार करती है। परन्तु यह किसी व्यक्ति विशेष की विषय नहीं है। श्री चव्हाण को यह सदा स्मरण रखना चाहिये मैं जब भी कोई मांग करता हूं वह युक्तियुक्त होती है और भविष्य में भी इस प्रकार की मांग को स्वीकार करने के लिये वह तयार रहें। मैं उनका तथा सभा के प्रत्येक सदस्य का धन्यवाद करता हूं। मैं अब स्थगन प्रस्ताव को वापिस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में सभा प्रस्ताव को वापिस ले लेने की अनुमति देने के लिये सहमत है ।

श्री सुरेन नाथ द्विवेदी : वापस नहीं। इस प्रस्ताव पर सभी ने अपने अपने विचार प्रकट कर दिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में वापस ले लेना अधिक उपयुक्त रहेगा।

श्री नाथपाई : क्योंकि श्री चव्हाण मेरी सभी बातों से सहमत हैं; मैं इस स्थगन प्रस्ताव को वापिस लेता हूँ। लोकसभा की यह प्रथा है कि जब इस प्रकार की सहमति हो जाती है तो हम उसे आगे बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करते।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी विषय पर विचार प्रकट करने की प्रक्रिया में कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे मैंने कहा है, अच्छा तरीका यही है कि इस प्रस्ताव को वापिस ले लिया जाय।

श्री नाथपाई : हमारा अभिप्राय पूरा हो गया है। हमारा प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं। मैं प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को प्रस्ताव वापिस लेने की सभा की अनुमति प्राप्त है।

माननीय सदस्यगण : जी हां।

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

The motion was, by leave, withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : अब आधे घन्टे की चर्चा होगी। क्या सभा इस पर चर्चा करना चाहती है।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : तो यह चर्चा स्थगित की जाती है :

इसके पश्चात् लोकसभा मंगलवार, 4 जुलाई 1967, 13 आषाढ 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjorned till Eleven of the clock on Tuesday the 4th July, 1967, Asadha 13, 1889 (Saka).